

कपार्ट सहायता को शासित करने वाली शर्तें तथा निबंधन

दी गई सहायता -----
(स्वैच्छिक संगठन का नाम)

(यहां बाद में इसका उल्लेख "परियोजना धारक" के रूप में किया जाएगा)

परियोजना के लिए -----
(परियोजना का नाम अथवा संक्षिप्त विवरण)

(यहां बाद में इसका उल्लेख "परियोजना" के रूप में किया जाएगा)

परियोजना के ब्यौरे

- परियोजना धारक ने अपने प्रत्येक निम्नलिखित प्रलेख की एक प्रमाणित असली प्रति प्रस्तुत की है :
 - सभी पद धारकों के नाम और/अथवा शासी निकाय के सदस्यों के नाम एवं पतों सहित ज्ञापन एवं नियम तथा विनियम।
 - सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/सार्वजनिक न्यास अधिनियम, आयकर अधिनियम, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (यदि लागू होता है) और अन्य कानूनों के तहत पंजीकरण, और
 - परियोजना धारक की सक्षम समिति द्वारा पारित संकल्प जो इसे कपार्ट से उक्त परियोजना सहायता को स्वीकार करने में समर्थ बनाएगा और कपार्ट की लिखित पूर्व अनुमति/अनुमोदन प्राप्त किए बिना उपर्युक्त किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
- परियोजना धारक/स्वैच्छिक संगठन वचन देता है कि वह सहायता को प्राप्त करेगा, विश्वास में धारित रखेगा और उसका उपयोग केवल परियोजना की निम्नलिखित मदों के लिए करेगा और अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा चाहे वह कोई भी हो :

क्रम सं.	कार्य की मदें	धनराशि (रुपयों में) कपार्ट सहायता	स्वयंसेवी संगठन का अंशदान

- 2 (क) परियोजना धारक/स्वैच्छिक संगठन व्यय की विभिन्न मदों के लिए उपलब्ध राशि में एकतरफा वृद्धि नहीं करेगा चाहे वह उपलब्ध समग्र सहायता की सीमाओं के अंतर्गत ही क्यों न हो। कर्पाट की पूर्व में लिखित सहमति/ अनुमोदन के बिना एक मद के लिए स्वीकृत राशि को किसी दूसरी मद पर खर्च नहीं किया जाएगा।
3. लागतों में किसी प्रकार की वृद्धि की स्थिति में परियोजना धारक/स्वैच्छिक संगठन अतिरिक्त व्यय को अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा करेंगे।
4. परियोजना के संबंध में पृथक रूप से उचित लेखा बहियां रखी जाएंगी और इनकी 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष सनदी लेखापाल द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी। लेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट सहित उक्त अवधि के लेखापरीक्षित प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, आय एवं व्यय लेखे और तुलन-पत्र प्रत्येक वर्ष 30 जून तक नई दिल्ली स्थित कर्पाट को भेजे जाएंगे।
5. परियोजना धारक परियोजना के लिए कर्पाट से प्राप्त होने वाली समस्त सहायता के लिए एक पृथक बैंक खाता खोलेगा जिसका इस पते पर
.....बैंक में खाता होगा जिसकी संख्याहोगी और इसे स्वैच्छिक संगठन की कार्यकारिणी समिति के दो सदस्यों द्वारा संचालित किया जाएगा।
6. स्वैच्छिक संगठन से परियोजना लागत के 1 प्रतिशत तक की बैंक गारंटी के लिए आग्रह करना।
7. परियोजना धारक परियोजना के लिए अपने अंशदान के तौर पर -----रुपए का अंशदान करने का वचन देता है। इसके अलावा, परियोजना धारक नीचे बताई गई वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने की स्वीकृति भी देता है लेकिन चाहे जो भी हो कर्पाट की लिखित रूप में पूर्वानुमति के बिना अन्य किसी स्रोत से नहीं।

क्रम सं.	निधियों के स्रोत	कार्य की मद	धनराशि (रुपयों में)
i)	बैंक ऋण		
ii)	लाभार्थी अंशदान		
iii)	पंचायत का अंशदान		
iv)	समुदाय का अंशदान		
v)	स्वयंसेवी संगठन का अंशदान		

8. इन मामलों में, ऐसे वैकल्पिक संसाधनों से खर्च की गई धनराशि को भी खातों में दर्शाया जाएगा।
9. परिक्रामी निधि (Revolving Fund) के तौर पररुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। परियोजना की समाप्ति की तारीख अथवा कर्पाट द्वारा उसके अपने अनन्य विवेक से बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के बाद यह राशि कर्पाट को लौटा दी जाएगी। परियोजना की पूरी अवधि में यह राशि परियोजना धारक और कर्पाट के संयुक्त नाम पर बैंक में सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी।

10. कर्पार्ट द्वारा दी गई मंजूरी को मंजूरी संबंधी आदेश की प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर स्वीकार कर लिया जाए। स्वीकृति के साथ संगठन का मूल संकल्प भी भेजा जाए। निर्धारित अवधि के अंदर स्वीकृति न भेजे जाने पर प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा।
11. परियोजना की अवधि कर्पार्ट से निधियों की पहली किस्त प्राप्त होने की तारीख से माह होगी।
12. क्षतिपूर्ति बांड के संबंध में विधिवत रूप से स्वीकार की गई शर्तों को वैध प्रमाणक (नोटरी) की उपस्थिति में प्रमुख पदाधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर के साथ मुहरबंद करके प्रस्तुत किया जाए। यदि अनुदानग्राही बांड की शर्तों का पालन करने में असमर्थ होता है अथवा उनका उल्लंघन करता है तो बांड के हस्ताक्षरकर्ता कर्पार्ट को अनुदान की पूरी अथवा आंशिक धनराशि 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर लौटाने के लिए संयुक्त तथा अलग-अलग रूप से जिम्मेदार होंगे।
13. जब तक स्वैच्छिक संगठन पीआर/लेखा/यूसी को अंतिम रूप से प्रस्तुत नहीं करता, परियोजना की कम से कम 10 प्रतिशत लागत को प्रतिधारित रखा जाए/रोके रखा जाए।

परियोजना अवधि के दौरान

14. स्वैच्छिक संगठन के प्रबंधन में कोई परिवर्तन होने पर स्वैच्छिक संगठन का नया प्रबंधन निकाय इस संबंध में स्वयंसेवी संगठन से जिम्मेदारी लेते समय परियोजना से संबंधित कर्पार्ट की शर्तों तथा निबंधनों को मानने के लिए बाध्य होगा। प्रस्ताव प्रस्तुत करने और मंजूरी आदेश की प्राप्ति के बीच समिति के गठन में कोई परिवर्तन किए जाने की पुष्टि संगठन की कार्यकारिणी समिति/शासी निकाय के सुसंगत संकल्प (संकल्प में संगठन की कार्यकारिणी समिति/शासी निकाय के सभी सदस्यों का पूरा पता दिया जाना चाहिए) और पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा इसकी अभिपुष्टि के समर्थन में दस्तावेजों अथवा प्रस्तुतीकरण के किसी लिखित सबूत द्वारा की जानी चाहिए।
15. परियोजना के बारे में जागरूकता सृजन के लिए स्वैच्छिक संगठन प्रायोजक एजेंसी के नाम और निधियां जारी करने इत्यादि सहित परियोजना के सभी ब्यौरों को व्यक्त करने की व्यवस्था करेगा।
16. कर्पार्ट की सहायता से चल रही परियोजना से जुड़े पूरे परियोजना स्टाफ का वेतन चैक के जरिए दिया जाएगा।
17. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक परियोजना स्टाफ संबंधी बजट को स्वैच्छिक संगठन के बोर्ड पर दर्शाया जाएगा।
18. अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन निम्नलिखित दस्तावेजों का अनुरक्षण करेंगे :-
 - परिसम्पति रजिस्टर जिसमें खरीद का मूल्य, तिथि, पंजीकरण का ब्यौरा, यदि कोई हो, दर्शाया जाएगा।
 - परियोजना रजिस्टर जिसमें परियोजना का नाम, निधियन का स्रोत, मंजूरी की तारीख, पूरा करने का निर्धारित अवधि, परियोजना स्थल, लाभार्थी विस्तार आदि को दर्शाया जाएगा।

- एफसीआरए के उपबंधों के अनुरूप विदेशों से प्राप्त निधियों के संबंध में गृह मंत्रालय को विवरणियां प्रस्तुत करना।

कपार्ट के किसी अधिकारी अथवा कपार्ट द्वारा नामजद किन्हीं व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण अथवा जांच-पड़ताल किए जाने हेतु परियोजना धारक/स्वैच्छिक संगठन द्वारा परियोजना की पूरी अवधि के दौरान और तत्पश्चात कपार्ट द्वारा प्रमाणपत्र तथा लेखापरीक्षित आंकड़े प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष की अवधि तक सभी बही खाते, बनाई गई परिसम्पत्ति पंजिकाएं और सहायता के उपयोग के संबंध में अन्य विषयगत सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

19. स्वैच्छिक संगठन अर्द्ध-वार्षिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। परियोजना धारक/स्वैच्छिक संगठन ऊपर खंड 2 में उल्लिखित लागत की भिन्न-भिन्न मदों पर किए गए व्यय का एक विवरण तैयार करके उसे छह माह की अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के अंदर कपार्ट को प्रस्तुत करेगा। सहायता की पहली किश्त जारी होने की तारीख के बाद कपार्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में परियोजना की प्रगति रिपोर्ट सहित परियोजना की शेष अवधि के दौरान इन मदों पर अनुमानित व्यय का विवरण भेजा जाएगा। तत्पश्चात हर छह माह की परवर्ती अवधि के संबंध में ऐसे विवरण, रिपोर्ट आदि इन अवधियों की समाप्ति के 30 दिनों के अंदर कपार्ट को भेजे जाएंगे। तथापि, कपार्ट प्रत्येक छह माह की अवधि के बजाए किसी अन्य अवधि के संबंध में व्यय विवरण प्रस्तुत किए जाने की मांग कर सकता है। इसके लिए जुटाए गए अनुमानित योगदान के समर्थन में संगठन के मुख्य पदाधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा।
20. यदि स्वैच्छिक संगठन धनराशि जारी किए जाने के बाद छह माह की अवधि के अंतर्गत प्रगति रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखा विवरण/लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है तो उस पर ब्याज की दंडात्मक दर प्रभार्य होगी।
21. परियोजना धारक/स्वैच्छिक संगठन परियोजना के समाप्त होने के बाद तीन माह के अंदर परियोजना के प्रभारी अधिकारी अथवा परियोजना धारक/स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निधियों के उपयोग का एक प्रमाणपत्र कपार्ट को प्रस्तुत करेगा जिसपर निम्नलिखित निदेशों पर प्राधिकृत सनदी लेखापाल के हस्ताक्षर किए जाएंगे :-
“प्रमाणित किया जाता है कि कपार्ट से प्राप्त -----रूपए की सहायता राशि में से -----रूपए की राशि का मंजूरी प्राप्त प्रयोजन के लिए उपयोग कर लिया गया है।
22. परियोजना धारक के प्रमाणपत्र के साथ परियोजना का सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित एक समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलनपत्र होगा। अनुदानग्राही संगठन वित्तीय वर्ष के अंत में लेखापरीक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराएगा जिसमें समग्र रूप से संगठन के लिए भिन्न-भिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदानों को दर्शाया गया है, और इसी प्रकार, परियोजना के अंत में समेकित लेखापरीक्षित लेखा विवरण और उपयोग प्रमाणपत्र जिसमें स्वीकृत शीर्ष के अनुसार प्राप्त विभिन्न किश्तों, प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज, संगठन द्वारा किए गए अंशदान और नकदी रूप में जुटाए गए लाभार्थी अंशदान को दर्शाया गया है, प्रस्तुत करेगा। उक्त लेखों और लेखों के लेखापरीक्षित विवरण के साथ उक्त सनदी लेखापाल का निम्नलिखित प्रमाणपत्र भी संलग्न होगा :

“प्रमाणित किया जाता है कि कपार्ट से प्राप्त की गई -----रुपए की सहायता से किए गए व्यय की मेरे/हमारे द्वारा लेखापरीक्षा कर ली गई है और यह धनराशि परियोजना की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से निर्मुक्त एवं खर्च की गई है।”

क्रम सं.	कार्य की मद	निर्मुक्त धनराशि	खर्च की गई धनराशि

यथार्थ रूप में किए गए सत्यापन के आधार पर आगे प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित चल अथवा अचल परिसम्पत्तियाँ कपार्ट सहायता के माध्यम से तैयार अथवा इसकी परिणामी हैं जिसकी अधिग्रहण लागत 20,000/-रुपए है।

क्रम सं.	परिसम्पत्तियां	अधिग्रहण लागत

23. परियोजना धारक, परियोजना की समाप्ति के तीन माह के भीतर कपार्ट को परियोजना में किए गए समस्त कार्य की समेकित रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।
24. परियोजना धारक द्वारा जहां कही प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है वह परियोजना की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए एक स्थानीय परियोजना कार्यान्वयन समिति स्थापित करेगा।
25. परियोजना धारक परियोजना की प्रगति के अनुवीक्षण हेतु कपार्ट अथवा कपार्ट द्वारा नियोजित किसी अधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु कपार्ट द्वारा नामजद व्यक्ति को सहयोग करेगा।
26. परियोजना धारक/स्वैच्छिक संगठन, जहां आवश्यक होगा मूल रूप से निर्धारित अंतिम तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व परियोजना की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करेगा।
27. उन मामलों में जहां परियोजना धारक ने परियोजना की अवधि बढ़ाने के लिए कपार्ट से लिखित रूप से मंजूरी प्राप्त नहीं की है, संदर्भित लेखा परीक्षित लेखों सहित निधियों के उपयोग का प्रमाणपत्र परियोजना की मूल रूप से निर्धारित अंतिम तारीख से तीन माह के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा।

28. सहायता से पूर्ण अथवा आंशिक रूप में अर्जित की गई चल एवं अचल परिसम्पत्तियों का कपार्ट की लिखित रूप में पूर्वानुमति के बगैर अंतरण, अन्य संक्रमण, निपटान नहीं किया जाएगा, गिरवी, रेहन नहीं जाएगा, ऋणग्रस्त अथवा उस प्रयोजन जिसके लिए सहायता की मंजूरी दी गई है, से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा और कपार्ट के लाभार्थ परियोजना धारक द्वारा पूरा समय न्यास में रखा जाएगा और किसी भी समय, यदि कपार्ट ऐसा करना चाहे, इन्हें कपार्ट अथवा उनके द्वारा निदेशित किसी अन्य व्यक्ति/निकाय को अंतरित कर दिया जाएगा।
29. परियोजना धारक कपार्ट की सहायता समाप्त हो जाने के बाद लाभार्थियों द्वारा स्वयं परियोजना प्रबंध और रखरखाव की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है।
30. परियोजना के तहत किए गए अनुसंधान कार्य के आधार पर दस्तावेज प्रकाशित करने के इच्छुक व्यक्ति को कपार्ट का अनुमोदन प्राप्त करना होगा और इसके लिए कपार्ट से प्राप्त प्रबंधन तथा वित्तीय सहायता की अभिस्वीकृति भी देनी होगी।
31. स्वैच्छिक संगठन के विरुद्ध आगे कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुवीक्षणकर्ता की रिपोर्टों के आधार पर कपार्ट का निर्णय अंतिम होगा।

यदि निधियों का उचित उपयोग नहीं किया जाता तो कार्रवाई की जाएगी

32. संविदा का सार यह है कि कपार्ट की निधियां 'लोक निधियां' हैं जिनका प्रयोजन गांवों में समृद्धि और विकास को बढ़ाना है तथा परियोजना धारक को यह सहायता इस दृढ़ विश्वास के साथ दी जाती है कि वह इसका उपयोग इन शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार ईमानदारी, विवेक से और जनहित में केवल परियोजना के लिए ही करेगा। कोई उल्लंघन या विपथन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय होगा।
33. कपार्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऊपर लिखित किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने या अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए उनका प्रयोग करने अथवा निष्क्रियता, अपर्याप्त प्रगति अथवा निधियों का प्रयोग न किए जाने पर निर्मुक्त की गई निधियों को पूर्णतः अथवा अंशतः वापस मांग ले और पिछली निर्मुक्ति की तारीख से उनपर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की वसूली करें। उपरोक्त किसी एक बात के लिए छूट देने का अर्थ यह नहीं होगा कि बाद में ऐसी ही परिस्थितियों में कपार्ट के ये अधिकार समाप्त हो गए हैं।
34. परियोजना धारक परियोजना की समाप्ति पर अथवा उससे पहले भी जब धनराशि का उस प्रयोजन हेतु उपयोग करने की जरूरत न रहे जिसके लिए वह निर्मुक्त की गई थी, निर्मुक्त राशि की बकाया राशि कपार्ट को वापस कर देगा।
35. कपार्ट को सभी अदायगियां कपार्ट को देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा की जाएंगी।
36. कपार्ट द्वारा अन्य पक्षों को तकनीकी जानकारी के अंतरण की सुविधा के लिए जरूरी आरेखों, विवरणों और अन्य सामग्री की मांग करने का अधिकार प्राप्त होगा और परियोजना धारक बिना किसी शुल्क के कपार्ट को पूरी अपेक्षित की आपूर्ति करेगा।

37. परियोजना हस्तांतरणीय नहीं है और परियोजना धारक उस कार्य का कार्यान्वयन जिसके लिए कपार्ट द्वारा सहायता मंजूर की गई है, अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं सौंपेगा। उप-संविदाकरण का कोई मामला तत्काल दंड कार्रवाई में परिणामी होगा।
38. करार के विषय क्षेत्र, विस्तार प्रतिपादन और अर्थ से संबंधित सभी विवाद और उनसे उत्पन्न किसी भी विवाद पर सक्षम क्षेत्राधिकारांतर्गत न्यायालय द्वारा संबंधित राज्य क्षेत्र/राज्य के अंतर्गत ही निर्णय लिया जाएगा।
39. अप्रयुक्त/दुरुपयोग किए गए अनुदानों की वसूली करने या लेखापरीक्षित लेखों और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदारी दोषी स्वयंसेवी संगठनों की होगी। यदि स्वयंसेवी संगठन अनुदानों को लौटाने में असमर्थ होते हैं, तो कपार्ट न केवल जिला प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई किए जाने बल्कि अन्य सरकारी/अर्द्ध-सरकारी और निधियन एजेंसियों द्वारा उन्हें काली सूची में शामिल कराने के लिए भी बाध्य होगा और साथ ही साथ सोसायटियों के रजिस्ट्रार से उनका पंजीकरण रद्द करा देगा।
40. यदि सरकार अथवा कपार्ट को यह विश्वास हो जाता है अथवा उनका मत है कि कार्यान्वयन एजेंसी –
- निर्धारित किए गए शर्त के अनुसार परियोजना/कार्यक्रम को पूरा करने अथवा कार्यान्वित करने में असमर्थ है;
 - संभावना है कि यह परि-समाप्त हो जाएगी अथवा बंद हो जाएगी अथवा अपने सामान्य कार्यकलापों को निष्पादित करना छोड़ देगी;
 - संभावना है कि इसे महत्वपूर्ण रूप में पुनर्गठित अथवा पुनर्संरचित किया जाएगा जिसका निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इसकी पात्रता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है;
 - इस प्रकार की वित्तीय सहायता से अर्जित अथवा सृजित की गई परिसम्पत्तियों को बनाए रखने अथवा सुरक्षित रखने में असमर्थ है;
 - इसे प्रदान की गई वित्तीय सहायता अथवा परिसम्पत्तियों के संबंध में अथवा अन्यथा अपने दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ है अथवा उनका उल्लंघन करने की संभावना है;
 - निधि के प्रयोजन के विरुद्ध अथवा जनहित के विरुद्ध कोई आचरण/कार्य करती है;
- तो ये किसी भी समय वित्तीय सहायता देना बंद कर सकते हैं जिससे कार्यान्वयन एजेंसी भुगतान की गई अथवा देय राशियों और उनके द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को रखने के अधिकार से वंचित कर दी जाएगी और उसे इन परिसम्पत्तियों को सौंपना बंद कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा कपार्ट के विधिसम्मत किन्हीं अन्य अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना होगा।
41. निम्नलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर कपार्ट को निधि की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूल करने का अधिकार प्राप्त होगा और स्वैच्छिक संगठन को एफएएस के तहत रखा जाएगा :
- यदि परियोजना धारक मूल्यांकन के समय अनुवीक्षण में सहयोग नहीं देता।
 - यदि परियोजना धारक निर्धारित अवधि के अंदर पीआर/लेखा/यूसी आदि को प्रस्तुत नहीं करता।

- ग) यदि परियोजना धारक कपार्ट की अनुमति के बिना निधि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए करता है/लाभार्थियों को बदलता है/स्थान में परिवर्तन करता है।
42. निम्नलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर कपार्ट को निधि की पूरी अथवा आंशिक राशि वापस लेने का अधिकार प्राप्त होगा और स्वैच्छिक संगठन को काली सूची की श्रेणी में रखा जाएगा :-
- क) यदि परियोजना धारक ने एक से अधिक स्रोत से निधियां प्राप्त की हैं अथवा करता है अथवा उन्हीं लाभार्थियों के साथ उसी परियोजना के लिए किसी अन्य सरकारी/गैर-सरकारी, अंतरराष्ट्रीय अथवा किसी अन्य एजेंसी से पूर्ण अथवा आंशिक रूप में निधियां प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है।
- ख) मुख्य पदाधिकारी आपराधिक कृत्य में लिप्त हों/लोक निधियों का दुरुपयोग करते हों।
- ग) पर्याप्त अवसर प्राप्त होने पर भी निर्धारित कार्य को सम्पादित न करना।
- घ) परियोजना के तहत सृजित/अर्जित परिसम्पत्तियों को समुदाय/लाभार्थियों को हस्तांतरित करने से इंकार करना।
- ड.) मुख्य पदाधिकारी सरकारी कर्मचारी हों और स्वैच्छिक संगठन ने इस सच्चाई को छिपाया हो।
- च) यदि संगठन के कार्यकारिणी/शासी/प्रबंध निकाय के दो से अधिक सदस्य रिश्तेदार/परिवार के सदस्य हैं और/अथवा उनमें से दो बैंक के खातों के संचालनों में सह-हस्ताक्षरकर्ता हैं और स्वयंसेवी संगठन ने इस सच्चाई को छिपाया है।
- छ) स्वैच्छिक संगठन को अन्य सरकारी संगठनों आदि द्वारा काली सूची में रखा गया है।
43. सहायता प्राप्त करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी को वित्तीय सहायता रद्द कर दिए जाने पर अथवा इसका पूर्वाभास होने पर कपार्ट निधियों से सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व निर्धारित कर सकता है। कपार्ट सरकार को पूरी धनराशि और आस्तियां वापस लेने और/अथवा ये आस्तियां पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाओं अथवा अन्य पात्र एजेंसी को परियोजना अथवा कार्यक्रम को पूरा करने अथवा परिसम्पत्तियों के रखरखाव और संरक्षण के लिए अथवा अन्यथा, अंतरित करने का निदेश भी दे सकता है। इस प्रकार अंतरित परिसम्पत्तियों अंतरिती द्वारा उन प्रयोजनों जिनके लिए अनुदान की मंजूरी दी गई है,के अलावा किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए धारित अथवा उपयोग नहीं की जानी चाहिये; और अंतरिती (ट्रांसफर) समान दायित्वों के साथ एक पात्र एजेंसी के रूप में इन परिसम्पत्तियों को धारित करेगा, उसे सुरक्षित रखेगा तथा उसका उपयोग करेगा जब तक कि कपार्ट अन्य कोई निर्णय नहीं लेता।
44. कपार्ट को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह इन शर्तों का उल्लंघन करने अथवा निधियों का अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने, निष्क्रियता, अपर्याप्त प्रगति अथवा निधियों का उपयोग न करने अथवा अनुमोदित प्रस्ताव से विचलित होने पर इस संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर हर्जाने के तौर पर अनुदान की राशि से दुगुनी राशि के साथ-साथ मांग की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित, निर्मुक्त की गई पूरी अथवा आंशिक राशि वसूल

कर लेगा। उपर्युक्त किसी मामले में दी गई छूट का अर्थ यह नहीं होगा कि बाद में ऐसी ही किन्हीं परिस्थितियों में कपार्ट के ऐसे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। इस प्रक्रिया के तहत वसूली कपार्ट को कानून के तहत उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार उक्त राशि की वसूली करने पर रोक नहीं लगाती।

(प्रधान/अध्यक्ष के हस्ताक्षर
मुहर एवं तारीख सहित)

(सचिव/महासचिव के हस्ताक्षर
मुहर एवं तारीख सहित)

साक्षी (कार्यकारिणी निकाय/प्रबंध समिति के सभी सदस्यों के नाम, पते और हस्ताक्षर)

संकल्प

----- के शासी निकाय/कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक ----- को प्रातः/सांय ----- बजे ----- संगठन के कार्यालय में आयोजित की गई। संगठन के प्रधान/सचिव ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	हस्ताक्षर

बैठक में उपस्थिति कोरम की आवश्यकता के अनुसार थी/अनुसार नहीं थी।

शासी निकाय/कार्यकारिणी समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कपार्ट द्वारा उनके पत्र संदर्भ सं.-----दिनांक -----द्वारा जारी मंजूरी पत्र शासी निकाय/कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और शासी निकाय/कार्यकारिणी समिति ने सर्वसम्मति से पारित किया :

- (i) कपार्ट द्वारा योजना के तहत यथा अनुमोदित -----रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति।
- (ii) मंजूरी पत्र के साथ संलग्न अनुबंध में कपार्ट, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सभी शर्तों तथा निबंधनों की स्वीकृति।
- (iii) उपर्युक्त परियोजना के संबंध में कपार्ट की निधियां प्राप्त करने तथा कपार्ट को समय-समय पर परियोजना की रिपोर्टें और कार्यान्वयन से संबंधित लेखे प्रस्तुत करने और कपार्ट, नई दिल्ली की शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए श्री/सुश्री ----- अध्यक्ष/सचिव/सदस्य, शासी निकाय/कार्यकारिणी समिति/ समन्वयकर्ता को प्राधिकृत करना।
- (iv) उसके बाद बैठक स्थगित कर दी गई।

अध्यक्ष/सभापति

स्थान :

नाम

तिथि :

संगठन की मुहर

भाग - II

स्वीकृति एवं क्रियान्वयन प्रक्रियाविधियां

डेस्क मूल्य निरूपण

जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त होगा, संबंधित प्रभाग द्वारा एक अभिस्वीकृति दी जाएगी। यदि प्रस्ताव निर्धारित मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है तथा संबंधित योजना के प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो इसे मुख्यालय में विभागाध्यक्ष/उप-महानिदेशक के तथा संबंधित क्षेत्रीय समिति में क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक के अनुमोदन से प्रभाग के स्तर पर अस्वीकृत किया जा सकता है।

अनिवार्य दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप में प्राप्त प्रस्तावों को कम्प्यूटरीकृत फाईल संख्या दी जाएगी। प्रस्ताव की जांच डेस्क अवस्था पर प्रभाग द्वारा की जाएगी। यदि सूचना/दस्तावेज पूर्ण नहीं हैं तो प्रस्ताव से जुड़े सभी प्रश्नों तथा बकाया मुद्दों को समेकित तरीके से उठाया जाएगा जिन्हें पंजीकृत डाक अभिस्वीकृति देय के जरिए स्वयंसेवी संगठन को सूचित किया जाएगा। स्वैच्छिक संगठन को मांगा गया स्पष्टीकरण/दस्तावेज अधिकतम 45 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि उक्त अवधि के भीतर स्वैच्छिक संगठन से कोई अनुक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जा सकता है तथा संबंधित स्वैच्छिक संगठन को आगे और संदर्भ भेजे बिना फाइल को बंद कर दिया जाएगा।

आवेदक से आवश्यक सूचना/दस्तावेज प्राप्त होने पर निधिकरण पूर्व मूल्य निरूपण (पीएफए) के लिए मामले पर आगे और कार्रवाई की जाएगी। निधिकरण पूर्व मूल्य निरूपण किए जाने के पश्चात परियोजना प्रस्ताव को निर्णय हेतु राष्ट्रीय स्थायी समिति/क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

निधिकरण पूर्व मूल्य निरूपण

प्रस्ताव के डेस्क मूल्य निरूपण के पश्चात, कपार्ट निधिकरण पूर्व मूल्य निरूपण के लिए अपने पैनल में शामिल सुविधा-कारक सह मूल्यांकनकर्ता (एफसीई) को निम्नलिखित पहलुओं की जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा :-

- सांघिक अपेक्षाओं का अनुपालन :- पंजीकरण प्राधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्टें तथा विवरणियां दायर करना, आयकर विवरणियां, यदि कोई हों, दायर करना, एफसीआरए अपेक्षाओं का अनुपालन इत्यादि।
- बैंक/डाकखाने से खाते का तथा सोसायटी रजिस्ट्रार के कार्यालय से पंजीकरण प्रमाणपत्र का सत्यापन।
- आधारभूत अभिलेखों का अनुरक्षण :- कार्यकारिणी समिति, महानिकाय कार्यवृत्त पुस्तकें, लेखा बहियां, इत्यादि।
- सोसायटी के प्रबंधन में पारदर्शिता के निर्धारण के लिए सोसायटी के सदस्यों के साथ परामर्श।

- परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए क्षमता, विशेषज्ञता तथा अवसंरचना।
- स्वैच्छिक संगठन द्वारा लोगों, पंचायतों, स्थानीय प्रशासन, बैंक इत्यादि के साथ सौहार्द स्थापन।
- परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रस्तावित लाभार्थियों, ग्रामीणों, पंचायत कार्यकर्ताओं, ब्लॉक पदाधिकारियों, बैंककारों के साथ किए गए परामर्श।
- परियोजना का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवी संगठन द्वारा संबद्ध विभागों, बैंकों, इत्यादि के साथ परामर्श।
- उपर्युक्तानुसार निरूपण के आधार पर सुविधा-कारक सह मूल्यांकनकर्ता (एफसीई) अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित परियोजना की आवश्यकता के संबंध में टिप्पणी करेगा, तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक जीवक्षमता, सामाजिक स्वीकृति तथा स्वैच्छिक संगठन की प्रशासनिक एवं तकनीकी सक्षमता का वर्णन करेगा।

शर्तों एवं निबंधनों सहित स्वीकृति पत्र जारी करना

राष्ट्रीय स्थायी समिति/कार्यकारिणी समिति/क्षेत्रीय समिति द्वारा प्रस्ताव का एक बार अनुमोदन कर दिए जाने पर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ब्यौरेवार शर्तों एवं निबंधनों के साथ एक स्वीकृति पत्र स्वैच्छिक संगठन को उनकी स्वीकृति हेतु जारी किया जाएगा। स्वीकृति पत्रों की प्रतियां संबंधित स्थानीय सांसदों तथा विधायकों, जिला कलेक्टरों, डीआरडीए के परियोजना निदेशकों, ब्लॉक विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायत, प्रधान/सरपंच को पृष्ठांकित की जाएंगी। लाभार्थियों की कुल संख्या के साथ-साथ विभिन्न श्रेणीकरणों के अनुसार उनका ब्यौरा, उदाहरणार्थ लिंग, गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा निःशक्त व्यक्ति को स्वीकृत पत्र के साथ विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा यदि कपार्ट द्वारा आशोधन किए गए हैं।

स्वैच्छिक संगठन द्वारा स्वीकृति की शर्तों तथा निबंधनों की स्वीकृति

स्वीकृति की शर्तों तथा निबंधनों की स्वीकृति के संकेत के रूप में, स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर स्वैच्छिक संगठन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने की आशा की जाती है। यदि स्वैच्छिक संगठन से कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती तो कपार्ट 30 दिन का समय देते हुए पंजीकृत डाक अभिस्वीकृति देय द्वारा एक अनुस्मारक जारी करेगा अन्यथा स्वीकृति निरस्त हो जाएगी/वापस ले ली जाएगी। दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने हेतु, कपार्ट का विशिष्ट पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

- क) कपार्ट द्वारा प्रदत्त सहायता की पेशकश स्वीकार करते हुए निर्धारित प्रारूप में सोसायटी का मूल संकल्प। इसमें विशिष्ट रूप से करार निष्पादित करने, कपार्ट को सूचना देने, इत्यादि की शक्तियों के प्रत्यायोजन का उल्लेख भी किया जाएगा।
- ख) प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रस्तावित आवश्यक समय-सीमा के साथ क्रियान्वयन योजना।

- ग) प्रबंधन समिति के संघटन में अथवा संगम ज्ञापन में संशोधनों/परिवर्तनों, यदि कोई हो, को अनुसमर्थन पत्र/पंजीकरण प्राधिकारियों के पास परिवर्तन दायर करने के साक्ष्य पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुदान जारी करने की प्रक्रियाविधि

स्वैच्छिक संगठन से विधिवत स्वीकृत शर्तें एवं निबंधन प्राप्त होने पर प्रथम किस्त को स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना की युक्तिसंगतता, अंतर्ग्रस्त गतिविधियों के स्वरूप, परियोजना की अवधि तथा स्वीकृत राशि की प्रमात्रा के आधार पर 15 दिनों के भीतर निर्मुक्त किया जाएगा। सामान्य रूप से, परियोजना के संबंध में प्रस्तुत भौतिक एवं वित्तीय कार्य योजना के आधार पर संपूर्ण अनावर्ती अनुदान तथा छः माह से अनधिक आवर्ती अनुदान की मात्रा को मदवार ब्यौरों की पूर्ण प्रमात्रा दर्शाते हुए प्रथम किस्त के रूप में निर्मुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

प्रथम किस्त की प्राप्ति के तत्काल पश्चात परियोजना धारक मुहर लगी रसीद प्रस्तुत करेगा तथा कपार्ट को परियोजना के आरम्भण की तिथि की सूचना देगा।

प्रथम किस्त निर्मुक्त किए जाने के पश्चात, परियोजना धारक कपार्ट द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार छः माह के पश्चात एक द्विवार्षिक वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें की गई गतिविधियों के ब्यौरे, अवधि के लिए नियत प्रमात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्यों की तुलना में परियोजना की उपलब्धियां, लाभार्थियों की सूची, लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित प्राप्ति तथा भुगतान लेखा एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र, परियोजना के कुछ चित्र तथा परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान सामना की जा रही समस्याओं संबंधी एक रिपोर्ट स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी। अनुदान की दूसरी किस्त की निर्मुक्ति के लिए अनुरोध प्रथम छः माह की अवधि पूर्ण होने के अधिकतम 30 दिनों के भीतर कपार्ट को प्रस्तुत की जाएगी।

तब कपार्ट 5 दिनों के भीतर पैनल में शामिल एक सुविधाकारक-सह-मूल्यांकनकर्ता (एफसीई)/अनुवीक्षणकर्ता दल को प्रतिनियुक्त करेगा जो परियोजना का मध्यावधिक मूल्यांकन करने के लिए परियोजना क्षेत्र का दौरा करेगा तथा 45 दिनों के भीतर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

कपार्ट अनुवीक्षणकर्ताओं द्वारा मध्यावधि निरूपण तथा द्वितीय किस्त की निर्मुक्ति

मध्यावधि मूल्यांकन करने के लिए सुविधाकारक-सह-मूल्यांकनकर्ता प्रतिनियुक्त करने का निर्णय निम्नलिखित पर आधारित होगा :-

- स्वैच्छिक संगठन से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट।
- उपलब्ध कराई गई निधियों/निर्मुक्त की गई राशि के अनुपात में संग्रहित स्थानीय अंशदान का उपयोग।
- समय पर अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में स्वैच्छिक संगठनों की विफलता।

सुविधाकारक-सह-मूल्यांकनकर्ता के निष्कर्षों के आधार पर, द्वितीय तथा तदनंतर किस्तें निर्मुक्त की जाएंगी। परियोजना के स्वरूप, अवधि तथा अंतर्ग्रस्त विभिन्न विशेषताओं के आधार पर परियोजना के एक या अधिक मध्यावधिक/समवर्ती मूल्यांकन किए जाएंगे।

मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान, अनुवीक्षणकर्ता से निम्न की जांच करने की आशा की जाती है :-

- सोसायटी के कार्यकलापों का प्रबंधन, विधिक अपेक्षाएं पूरी करना, इत्यादि।
- किए गए क्षेत्र कार्य की तुलना में उपलब्ध कराई गई प्रगति रिपोर्ट की प्रामाणिकता/यथातथ्यता।
- वास्तविक कार्य की गुणवत्ता, लाभार्थी अंतर्ग्रस्तता, व्यय की गई राशि की युक्तिसंगतता इत्यादि का निर्धारण।
- बैंक से परियोजना निधि का आहरण तथा उसका उपयोग।
- वाऊचरों तथा लेखाबहियों की जांच।
- लाभार्थी संतुष्टि तथा उनकी सहभागिता का निर्धारण।
- परियोजना के क्रियान्वयन में की गई प्रगति से उपार्जित होने वाले लाभों का निर्धारण।

अनुवीक्षणकर्ता द्वारा इन कारकों के आधार पर अगली किस्त की निर्मुक्ति करने की आशा की जाती है।

मूल्यांकन रिपोर्ट कार्य की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर सुविधाकारक-सह-मूल्यांकनकर्ता द्वारा कर्पाट को प्रस्तुत की जाएगी। मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच कर्पाट द्वारा परियोजना धारक द्वारा सूचित की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। प्रगति रिपोर्ट, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा मध्यावधिक मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच के पश्चात 15 दिनों के भीतर दूसरी/तदनंतर किस्त की निर्मुक्ति के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

शेष अनुदान पर पूर्ववर्ती किस्तों में निर्मुक्त अनुदान के संतोषजनक निष्पादन तथा उपयोगिता एवं मध्यावधिक/समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्टों को ध्यान में रखकर छःमाही किस्तों में निर्मुक्ति हेतु विचार किया जाएगा।

कुल अनुदान के 10 प्रतिशत को प्रतिधारित रखा/रोका जाएगा तथा संतोषजनक पूर्ति/अंतिम प्रगति रिपोर्ट/लेखापरीक्षित प्राप्ति एवं भुगतान तथा आय एवं व्यय के लेखा विवरणों एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात संगठन को उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। परियोजना धारक को इस 10 प्रतिशत राशि के लिए पृथक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है यदि उसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र अंतिम लेखों में प्रस्तुत कर दिया गया हो।

स्वैच्छिक संगठन द्वारा पूर्ति रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

स्वैच्छिक संगठन द्वारा परियोजना की पूर्ति के 30 दिनों के भीतर कपार्ट को निम्नलिखित दस्तावेजों सहित पूर्ति रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना प्रत्याशित है :-

- निर्धारित प्रारूप में पूर्ति रिपोर्ट।
- लिंग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, सामान्य, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर तथा निशक्त व्यक्ति के श्रेणीकरण के अनुसार लाभार्थियों की संख्या स्पष्ट रूप से बताते हुए लाभार्थियों की सूची।
- क्षेत्र स्तर पर उपलब्धियों को दर्शाने वाले कुछ क्रिया-उन्मुखी चित्र।
- पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से यह प्रमाणपत्र कि कपार्ट द्वारा सहायता प्रदत्त परियोजना के अंतर्गत सृजित सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ संबंधित प्राधिकरणों या प्रयोक्ता समूहों को सौंप दी गई हैं।
- स्वैच्छिक संगठन द्वारा परियोजना की पश्च-परियोजना भूमि धारिता के लिए की गई व्यवस्थाओं के ब्यौरे।
- विभिन्न किस्तों में प्राप्त अनुदानों को दर्शाने वाले समेकित लेखापरीक्षित लेखा विवरण तथा प्रदत्त अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र। इसमें स्वीकृति आदेश की शर्तों के अनुसार संग्रहित स्थानीय अंशदान भी शामिल होंगे।

पश्च-मूल्यांकन

पूर्ति रिपोर्ट तथा अन्य अंतिम दस्तावेज प्राप्त होने पर कपार्ट 15 दिनों के भीतर पश्च-मूल्यांकन के लिए सुविधाकारक-सह-मूल्यांकनकर्ता को नियुक्त करेगा जिसका संचालन निम्न संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाएगा :-

- यह सत्यापित करने के लिए कि क्या समस्त निर्धारित कार्य स्वीकृति आदेश की शर्तों के अनुसार किया गया है।
- परिसम्पत्तियों के सृजन/क्रियान्वयन में लाभार्थी संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए।
- निधियों की उचित उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए लेखा बहियों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए।
- परियोजना के स्थायित्व के लिए की गई व्यवस्थाओं तथा परियोजना के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए।

कपार्ट की सहायता के बड़े प्राप्तकर्ताओं के कार्य का व्यापक निर्धारण एवं मूल्यांकन

आवधिक मूल्यांकनों के अतिरिक्त कपार्ट द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के व्यापक मूल्यांकन किए जाते हैं। ऐसे मूल्यांकन सामान्यतः व्यावसायिक संस्थाओं या विशेषज्ञ दलों द्वारा निम्नलिखित मामलों में किए जाते हैं :-

- स्वैच्छिक संगठन जिन्होंने एक एकल परियोजना के लिए 50 लाख रुपए से अधिक की सहायता प्राप्त की है ; अथवा
- स्वैच्छिक संगठन जिन्होंने 4 वर्ष की अवधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्राप्त की है।

परियोजना फाइलें बंद करना/समाप्त करना

प्राप्त पूर्ति रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित लेखा विवरणों तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र की जांच की जाएगी तथा टिप्पणियां, यदि कोई हो, स्वैच्छिक संगठन को 30 दिनों के भीतर अनुपालनार्थ सूचित की जाएंगी।

इसी प्रकार परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी पश्च मूल्यांकन रिपोर्ट में किए गए अवलोकन, यदि कोई हों स्वैच्छिक संगठन को सूचित किए जाएंगे तथा फाइल को बंद करने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व 30 दिनों के भीतर इसका अनुपालन प्राप्त किया जाएगा।

उपर्युक्त के परिणाम के अध्यक्षीन, फाइल को बंद कर दिया जाएगा तथा बंद करने संबंधी पत्र मूल्यांकन रिपोर्ट सहित सभी निर्धारित दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर जारी कर दिया जाएगा/ आंकड़ाधार को अद्यतन कर दिया जाएगा।

निधिकरण प्रतिबंधों तथा काली सूची में डालने के लिए प्रक्रियाविधि

अगली सहायता समाप्त (एफएएस)

स्वैच्छिक संगठनों को निम्नलिखित आधारों पर निधिकरण प्रतिबंधों के अंतर्गत रखा जा सकता है :-

- (i) यदि परियोजनाधारक परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए अनुवीक्षणकर्ता के साथ सहयोग न करे।
- (ii) यदि परियोजनाधारक प्रगति रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करे।
- (iii) यदि परियोजना धारक कपार्ट के अनुमोदन के बिना निधियों का अन्यत्र प्रयोग (विपथन) करे/ लाभार्थियों में परिवर्तन करते/परियोजना के अवस्थल को परिवर्तित करते।

संगठन को कपार्ट द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों की सूचना लिखित में दी जाएगी। इसे तीन माह की अवधि के भीतर दोष (षों) को सुधारने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा जिसके न किए जाने पर संगठन को काली

सूची में डालने के लिए निर्धारित प्रक्रियाविधि आरंभ की जाएगी। अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को प्रतिबंधित श्रेणी से हटा दिया जाएगा।

शिकायत की श्रेणी

किसी संगठन, जहां उपर्युक्त मदों में से किसी भी मद का प्रथमदृष्टतया साक्ष्य है, के कार्यक्रम के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर उक्त संगठन पर स्वीकृतियों एवं निधियों की निर्मुक्ति के संबंध में प्रतिबंध लगाए जाएंगे जब तक कि शिकायत की जांच नहीं कर ली जाती/परिणामों के संबंध में निर्णय नहीं ले लिया जाता।

काली सूची की श्रेणी

स्वैच्छिक संगठनों को निम्नलिखित आधारों पर कालीसूची में डाला जा सकता है :-

- (i) यदि परियोजना धारक ने उन्हीं लाभार्थियों के लिए उसी परियोजना हेतु एक से अधिक स्रोतों से निधियां प्राप्त की हैं या करता है अथवा किसी अन्य सरकारी/गैर-सरकारी, अंतरराष्ट्रीय अथवा किसी अन्य अभिकरण से पूर्णतया या अंशतः निधियां प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है।
- (ii) प्रमुख पदधारक लोक निधियों के अपनियोजन/आपराधिक आचरण में रत हैं।
- (iii) मिथ्याकृत लेखे/दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण।
- (iv) पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी निर्धारित कार्य को पूरा न करना।
- (v) परियोजना के अंतर्गत सृजित/अधिगृहीत परिसम्पत्तियाँ समुदाय/लाभार्थियों को सौंपने से मना करना।
- (vi) परियोजना के अंतर्गत बचतों/अव्ययित शेष धनराशि/उपलब्ध/प्रदत्त प्रतिदेय अनुदान वापस करने में विफलता।
- (vii) प्रधान पदधारक कार्यरत सरकारी कर्मचारी हैं तथा संगठन ने इस तथ्य को छिपाया है।
- (viii) यदि संगठन के कार्यकारिणी/शासी/प्रबंधन निकाय के दो से अधिक सदस्य संबंधी/परिवार के सदस्य हैं या इनमें से कोई दो बैंक खाता प्रचालनों में सह-हस्ताक्षरकर्ता हैं तथा स्वयंसेवी संगठन इन तथ्यों को छिपाता है।
- (ix) स्वैच्छिक संगठन अन्य सरकारी संगठनों इत्यादि द्वारा काली सूची में डाले गए हैं।

संगठन को काली सूची में डालने के पश्चात उसको एक माह की अवधि के भीतर प्रश्नाधीन निधि की वसूली हेतु नोटिस तामील किया जाएगा। नोटिस की तामील करने में संगठन के विफल होने पर उक्त राशि की वसूली हेतु उपयुक्त कानूनी कार्रवाई कपार्ट द्वारा आरंभ की जाएगी।

संगठन को आदेश जारी किए जाने की तिथि से 3 महीने के भीतर काली सूची में डाले जाने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अवसर प्राप्त होगा। इस अपील पर निर्णय हेतु कपार्ट की कार्यकारिणी समिति द्वारा विचार किया जाएगा। निर्णय की सूचना संगठन को दे दी जाएगी।

परियोजना प्रस्तावों का अस्वीकरण

परियोजना के प्रस्तावों को अस्वीकार करते समय, कपार्ट अस्वीकृति पत्र में अस्वीकृति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करेगा। अस्वीकृति के कारणों को मोटे तौर पर निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है तथा इसकी सूचना प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के 180 दिनों के भीतर आवेदक को दे दी जाएगी :-

- (i) पात्रता मानदंडों का पूरा न होना।
- (ii) अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न किया जाना।
- (iii) प्रस्ताव का किसी तरीके से दिशानिर्देश आवश्यकताओं को अनुरूप न होना।
- (iv) संगठन आगे सहायता समाप्त (एफएएस) श्रेणी के अंतर्गत है।
- (v) संगठन काली सूची (बीएलए) श्रेणी के अंतर्गत है।
- (vi) संगठन की रूपरेखा, वित्तीय रूपरेखा, गतिविधि रूपरेखा तथा परियोजना को उचित प्रकार नहीं भरा गया है।
- (vii) एक समय में तीन से अधिक चालू परियोजनाएं होना।
- (viii) सुविधाकारक-सह मूल्यांकनकर्ता की नकारात्मक रिपोर्ट।
- (ix) संगठन की उपविधियों/उद्देश्य में ग्रामीण विकास गतिविधियां शामिल नहीं है।
- (x) पंजीकृत अभिस्वीकृति देय द्वारा दो अनुस्मारक भेजे जाने के पश्चात भी सुझावों का अनुपालन न करना तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किया जाना।
- (xi) परियोजनाओं में एकीकरण या नूतनता का अभाव होना तथा उसका स्टीरियो किस्म के स्वरूप का होना।
- (xii) परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले संगठन का परिवाराधारित होना।
- (xiii) एक ही जिले में एक से अधिक परियोजना
- (xiv) शहराधारित परियोजनाएं
- (xv) संगठन के विरुद्ध शिकायत के किसी मामले में जांच का जारी होना।

- (xvi) परियोजना मात्र प्रतिवलन है।
- (xvii) परियोजना तकनीकी/आर्थिक रूप से व्यवहार्य/जीवक्षम नहीं पाई गई है।
- (xviii) संगठन संविदाकार किस्म का है।
- (xix) जिला दंडाधिकारी/राज्य सरकार/पंचायती राज संस्था से प्रतिकूल रिपोर्ट।
- (xx) संगठन के पास संबंधित क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है न ही परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई संसाधन हैं।

भाग – III

ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्य के प्रोत्साहन के अंतर्गत परियोजनाएं तैयार करने के लिए दिशानिर्देश (लोक सहयोग)

1. उद्देश्य

परियोजना निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करेगी :

- (i) प्रायोगिक और नवपरिवर्तनीय प्रयासों के जरिए ग्रामीण विकास संबंधी उन कार्यकलापों को एकीकृत करना जो प्रतिवर्तित किए जा सकते हैं।
- (ii) परिकल्पित कार्यकलापों के आयोजना, क्रियान्वयन और अनुरक्षण में भागीदारों को शामिल करना।
- (iii) समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों और महिलाओं के लिए आय के स्तर ऊपर उठाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना।

2. स्थान

कार्यक्षेत्र ग्रामीण होना चाहिए, इसका मतलब है इसमें ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार में शामिल एक ग्राम। नगर निगमों, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समितियों और नगर पंचायतों की सीमा में शामिल क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र नहीं माना जाएगा।

3. कार्यक्षेत्र में संगठन की मौजूदगी

संगठन के कार्यकर्ता गांव में अवश्य होने चाहिए अथवा ग्रामवासियों के साथ इनका समन्वय होना चाहिए।

4. परियोजना की विषयवस्तु

कोई भी ग्रामीण विकास परियोजना जो भागीदारों की आय बढ़ाने, रोजगार के अवसर सृजन करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए अभिकल्पित हो, सहायता के लिए पात्र है। ग्रामीण स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी परियोजनाओं पर भी ऐसे क्षेत्रों के लिए विचार किया जा सकता है जहां ये सुविधाएं मौजूद नहीं हैं या इनकी तत्काल तथा सख्त जरूरत है।

साधारणतः निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा :-

- (i) परिशुद्ध रूप से अनुसंधान कार्यक्रम।
- (ii) ऐसी परियोजनाएं जो अनन्य रूप से भवन निर्माण तथा/अथवा वाहनों, मशीनरी और उपस्कर की खरीद के लिए हैं।
- (iii) ऐसी परियोजनाएं जिनका लक्ष्य क्रियान्वयन स्वयंसेवी संगठनों की अवसंरचना सुविधाओं को सुदृढ़ करना है, और

(iv) प्रबल रूप से कार्मिक अभिमुखी परियोजनाएं।

5. प्राथमिकताएं और वरीयताएं

कुछ क्षेत्र और भाग दूरस्थता, संचार सुविधा और पहुंच के अभाव सरकारी संस्थाओं की गैर-मौजूदगी तथा अनुनादी एवं मूलभूत सिविल संस्था संगठनों आदि की कमी की अतिरिक्त असुविधा से ग्रस्त हैं। ऐसे क्षेत्र जो तिरस्कार और अवसरों के अभाव से ग्रस्त हैं, को आसानी से पहाड़ी, रेगिस्तान, सीमावर्ती, निर्जल और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित आदि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है; और असुविधा वाले वर्गों को एससी, एसटी, महिलाएं, विकलांग, विधवा, छोटे और सीमांत किसानों, मुक्त किए गए बंधुआ और भूमिहीन मजदूर, अनाथ, बीपीएल आदि की श्रेणी में रखा जा सकता है। एक सुदृढ़ निश्चयात्मक कार्य जो इन क्षेत्रों और वर्गों के लिए लक्षित हो को भी सांविधिक रूप से अधिदेशित किया गया। इस अधिदेश को आगे बढ़ाने के लिए इस दिशा में स्वयंसेवी कार्य को दिशानिर्देशित करने की आवश्यकता है। इसलिए प्राथमिकता और वरीयता ऐसी परियोजनाओं के प्रस्ताव को दी जानी है जिनमें इन उपेक्षित और पिछड़े क्षेत्रों और वर्गों के लिए प्रतिवर्तनीय मॉडलों के विकास हेतु कार्यकलाप शामिल हैं।

6. सहायता की पद्धति

- (i) परियोजनाओं की सहायता सामान्य तौर पर कुल लागत के 90 प्रतिशत तक की जाती है। तथापि, जहां तक संभव हो समुदाय/स्वैच्छिक संगठन का अंशदान परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा जुटाया जाना है। अन्य स्रोत जैसे बैंक ऋण, सरकारी आर्थिक सहायता और सहायता का दोहन भी प्रायोजक संगठन के अंशदान के अलावा और लाभार्थियों के अंशदान किया जाता है। विभिन्न कार्यकलापों प्रकृति के आधार पर उन के लिए निधियन की विभिन्न दरें दी जाती हैं। निजी कार्यकलापों के लिए लाभार्थियों/स्वयंसेवी संगठनों का अंशदान अधिक हो सकता है।
- (ii) यद्यपि अनन्य रूप से भवन निर्माण और/अथवा मशीनरी और उपस्कर खरीदने के लिए परियोजना सहायता के लिए पात्र नहीं हो सकती है, इन मदों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी यदि ये मूल कार्यक्रम के विषय संघटक हों। उनका स्वामित्व समुदाय/प्रयोक्ता समूहों में सन्निहित होगा।
- (iii) परियोजना की प्रशासनिक लागत जिसमें वेतन, वाहनों का रखरखाव, फर्नीचर, आकस्मिकताएं और इसी प्रकार लागत शामिल है, की परियोजना की कुल लागत का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iv) भूमि की खरीद पर कपार्ट सहायता की पात्रता नहीं होगी।
- (v) बैंकिंग योग्य कार्यकलाप जैसे उत्पादन कार्यकलाप के लिए संचित निधि जुटाना, जानवरों, कच्ची सामग्री और मशीनरी आदि को खरीदना, सामान्य तौर पर कपार्ट की सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी।

- (vi) केवल ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मानदंडों और साथ ही कपार्ट द्वारा विकसित किए गए मानदंडों के भी अनुरूप हों।

7. महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का सशक्तीकरण

यह सुविदित है कि साधारणतः सुविधारहित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं आदि की विकासात्मक प्रक्रियाओं में अनदेखी की जाती है। अधिकांशतः लाभ उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। यह केवल उनके प्रति पक्षपात के कारण नहीं है परन्तु कार्यक्रमों तक पहुंचने में उनकी क्षमता के अभाव के कारण भी है। इसलिए यह आवश्यक है कि कम से कम इनका 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के हों और पारिवारिक परिसंपत्तियां जो कपार्ट निधियों से सृजित की गई हैं, स्वामित्व महिलाओं का हो। इसकी प्राप्ति के लिए परिषद और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सक्रिय रुख अपनाया जाना आवश्यक है। इसके लिए ज्ञात और विश्वसनीय कमजोर वर्ग अनुकूल स्वयंसेवी संगठनों का पता लगाने और उनके साथ साझेदारी करने का दोहरा रुख अपनाने और परियोजनाओं का निष्पादन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की आवश्यकताओं पर विशिष्ट संकेन्द्रण से विशेष रूप से इन वर्गों को लक्षित करते हुए करने की आवश्यकता है।

संकेन्द्रण क्षेत्रों की निदर्शी सूची निम्नांकित हैं :-

इस योजना के अधीन परियोजना प्रस्तावों में नीचे उल्लेख किए गए अनुसार एक या अधिक संकेन्द्रण क्षेत्रों का होना आवश्यक है :-

- स्व-सहायता समूहों/संघ का संघटन, संवर्धन और निर्माण।
- नेतृत्व प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- उत्पादक रोजगार के लिए कौशल अभिमुखीकरण।
- बाधारहित पर्यावरण और अभिगम्यता का संवर्धन।
- कारपोरेट क्षेत्र सहित सरकारी और निजी नियोक्ताओं को सुग्राह्य बनाना।
- क्रेडिट सहबद्धता/आंतरिक बचतों, परिक्रामी निधि और आधार पूंजी के साथ आजीविका संवर्धन।
- मुद्दा आधारित जागरूकता सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्तीकरण उदाहरणार्थ बालिका शिशु हत्या/भ्रूण हत्या, दहेज, लत छुड़ाना आदि।
- लक्षित समूहों के सशक्तीकरण से संबंधित सभी मामलों की वकालत।
- भूमि संबंधी कार्यकलाप जिनमें जल संचयन, लघु सिंचाई परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

- एकीकृत पर्यावरण और साफ-सफाई।

कार्य योजना

प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यकलापों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। कार्य योजना बनाते समय निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है :-

- (i) किए जाने वाले सभी कार्यकलापों को सूचीबद्ध करना।
- (ii) इन कार्यकलापों का लक्ष्यों और अनुमानित लाभों से सीधा संबंध होना चाहिए।
- (iii) कार्यकलापों की श्रृंखला की योजना बनानी चाहिए।
- (iv) प्रत्येक कार्यकलाप के लिए समय और व्यय अनुसूचियां इस प्रकार परिकल्पित की जाएं जिससे कि अनुमानित परिकल्पित समय अवधि के भीतर संपूर्ण परियोजना पूरी हो जाए।
- (v) कार्य के प्रत्येक मद के लिए लागत अनुमान तैयार किए जाने चाहिए।

वर्गीकरण

- (i) यह महत्वपूर्ण है कि यह कार्यक्रम ग्रामीण/हैमलेट स्तर पर ग्रामीण जनता के सुदृढ़ समूह बनाने में सफल हो। जनता का समूह निर्माण महत्वपूर्ण पहला कदम है जो अधिक समय ले सकता है, कम से कम छः माह।
- (ii) साधारणतः निर्धन ग्रामीण लोग अनेकानेक आर्थिक कार्यकलापों में लगे रहते हैं। इसलिए इस समूह के लोगों के लिए आर्थिक कार्यक्रम में जहां एक से अधिक कार्यक्रम शामिल हों, का संगठन और विकास किया जाए।
- (iii) समूह आधार पर आय सृजन कार्यकलाप आयोजित किए जाने चाहिए।
- (iv) आर्थिक कार्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि ग्रामीण लोगों के समूह धीरे-धीरे संपूर्ण कार्यक्रम का प्रबंध अपने ऊपर ले सकें।

आर्थिक कार्यकलाप

- (i) कार्यकलापों में लोगों के मौजूदा कौशलों, अभिकल्पनों और प्रौद्योगिकी का उन्नयन, ऋण, कच्ची सामग्री और बाजार के लिए मध्यस्थों पर निर्भरता कम करने की व्यवस्था, प्रशिक्षण द्वारा अतिरिक्त व्यवसाय वर्धन शामिल हैं। साथ-साथ विभिन्न किस्म के कार्यकलापों पर विचार किया जा सकता है।
- (ii) परियोजना बनाते समय प्रस्तावित कार्यकलाप की आर्थिक व्यवहार्यता प्रदर्शित करने के लिए सरल लागत लाभ विश्लेषण पहले ही किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में कच्ची सामग्री की उपलब्धता और तैयार उत्पादों का विपणन महत्वपूर्ण कारक हैं। इन दो निविष्टियों के संव्यवहार के लिए व्यवस्था की व्याख्या प्रस्ताव में की जानी चाहिए।

- (iii) स्व-सहायता समूह (एसएचजीएस) के आय सृजन कौशल को बनाए रखने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण का आश्वासन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस संबंधन के बगैर कर्पाट द्वारा परियोजना पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्पादन के लिए तथा कार्यचलन आवश्यकताओं के लिए व्यष्टि अथवा सामूहिक परिसंपत्तियों का वित्तपोषण संस्थागत वित्तपोषण अनिवार्य है।
- (iv) यह अनिवार्य है कि समुचित आर्थिक कार्यकलापों का चुनाव निर्धन ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा स्वयं किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तुत करने वाले स्वयंसेवी संगठन स्पष्ट रूप से प्रतिमाह प्रति परिवार सृजित की जाने वाली आय के संबंध में प्रत्येक आर्थिक कार्यकलाप के लाभ/परिणाम, गरीबी रेखा के ऊपर लाए गए परिवारों की संख्या, रोजगार के लिए सृजित किए जाने वाले श्रम दिवस, बेरोजगारी में कमी की सीमा प्रत्येक गांव में सृजित किए जाने कुशल मानवशक्ति के पूल, अवसंरचना के संबंध में अभिवर्धन, जोतयोग्य भूमि का संभावित अभिवर्धन, खाद्यान्न, दुग्ध, बागवानी, सब्जियों आदि के उत्पादन/उत्पादकता में अभिवृद्धि, अथवा कार्यकलापों को क्रियान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप प्रमात्रात्मक रूप से सामाजिक और आर्थिक संकेतकों में कोई भी संभावित परिवर्तन निर्दिष्ट करेंगे।

क्रियान्वयन संगठन की क्षमताएं

- (i) क्रियान्वयन संगठन को निम्न के लिए समर्थ होना चाहिए :-
 - ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समझना।
 - आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की प्राथमिकताओं को समझना।
 - अपने आप को अर्थव्यवस्था के सकारात्मक अंशदायी के रूप में देखने के लिए निर्धनों के लिए कार्यकलाप का निर्माण करना।
 - जन समूह बनाने की आवश्यकता को समझना और उसके लिए कौशल प्राप्त करना।
 - कार्य अभिमुखीकरण का विकास।
 - आर्थिक कार्यकलापों की पहल करना और इन कार्यकलापों में शामिल विभिन्न चरणों को समझना।
 - नियमित क्षेत्रकार्य और अनुवर्ती कार्य के महत्व को समझना।
 - प्रचालन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व होना।
- (ii) कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए संगठन के पास निम्नलिखित कौशल होने चाहिए :-

- व्यवहारिक कुशलता अर्थात आत्मविश्वास निर्माण, समूह निर्माण, नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता, अधिकारियों से संव्यवहार की क्षमता
- व्यवसायिक कौशल अर्थात आय सृजन कौशल
- प्रबंधकीय कौशल अर्थात कच्ची सामग्री की अधिप्राप्ति, विपणन, बजट व्यवस्था, लेखाकरण आदि

निदर्शी कार्यकलाप जिनके लिए यह सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है, निम्नलिखित हैं :-

- जन समूहों का गठन।
- सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण।
- प्रेरणात्मक और जागरूकता निर्माण।
- निर्धन व्यक्तियों का कौशल प्रशिक्षण।
- स्थापना और उत्पादन संबंधी कार्यकलाप।
- विपणन सहायता।
- सामाजिक सहायता सेवाएं (शिशुगृह, बालवाड़ी आदि)।
- कोई अन्य मदें।

परियोजना का स्थायित्व

कपार्ट सहायता बंद होने के बाद इस अवधि के दौरान शुरू किए गए कार्यकलापों और प्रक्रियाओं के अनुवर्तन और निरंतरता के लिए योजना बनाना।

8. सामाजिक और आर्थिक लाभ

कपार्ट द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना में स्पष्ट रूप से परिणामों का उल्लेख किया जाए। परियोजना से परिकल्पित लाभों की विशिष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता होगी। इनमें रोजगार, आय, उत्पादन, परिसंपत्ति और सुविधाओं अथवा परियोजना के लिए उपयुक्त किसी अन्य परिणामों के यूनितों के संबंध में प्रमात्रात्मक होने की क्षमता होनी चाहिए। सामाजिक उपलब्धि जैसे पर्यावरण का सुधार, जागरूकता स्तर में वृद्धि, कौशलों का उन्नयन, आत्म-निर्भरता और इसी प्रकार के तथ्यों को भी प्रमात्रात्मक रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

9. समय-अवधि

परियोजना की समयावधि प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। साधारणतः यह तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। कार्यक्रम के प्रत्येक संघटक के लिए समय-सूची बनाई जाए जिसमें यह दर्शाया जाए कि अनुमानित समय-सूची में संपूर्ण परियोजना को कैसे पूरा किया जाएगा।

9.1 निम्नलिखित 'चैक लिस्ट' सहायक हो सकती है :-

सर्वेक्षण	कामचलाऊ पूंजी
परामर्श	प्रशिक्षण
कार्मिक	प्रचार
भवन	प्रकाशन
कील-कब्जे और फर्नीचर	वाहन
उपकरण	यात्रा
कच्ची सामग्री	आकस्मिक निधियां
मार्जिन धनराशि	निगरानी और मूल्यांकन

विपणन प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इसका विस्तृत ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

लाभार्थी संगठन (ओ.बी.)

लाभार्थी संगठन क्या है?

लाभार्थी संगठन कपार्ट की एक निधिपोषण योजना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे और अन्य लाभ वंचित स्तर के लोगों को उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाता है ताकि वे देश के सशक्त नागरिक बनने में समर्थ हो सकें। इसके अतिरिक्त, यह योजना सामाजिक, आर्थिक अथवा पर्यावरणीय मुद्दों, जो उनके पिछड़ेपन के प्रमुख कारण हैं, के निदान के लिए भी आशयित है। लाभार्थी संगठन के अंतर्गत परियोजनाओं से क्षेत्र के चुने हुए ज्वलंत मुद्दे के लिए लक्षित समूह में जागरूकता पैदा करने और उसे जुटाने की संभावना भी है।

लाभार्थी संगठन परियोजना कैसे संचालित की जाए

लाभार्थी संगठन परियोजना के अंतर्गत यह अनिवार्य है (क) एक दिवसीय जागरूकता शिविर/बैठकों का आयोजन और (ख) क्षेत्र के चुने हुए ज्वलंत मुद्दे से संबंधित दो दिवसीय कार्यशाला।

(क) एक दिवसीय शिविर

कार्यान्वयन अभिकरण को लक्षित गांव/जनसंख्या को 10-15 समूहों में सीमांकित करना चाहिए। तत्पश्चात, यह संगठन एक सर्वेक्षण करेगा और समूहों की पहचान करेगा। स्वैच्छिक संगठन को निम्न दो मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक समूह के साथ एक दिवसीय शिविर/बैठक का आयोजन करना चाहिए :-

- लोगों को उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करना जिसके लिए सरकारी अभिकरणों और/अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं से उपाय कुशल व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकता है।
- चुने हुए 'ज्वलंत मुद्दे' के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि लक्षित स्तर के लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष कर सकें।

किस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे का चयन किया जा सकता है?

चयनित ज्वलंत मुद्दा ऐसा होना चाहिए जिसने लक्षित लोगों को सामाजिक आर्थिक या राजनैतिक रूप से अक्षम बना दिया हो। उदाहरणार्थ, महिलाओं का पिछड़ापन, कानूनी साक्षरता तथा सूचना का अधिकार, भूमि सुधार तथा विधान से जुड़ी सूचना का अभाव, मादक/स्वापक सामग्री की खपत, बाल श्रम इत्यादि जैसे सामाजिक गुनाह इत्यादि।

(ख) कार्यशाला

चुने हुए समूह को एक अथवा दो दिन की कार्यशाला में एक सांझे मंच पर लाए जाने की आवश्यकता है ताकि चुने हुए ज्वलंत मुद्दे के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हो सके। यह कार्यशाला मुख्यतया विशेष रूप से आमंत्रित विषय वस्तु के विशेषज्ञों द्वारा संचालित की जानी चाहिए।

चुने हुए लोगों को कैसे संगठित करें

एक दिवसीय शिविर और कार्यशाला को समापन पर कार्यान्वयन कर रहे स्वयंसेवी अभिकरण से अपेक्षित है कि स्व-सहायता समूहों और युवा क्लब आदि में उनकी व्यक्त विशेष दिलचस्पी के अनुसार लक्षित समूह संगठित करें। इसके बाद इन समूहों/क्लबों को सक्षम प्राधिकरण के पास पंजीकृत कराया जाना चाहिए ताकि वे वैधानिक स्तर प्राप्त कर सकें। इस तरह की संवैधानिक विधायी मान्यता लेने के पश्चात ये समूह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिक प्रभावी रूप से सामूहिक रूप से संघर्ष कर सकते हैं।

कार्यान्वयन अभिकरणों को सलाह दी जाती है कि वे यह नोट कर लें कि लाभार्थी संगठन योजना की कसौटी मात्र जागरूकता पैदा करने वाले शिविर और कार्यशाला का आयोजन ही नहीं है। बल्कि यह योजना संघर्षकारी लोगों की उपर्युक्त सामाजिक इकाइयों के सृजन के लिए आशयित है, जो वहनीय आधार पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रख सकें।

परियोजना प्रस्तावों के मुख्य भाग

लाभार्थी संगठन योजना के अंतर्गत ठीक ढंग से तैयार परियोजना प्रस्ताव का एक शीर्षक, चुने हुए स्थल के प्रासंगिक पूर्ववृत्त, अवस्थल विशिष्ट समस्याओं की पृष्ठभूमि, सुसंकल्पित उद्देश्यों का विवरण, कार्यान्वयन रणनीति, प्रत्येक की संक्षिप्त पृष्ठभूमि सहित प्रत्यययित उपाय, कुशल व्यक्ति, प्रत्याशित लाभ, न्यायोचित बजट प्रस्ताव और अनुकरण की स्पष्ट व सही प्रविधि होनी चाहिए।

लाभार्थी संगठन योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश

1. योजना का शीर्षक : लाभार्थी संगठन योजना

2. उद्देश्य

- (i) उन गरीब लोगों के समुदाय/समूहों को सहायता देना जो अपने प्रयास से अथवा किसी स्वैच्छिक संगठन के प्रयासों से किसी ऐसे हित के लिए, जो पर्याप्त रूप से न्यायोचित या गंभीर हो, तथा उनके आर्थिक स्तर और सामाजिक शक्तिकरण की बेहतरी के लिए उनके अभियान/संघर्ष को बनाए रखने में सहायक हो, संगठित होना चाहते हैं या स्वयं को संगठित कराना चाहते हैं।
- (ii) लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सशक्त करना ताकि योजना, अधिकारों और विधायी हकदारियों के अर्थ में वे, जो सही रूप में उनका है, उसे पाने में समर्थ हो सकें।
- (iii) उस क्षेत्र/देश में इसी तरह के अभियानों के लिए सक्रिय नेटवर्क को समर्थन देते हुए उनकी मोल-तोल करने की शक्ति बढ़ाना।
- (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य लाभ वंचित लोगों के हितों का संरक्षण व समर्थन।
- (v) बहुसंख्य गरीबों और शोषित लोगों के लिए विधायी परामर्श देने और गरीब वादियों को सहायता सहित न्याय प्राप्त करने के लिए कानूनी लड़ाईयां।

नोट : लाभार्थी संगठन मात्र प्रशिक्षण योजना नहीं है और निश्चित रूप से ऐसी योजना नहीं है जो बैठकें आयोजित करने के लिए निधियों की व्यवस्था करे जहां सरकारी योजनाओं, सब्सिडियों अथवा परियोजनाओं के बारे में लाभार्थियों को जानकारी देने के लिए एक बार सरकारी अधिकारियों को बुलाया जाता है। यह अन्याय और शोषण के विरुद्ध लोगों के संघर्षों के बारे में है और यह भ्रष्टाचार और प्राधिकारों के दुरुपयोग से लड़ने के लिए लोगों में वृद्धित आत्मविश्वास में परिणामी होनी चाहिए।

3. पात्रता

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम अथवा अन्य तदनु रूप अधिनियम के अंतर्गत अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा पुण्यार्थ धर्म न्यास अधिनियम, 1990 के अंतर्गत पंजीकृत न्यास के रूप में 3 वर्ष से पंजीकृत सोसायटी की कानूनी स्थिति वाले कार्यरत स्वयंसेवी संगठन। यह शर्त ऐसे समूहों के वास्तविक मामलों में कर्पाट के महानिदेशक द्वारा हटाई जा सकती है जो लोगों के सशक्तीकरण में अत्यंत समर्पित रूप से लगे हैं परन्तु उन्होंने तीन वर्ष की अवधि पूरी नहीं की है।
- (ii) समूह/समुदाय ऐसे कारण/मुद्दे के लिए संगठित होने चाहिए, जो उन अधिसंख्य गरीब लोगों को प्रभावित कर रहे हैं जिनके पास अपना संघर्ष जारी रखने के लिए कोई साधन नहीं हैं।

(iii) कारण/मुद्दा आधारिक निहितार्थ विशिष्टता वाला होना चाहिए। राष्ट्रीय/क्षेत्रीय बैठकों के लिए सामान्यतया निधियां निर्मुक्त नहीं की जाएंगी।

(iv) इस अभियान का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होना चाहिए।

4. परियोजना की विषयवस्तु

(i) यह योजना समूहों विशेषतया महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बंधुआ मजदूरी तथा निशक्त व्यक्तियों के सामाजिक रूप से लाभवंचित समूहों का किसी ऐसे हित/मुद्दे के लिए समर्थन तथा आयोजन करेगी जो पर्याप्त न्यायोचित तथा गंभीर हो तथा जहां लाभार्थी निर्धनतम लोगों में से हों जिनके पास अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए कोई निधियां या संगठन नहीं है।

(ii) यह योजना नम्य तथा व्यापकाधारित है तथा उपर्युक्त से संबंधित किसी भी पहलू को शामिल कर सकती है। तथापि, इसमें निम्न संबंधी कार्रवाई को स्वीकृत नहीं किया जाएगा :-

- वाहनों की खरीद।
- भवन निर्माण, प्रशिक्षण केन्द्र, संगठन के नियमित स्टॉक का वेतन।

5. परियोजना की अवधि

परियोजना की अवधि को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा। तथापि, सामान्यतः यह 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. कार्य योजना

प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित गतिविधियों का स्पष्ट विवरण निहित होगा। कार्ययोजना का निर्माण करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है :-

- (i) प्रमुख गतिविधियों की सूची बनाना
- (ii) इन गतिविधियों का उद्देश्यों तथा अनुमानित लाभों के साथ सीधा संबंध होना चाहिए।
- (iii) प्रत्येक गतिविधि के लिए व्यय अनुसूची तथा यदि संभव हों, संभावित अवधि तथा घटनाओं का क्रम स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

परियोजना प्रस्ताव बनाने का प्रपत्र

लाभार्थियों के संदर्भ में कार्यक्रम का विस्तार (उन गांवों के नाम बताएं जहां से लाभार्थियों को लिया जाना प्रस्तावित है)

गांव का नाम	ब्लॉक	जिला	लाभार्थियों की अनुमानित संख्या

शामिल किए जाने वाले लाभार्थियों के समूह/प्रकार (मुक्त कराए गए श्रमिक, अनुसूचित जाति/जनजाति, भूमिहीन श्रमिक आदि)। यदि प्रस्तावित है कि केवल महिला लाभार्थियों के लक्ष्य समूह को लिया जाना है तो प्रस्ताव में सबसे ऊपर दर्शाएं "विशेष महिला समूह कार्यक्रम।"

लक्षित लाभार्थियों के रूप में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित समूहों को चुनने के कारण बताएं।

अपनाई जाने वाली कार्य योजना विस्तार से बताएं।

(क) आयोजकों का प्रशिक्षण

- (i) आयोजकों का चयन
- (ii) आयोजकों के प्रशिक्षण का स्थान
- (iii) प्रशिक्षण की अवधि
- (iv) यदि आयोजकों का प्रशिक्षण कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किया जाना है तो क्षेत्र के दौरो, संसाधन व्यक्तियों सहित प्रशिक्षण की पाठ्यक्रम सामग्री विस्तार से बताई जाए।

(ख) समूहों का प्रेरण

- (i) किसी विशेष प्रयोजन या कार्य के लिए विभिन्न विधियां या तकनीकें और साधन हो सकते हैं। अतः यह अनुरोध है कि संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली विधि के साथ साधन और तकनीकें, सामग्री और विधि को कार्यक्रम के विस्तार के प्रयोजन हेतु लिखित विवरण में बताया जाए।
- (ii) गांव में आयोजित किए जाने वाले 10-12 लाभार्थियों के छोटे/लघु/तैयारी करने के शिविरों की संख्या, जिनमें से लाभार्थियों को लिया जाना है, बताया जाए। तैयार करने के शिविर लक्ष्य समूह पर निर्भर करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जाए कि उन्हें 5-7 दिनों के मुख्य शिविर के लिए तैयार करने के लिए सूचना के प्रसार के कितने दोहराव करने की आवश्यकता होगी, जिनमें संगठन के अपने कार्मिकों के अतिरिक्त सरकारी अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों, विकास कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों जैसे संसाधन व्यक्तियों को बुलाया जाएगा तथा आयोजक इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(iii) मुख्य जागरूकता उत्पादन शिविर कार्यक्रम

(क) मुख्य शिविर का स्थान गांव ब्लॉक जिला

(ख) गांव (वों) से शामिल किए जाने वाले लाभार्थियों की अनुमानित संख्या

(ग) अन्य व्यक्तियों की अनुमानित संख्या, जिसे शिविर के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा, जो हैं संसाधन व्यक्ति, कार्यान्वयन अभिकरण के कार्मिक, आयोजक आदि, जिन्हें लाभार्थी नहीं माना जा सकता।

(घ) मुख्य शिविर की अवधि।

(ङ) आमंत्रित किए जाने वाले प्रस्तावित संसाधन व्यक्ति।

(च) ऐसे विषय जिन पर लाभार्थियों के बीच जागरूकता लानी है।

(छ) जागरूकता लाने और लाभार्थियों को संगठित करने में अपनाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें

(iv) **अनुपालन कार्यवाही :**

- (क) समूहों का निर्माण और समर्थन कार्यवाही
- (ख) यदि समूहों को औपचारिक समूह में संगठित किया जाना है तो संगठित करने के प्रयोजन से संविधान के निर्माण, प्रस्ताव पारित करने और समूहों को औपचारिक रूप से पंजीकृत करने की जानकारी विस्तार से दी जाए, कि इस शिविर से क्या अपेक्षित है।
- (ग) उद्देश्यों और प्रयोजन सहित आयोजित किए जाने वाले कार्य समूह और आर्थिक समूह।

5. **अनुमानित लाभ :** (कृपया अपेक्षित लाभों को विस्तार से बताएं जिन्हें जागरूकता उत्पादन कार्यक्रमों और लाभार्थियों को संगठित करने से होने की कल्पना की गई है)

(क)

(ख)

(ग)

6. **परियोजना के वित्तीय विवरण :**

मद

राशि (रु.)

- (क) आयोजकों का प्रशिक्षण (6 माह की प्रशिक्षण सामग्री आदि के लिए यात्रा, मानदेय)
- (ख) लक्ष्य समूहों का प्रेरण (छोटे शिविरों या तैयारी के शिविरों का आयोजन, यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग, मानदेय, ऑडियो-विजुअल सहायक सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री आदि)

- (ग) जागरूकता उत्पादन कार्यक्रम और अनुवर्तन (संसाधन व्यक्तियों को बोर्डिंग, लॉजिंग, यात्रा, मानदेय, प्रशिक्षण सामग्री, किराए पर ऑडियो-विजुअल सहायक सामग्री, जिले के अंदर सामूहिक दौरे आदि)
- (घ) समूहों का निर्माण और समर्थक कार्यवाही (यात्रा, स्टेशनरी, प्रशिक्षण सामग्री सहित पोस्टर, शिविर, कानूनी सहायता आदि)

कुल

प्रगति प्रतिवेदन का प्रपत्र

..... अवधि का प्रतिवेदन

भाग-I :

1. एजेंसी का नाम
2. आयोजक का नाम
3. कार्यक्षेत्र गांव
- पंचायत.....
- तहसील / ब्लॉक.....
- जिला.....
- राज्य
4. विवरण या तैयारी के कार्य
- (क) कार्य क्षेत्र का चयन
-
-
- (ख) प्रतिभागी समूह का चयन
-
-
- (ग) कार्य विधि (संपर्क स्थापित करना, सामाजिक जागरूकता बनाना आदि)
-
-

भाग - II

5. लाभार्थियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित शिविरों के विवरण

(क) शिविरों की संख्या

.....
.....

(ख) शिविर (रों) का स्थान और स्थल

.....
.....

(ग) प्रतिभागियों की संख्या

.....
.....

(घ) प्रतिभागियों का विवरण

(i) पुरुष

(ii) महिलाएँ

(iii) भूमिहीन श्रमिक

(iv) उपेक्षित किसान

(v) छोटे किसान

(vi) ग्रामीण शिल्पकार.....

(ङ) वर्तमान लाभार्थी

.....
.....

(च) संभावित लाभार्थी

.....

- (छ) सरकारी अधिकारियों की प्रतिभागिता
- (i) ग्राम सेवक / सेविकाएँ
- (ii) ब्लॉक स्तर के अधिकारी
- (iii) जिला स्तरीय अधिकारी
- (झ) चर्चा में आए प्रमुख मुद्दे (संक्षेप में)
- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

6. जागरूकता बनाने में प्रयुक्त अन्य साधन / कदम

.....

.....

.....

.....

7. आरंभ की गई अनुपालन गतिविधियाँ

- (i) समूह निर्माण (विस्तार से बताएँ)
-
-
- (ii) विचार में लिए गए वैयक्तिक मामले (विस्तार से बताएँ)
-
-

(iii) संभावित समस्याएँ और उन्हें सुलझाने के लिए सुझाव

.....
.....

8. कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन

.....
.....
.....
.....
.....

भाग – III

परियोजना प्रपत्र के बिन्दु 6 के तहत सूचीबद्ध प्रत्येक मद के अंतर्गत व्यय के ब्यौरे

.....
.....
.....
.....
.....

दिनांक

स्वैच्छिक संगठन के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना (एआरटीएस) के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिशानिर्देश

उद्देश्य

ग्रामीण समृद्धि के अभिवर्धन के लिए समुचित प्रौद्योगिकियों के विकास तथा प्रसार के संबंध में परिषद् के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संगत अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास एवं प्रसार के लिए सभी प्रयासों के समन्वयन के लिए राष्ट्रीय नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करना;
2. उचित प्रकार संकेन्द्रित एवं आवश्यकता आधारित परियोजनाओं के अभिचिह्नांकन एवं निधिकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समुचित प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना;
3. अनुसंधान एवं विकास की विद्यमान संस्थाओं को सुदृढ़ करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अंत प्रयोक्ताओं के बीच समुचित प्रौद्योगिकियों का आवश्यकताधारित अध्ययन, सर्वेक्षण, अनुकूलन अनुसंधान एवं विकास, क्षेत्र परीक्षण, प्रदर्शन, प्रसार तथा लोकप्रियकरण एवं मूल्यांकन करने के लिए नई संस्थाएं स्थापित करना;
4. सूचना के समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकियों के आंकड़ा बैंक का निर्माण करना;
5. मशीनरी, औजारों, उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जों के विनिर्माताओं तथा प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना के प्रसार द्वारा सिद्ध प्रौद्योगिकियों का विपणन सुसाध्य बनाना;
6. स्वैच्छिक अभिकरणों, सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा जन सदस्यों को समुचित ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के अंतरण के लिए एक संपर्क के रूप में कार्य करना;
7. क्षेत्रीय आधार पर गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के एक संजाल का सृजन करना जो ग्रामीण प्रौद्योगिकी को समझ सके तथा फिर उसके महत्व को ग्रामीण क्षेत्रों तक अग्रेनीत कर सके;
8. ग्रामीण युवाओं, शिल्पकारों, महिलाओं तथा अन्य लक्षित समूहों की विकास कार्यक्रम में प्रभावपूर्ण सहभागिता के लिए उनके कौशलों के उन्नयन हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सहायता करना;
9. ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी अभिकरणों, तकनीकी संस्थाओं एवं स्वैच्छिक अभिकरणों के बीच अंतःक्रिया का संवर्धन करने के लिए जागरूकता कैम्पों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बैठकों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, परामर्श का आयोजन करना अथवा उन्हें प्रायोजित करना;
10. समुचित प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए दस्तावेजों, आवधिक पत्रिकाओं, बुलेटिन, मोनोग्राफ, पुस्तकों, वीडियो फिल्म तथा सीडी इत्यादि का प्रलेखन करना, उन्हें तैयार, मुद्रित तथा प्रकाशित करना।

परियोजना प्रस्ताव के बुनियादी उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि का वर्धन करने के लिए उन्नत तकनीकों एवं समुचित प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा कौशल का उन्नयन करना, नीरसता को कम करना, शारीरिक श्रम को कम करना, कुशलता वर्धन, उत्पादकता वर्धन, गुणता सुधार, आय वर्धन, रोजगार सृजन, माहौल परिष्करण, अपशिष्ट पदार्थों का पुनःचक्रण, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, स्वास्थ्यकर दशाओं में सुधार तथा ग्रामीण जनसाधारण के जीवन की गुणता में सुधार लाना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं :-

- कार्योन्मुखी परियोजना के क्रियान्वयन को सुसाध्य बनाने अथवा प्रौद्योगिकी उन्मुखी कार्य परियोजनाओं के पूर्ण होने पर उनके प्रभाव निर्धारण के लिए मार्ग अन्वेषक क्रिया के रूप में सर्वेक्षणों का संचालन करना।
- सक्रिय समुदाय सहभागिता के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शन, प्रसार, प्रचार तथा लोकप्रियकरण के जरिए आवश्यकता आधारित समुचित प्रौद्योगिकियों का अंतरण।
- नई ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का अनुकूलन अनुसंधान एवं विकास अथवा विद्यमान प्रौद्योगिकियों का इष्टतम उपयोग।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा उद्यमकारिता विकास कार्यक्रम।
- ग्रामीण उत्पादकों को नेटवर्क में शामिल तथा संगठित करना, ग्रामीण उद्यमों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय निविष्टियां उपलब्ध कराना तथा तकनीकी, वित्तीय तथा विपणन समर्थन, सहायता एवं सहयोग के लिए स्थानीय/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ संबंधन करना।
- ग्रामीण समृद्धि बढ़ाने के लिए समुचित प्रौद्योगिकियों के अंतरण, बेहतर प्रबंधन तथा विपणन सुविधाओं के लिए ग्रामीण अवस्थलों में संगठनात्मक संरचनाओं की स्थापना।
- पत्रकों, विवरणिकाओं, बुलेटिन, पुस्तिकाओं, समाचार पत्रिकाओं, सीडी, फिल्म, इंटरनेट तथा अन्य दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के जरिए संगत वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सूचना का प्रसार,
- परियोजना प्रस्ताव में व्यवहार्य एवं विशिष्ट योजनाओं के पर्याप्त ब्यौरे परिलक्षित होने चाहिए। ऐसी योजनाओं के बजट में, अन्य बातों के अलावा, परिव्यय की तुलना में हासिल किए जाने वाले संभावित विशिष्ट प्रमात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्य प्रकट किए जाने चाहिए।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (एआरटीएस) में ग्रामों में, विशेषरूप से लाभवंचित वर्गों के लिए अभिनव ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के संवर्धन पर मुख्य बल दिया गया है। ऐसी प्रौद्योगिकियों को अभिनव माना जाता है जो नव अभिकल्पित हैं तथा जीव क्षमता के लिए जिनका प्रयोगशाला परीक्षण कर लिया गया है किन्तु अभी उनका न तो केन्द्र तथा राज्य सरकार के विस्तार अभिकरणों द्वारा संवर्धन किया जा रहा है न ही बैंक/सांस्थानिक वित्त के लिए अर्हक होने के लिए अभी उनका वाणिज्यीकरण किया गया है। तथापि पारम्परिक प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में इस नियम में अपवाद किया गया है, जो संगत होते हुए भी सरकारी संस्थाओं द्वारा पर्याप्त समर्थन एवं सहायता के अभाव में अनप्रयुक्त हो गई हैं। इस श्रेणी में, धात्विक विज्ञान, भवन निर्माण तथा चिकित्सा की पारम्परिक प्रणालियों इत्यादि को समर्थित किया जा रहा है। सुस्थापित प्रौद्योगिकियों के संवर्धन के लिए एक परियोजना को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित

देश के विभिन्न भागों में बृहतर पैमाने पर ऐसी प्रौद्योगिकियों के विस्तार के लिए उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है।

किन प्रौद्योगिकियों को समर्थन दिया जाता है?

- प्रस्तावित प्रौद्योगिकी सरल, सीखने के लिए सहज, प्रदर्शन के लिए आसान, अनुरक्षण करने के लिए आसान, लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से लक्षित समूहों को स्वीकार्य होनी चाहिए।
- प्रौद्योगिकी में स्थानीय रूप से उपलब्ध मानव संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा यथा संभव सीमा तक स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, जो वर्तमान में अनप्रयुक्त/अल्प प्रयुक्त हैं या गलत ढंग से प्रयुक्त किए जा रहे हैं।
- प्रस्ताव पूर्णतया अनुसंधान-उन्मुखी तथा संगठन के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु नहीं होना चाहिए।
- यह लक्षित समूहों के लिए लाभों का प्रदर्शन करने के लिए व्यावहारिक रूपरेखा पर प्रयोज्य होना चाहिए।
- परियोजना प्रस्ताव के संबंध में निर्णय अनिवार्यतः उत्पादों की विपणनेयता की कसौटी के आधार पर लिया जाएगा। वस्तुतः प्राप्त सभी परियोजना प्रस्तावों का लागत लाभ विश्लेषण करना कर्पाट द्वारा परियोजना निरूपण का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए।
- विभिन्न प्रौद्योगिकियों के संबंध में अनुकूलन एवं अपनाए जाने वाले अनुसंधान प्रस्तावों का मानकीकरण विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी निकायों यथा सीएसआईआर, डीबीटी, डीएसटी इत्यादि के साथ संबंधनों की स्थापना के जरिए किया जाना चाहिए।
- सभी प्रौद्योगिकियों को, जो आवश्यकता आधारित अभिनव हैं, संसाधनों सहित स्थानीय विशेषज्ञता का प्रयोग करती हैं तथा जिनमें प्रसार एवं अनुकूलन का संघटक है, संवर्धित किया जाना चाहिए।

मुख्य क्षेत्र जिनके अंतर्गत कर्पाट ग्रामीण जनसाधारण के लिए अभिनव प्रौद्योगिकी उन्मुखी परियोजना प्रस्तावों को समर्थित करता है, निम्न प्रकार हैं :-

- ❖ स्थायी कृषि एवं सहबद्ध प्रौद्योगिकियां
- ❖ ग्रामीण उद्योग
- ❖ निम्न लागत भवन निर्माण प्रौद्योगिकियां
- ❖ ग्रामीण ऊर्जा – अपारम्परिक/ऊर्जा किफायती प्रौद्योगिकियां
- ❖ जल संबंधित प्रौद्योगिकियां
- ❖ पारम्परिक औषधियां एवं औषधीय पौधे

- ❖ जैव प्रौद्योगिकी
- ❖ खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण
- ❖ बायोमास उपयोग
- ❖ उद्यमकारिता विकास कार्यक्रम
- ❖ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)
- ❖ प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं विपणन
- ❖ जैव ईंधन संयंत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों की खेती
- ❖ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार
- ❖ जागरूकता सृजन एवं कौशल उन्नयन
- ❖ बैठकों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन
- ❖ प्रलेखन, प्रकाशन तथा सूचना प्रसार
- ❖ ग्रामीण निर्धनों के लाभार्थ सभी अन्य नव उदीयमान प्रौद्योगिकियां

प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र (टीआरसी)

ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को समुचित प्रौद्योगिकियों का प्रसार कपार्ट का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य से कि ग्रामीण समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से लाभवंचित वर्गों को स्थायी लाभ उपार्जित हों, उन सिद्ध तथा स्थायी पारिस्थितिकी अनुकूल प्रौद्योगिकी पैकेजों के विस्तार को प्रमुख महत्व की प्रक्रिया माना जाता है जो रोजगार का सृजन करे, उत्पादन में वृद्धि करें, गुणवत्ता में सुधार लाए, नीरसता को कम करें, आय को बढ़ाए तथा रहन-सहन की दशाओं में सुधार करें। ऐसा आधारिक स्तर के गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा प्रभावी रूप से किया जा सकता है। तथापि इनमें से अधिकांश गैर-सरकारी संगठनों को उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चुनाव, क्षेत्र दशाओं के प्रति अनुकूलन, लाभार्थियों के प्रशिक्षण, अंतर्ग्रस्तता एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधारित समर्थन सहित अंतरण हेतु समुचित प्रविधियों के संबंध में तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों (टीआरसी) द्वारा पूरा किए जाने की परिकल्पना की गई है जो :-

- आधारिक स्तर के गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की प्रौद्योगिकी प्रसार कार्यक्रम शुरू करने के लिए अभिचिह्नांकन, प्रेरण तथा नेटवर्किंग करेगा तथा उनके लिए परियोजनाओं को उत्प्रेरित करेगा;
- प्रसार में अंतर्ग्रस्त गैर-सरकारी संगठनों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा;
- सभी संबंधित कार्यों यथा व्यवहार्यता अध्ययन, प्रशिक्षण, प्रलेखन, बाजार निर्माण/संवर्धन इत्यादि में सहायता प्रदान करेगा;
- क्षेत्र दशाओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास एवं समावेशन करेगा;

- प्रौद्योगिकी पैकेजों का अनुकूलन अथवा इष्टतम प्रयोग करेगा;
- क्षेत्र में इन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा;
- पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय सरकारी अभिकरणों के साथ संबंधनों का विकास/संवर्धन करेगा;
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों/संस्थाओं के साथ संवधन स्थापित करेगा ताकि गैर-सरकारी संगठनों के लिए तथा अंततः लोगों की ओर उनकी विशेषज्ञता को सरणीकृत किया जा सके।
- ग्रामीण उद्यमियों के उत्पादों के अभिकल्पन विकास, गुणता सुधार में तथा उसके विपणन में सहायता करेगा;
- स्वैच्छिक संस्थाओं की पहुंच क्षमता को वर्धित एवं सुदृढ़ करेगा।

अतः ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों (टीआरसी) के रूप में प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रौद्योगिकी अंतरण संस्थाएं स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम कपार्ट द्वारा शुरू किया गया। इन केन्द्रों का अभिकल्पन विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने, यथावश्यक आशोधन करने तथा प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विनिर्माण के जरिए जीवक्षम प्रौद्योगिकियों के अंतरण की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए किया गया है। इन केन्द्रों की एक अद्वितीय विशिष्टता यह है कि इन सब का प्रबंधन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाता है जिनके पास तकनीकी सक्षमता का उच्चांश है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुकूलन अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी अंतरण के सिद्ध ट्रैक रिकार्ड वाले स्वैच्छिक संगठनों को आवश्यक अवसंरचना के सृजन तथा कुछ आवर्ती व्ययों के लिए एक बारगी अनुदान की सहायता दी जाती है। इन केन्द्रों द्वारा उस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की कमियों के संदर्भित करने हेतु संकेन्द्रण बिन्दुओं के रूप में कार्य करने तथा सरकार एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अभिचिह्नित प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के उत्तर स्वरूप सुमेल समाधानों का सृजन करने की आशा है। ये केन्द्र विभिन्न स्तरों विशेषतः प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करते हैं।

प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र के लिए आवेदन करने हेतु बुनियादी पात्रता मानदंड निम्न प्रकार हैं :-

- कम से कम पांच वर्षों के लिए अभिनव प्रौद्योगिकियों के अभिकल्पन विकास तथा प्रसार में प्रदर्शन योग्य उपलब्धियां।
- प्रौद्योगिकी अनुकूलन, अंगीकरण एवं विनिमय गतिविधियों में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के साथ संबंधों एवं अंतःक्रिया का साक्ष्य।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अनुकूलन अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी अंतरण का अच्छा ट्रैक रिकार्ड।
- प्रशिक्षण सुविधाओं, कार्यशालाओं, प्रयोगशालाओं, औजारों एवं उपकरण इत्यादि जैसी पर्याप्त अवसंरचना।
- प्रस्तुतीकरण, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकियों के प्रसार की व्यावसायिक क्षमताएं।
- क्षेत्र में अन्य स्वैच्छिक संगठनों के साथ परस्पर क्रिया की स्वेच्छापूरण नीति तथा उनकी आवश्यकताओं के प्रति स्वतः अनुक्रिया में रूचि।

सरकार ने संस्थाओं/स्वायत्त निकायों का सृजन किया जो पंजीकृत निकाय है तथा इन्हें भी कर्पाट के प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र माना जा सकता है। तथापि ऐसी संस्थाओं के अभिचिह्नांकन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जो प्रौद्योगिकी को वस्तुतः लक्षित समूहों को अंतरित कर सके। ऐसे संगठनों पर विचार करते समय, केवीके का संचालन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को भी चयनात्मक आधार पर प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र की परिधि में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अपनी प्रयोगशालाओं में प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाले विश्वविद्यालयों को भी प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र माना जा सकता है यदि वे अपनी प्रौद्योगिकियों का विस्तार क्षेत्र स्तर तक करने के इच्छुक हों। ऐसे विश्वविद्यालय को विषयवस्तु के विशेषकर, प्रयोगशाला सुविधाओं तथा क्षेत्र स्टॉक सहित प्रौद्योगिकी विस्तार स्क्व के लिए निधियां नहीं मांगनी चाहिए। ऐसे संगठनों के लिए प्रचालन क्षेत्र लगभग 100 ग्राम होगा। किसी भी मामले में, कर्पाट अनावर्ती/अवसंरचना सृजन/पूंजी निवेश के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराएगा। तथापि, यदि संगठन को प्रस्तावित गतिविधियों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक कुछ अनुपूरक मदों के लिए न्यूनतम अनावर्ती अनुदान की आवश्यकता है तो उसपर केवल 5 लाख रुपए की वित्तीय सीमा तक विचार किया जा सकता है। कर्पाट गैर-सरकारी संगठनों तथा अंतःप्रयोक्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने, प्रदर्शन, क्षेत्र परीक्षणों, अनुकूलन अनुसंधान संचालन, प्रलेखन एवं प्रकाशन तथा उनके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराएगा।

यहां यह महत्व देना आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों से प्राथमिक प्रत्याशाएं ग्रामीण समाज के लाभ वंचित वर्गों तक पहुंचने के लिए कर्पाट के भागीदारों के रूप में कार्य करना है। प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों को लोगों से पृथक तथा दूर 'उत्कृष्टता केन्द्रों' के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि उन्हें प्रदर्शन योग्य तथा स्थायी प्रभावों वाले परिवर्तन के सक्रिय साधनों के रूप में परिलक्षित किया जाता है जो नवीनीकरण एवं सृजन करने के लिए सुसज्जित, भिन्न-भिन्न आयामों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों को आरंभ करने एवं बनाए रखने में सक्षम है। इस प्रकार गैर-सरकारी संगठनों को प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों के रूप में नामोदिष्ट करने (तथा सहायता करने) के लिए उन्हें अभिचिह्नांकित करते समय मुख्य विचारणा यह देखना है कि क्या गैर-सरकारी संगठन का परिप्रेक्ष्य, विगत गतिविधियां, क्षमताएं तथा अवस्थल उक्त उद्देश्यों के लिए, विशेषतः इसकी पहुंच क्षमता के लिए अनुकूल हैं। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि भावी संभाव्यताओं को सुदृढ़तापूर्वक निर्दिष्ट किया गया है तो उसे भी हिसाब में लिया जाना चाहिए।

इस विस्तृत परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में, गैर-सरकारी संगठन निम्नलिखित संभागों में दिए गए ढांचे/प्रारूप के आधार पर प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों के रूप में नामोदिष्ट किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा कार्य कार्यक्रम के स्वरूप में होना चाहिए क्योंकि प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र का प्राथमिक लक्ष्य पहुंच को बढ़ाना तथा सुदृढ़ करना है। इसमें नीचे दिए गए प्रारूप में यथा वर्णित संगत सूचना भी निहित होनी चाहिए।

प्रारूप को तीन भागों में विभाजित किया गया है :-

- | | |
|-------|---|
| भाग क | पृष्ठभूमि सूचना – स्वैच्छिक संगठनों के विगत अभिलेखों तथा अनुभव के ब्यौरे। |
| भाग ख | प्रस्तावित कार्य कार्यक्रम- किए जाने वाले कार्य कार्यक्रमों के ब्यौरे अनुबंधों/अनुलग्नकों सहित प्रविधि एवं समय-अनुसूची विनिर्दिष्ट करते हुए |
| भाग ग | बजट अनुमान – औचित्य सहित अनावर्ती एवं आवर्ती मदों की अनुमानित लागत विनिर्दिष्ट करते हुए ब्यौरेवार बजट अनुमान। |

ये कर्पाट द्वारा अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेजों के अलावा हैं; यथा

- (i) निर्धारित प्रारूप में संगठनात्मक रूपरेखा,
- (ii) मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र, संगठन के ज्ञापन तथा उपविधियों की सत्यापित फोटोप्रतियां,
- (iii) स्वैच्छिक संगठन के पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित लेखा विवरणों तथा तुलनपत्र की फोटोप्रति,
- (iv) स्वैच्छिक संगठन की पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें,
- (v) आयकर विभाग/प्राधिकरण से प्राप्त पैन संख्या/छूट आदेश से संबंधित दस्तावेज अथवा इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को भेजा गया अनुरोध पत्र।
- (vi) स्वैच्छिक संगठन के एक वर्ष पुराने बैंक/डाकखाने के खाते का साक्ष्य

प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र के लिए प्रस्ताव

भाग क : पृष्ठभूमि सूचना

1. कार्य क्षेत्र

ब्लॉक, जिले, राज्य जहां प्रौद्योगिक संसाधन केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियां संचालित की जाएंगी; जलवायु, कटिबंधीय, प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक-आर्थिक सहायता के अर्थ में क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण तथा जनसंख्या की प्रास्थिति एवं लाभवंचित वर्गों की मुख्य आवश्यकताएं।

2. परिप्रेक्ष्य/दृष्टिकोण

विस्तृत परिप्रेक्ष्य जिसमें आवेदक गैर-सरकारी संगठन द्वारा विगत गतिविधियां संचालित की गई हैं।

3. अनुभव

वर्षों की संख्या जबसे गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं; विशिष्ट रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित कार्य में वर्षों की संख्या I ब्यौरे दें।

4. विशेषज्ञता की श्रेणी

प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के ब्यौरे जिनमें कार्यक्रम संचालित किए गए हैं; अनुभव एवं क्षमताएं।

5. प्रौद्योगिकी विकास/अनुकूलन

विकसित प्रौद्योगिकियों के तथा स्थानीय दशाओं या आवश्यकताओं के अनुकूल बनाई गई प्रौद्योगिकियों के ब्यौरे दें। इनमें वर्ष, तकनीकी ब्यौरों, निष्पादन की गई आवश्यकताओं, क्षेत्र परीक्षण परिणाम, अंतर्ग्रस्त विशेषज्ञों एवं प्रचार प्रयासों के ब्यौरे होने चाहिए।

6. समाहित प्रौद्योगिकियां

संख्या, स्रोत, विधि, क्या अनुकूलन किया गया है, प्रचार प्रयास एवं परिणाम।

7. प्रसार कार्यक्रम

अन्य गैर-सरकारी संगठनों तथा जरूरतमंद लोगों को प्रसार की गई प्रौद्योगिकियां की संख्या तथा स्वरूप। प्रविधि, अंतर्ग्रस्त लोगों की संख्या एवं वर्तमान प्रास्थिति के ब्यौरे दें।

8. क्षेत्र कार्यक्रमों का स्थायित्व

क्या क्षेत्र स्तर प्रसार कार्यक्रम स्थायी है; आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण संबंधी स्थायित्व किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है। ब्यौरे दें।

9. लाभार्थियों की प्रास्थिति

आज तक संचालित सभी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे; चयन की विधि, संख्या, सामाजिक-आर्थिक प्रास्थिति, उपलब्ध कराए गए लाभों का स्वरूप, अनुवर्तन तथा वर्तमान प्रास्थिति।

10. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एवं टी) क्षमता

गैर-सरकारी संगठनों के पास वर्षों की संख्या तथा अर्हकता के ब्यौरों सहित इन-हाऊस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्मिकों की संख्या; परामर्शदाताओं, दौरे पर आने वाले विशेषज्ञों इत्यादि के लिए भी यही सूचना। साथ ही सहायक अवसंरचना यथा प्रयोगशाला सुविधाएं, पुस्तकालय इत्यादि के ब्यौरे।

11. गैर-सरकारी संगठनों के साथ संबंधन

सम्पर्क में गैर-सरकारी संगठनों की संख्या; उनके नाम, अवस्थल, अवधि तथा सम्पर्क का स्वरूप (संयुक्त रूप में कार्यरत, प्रेरित किए जा रहे)। नेटवर्किंग का स्वरूप; औपचारिक संरचना या आवश्यकधारित। उन गैर-सरकारी संगठनों के साथ संबंधन जिनमें विचारों का या सूचना का विनिमय होता है या सहायता/समर्थन प्राप्त किया जाता है; नाम तथा अवस्थल।

12. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अभिकरणों/संस्थाओं के साथ संबंधन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था का नाम, अवस्थल, संबंधन का स्वरूप, सामान्य अनुभव।

13. अवसंरचना

कार्यालय, सुविधाओं, सूचना संचार प्रणालियों, रिहायशी, कार्यशेड, इन हाऊस परीक्षणों के लिए क्षेत्र, पुस्तकालय के ब्यौरे।

14. अन्य संगठनात्मक पहलू

निर्णय प्रक्रिया, उत्तरदायित्व वितरण, (प्रमुख) कार्मिकों के कारोबार, संपत्ति हकदारिता के संबंध में ब्यौरे। साथ ही क्षेत्र में लोगों के साथ संबंध के बारे में कुछ सामान्य अभ्युक्तियां (गुणात्मक)।

भाग ख : कार्य कार्यक्रम

यहां केवल न्यूनतम संकेतकों का सुझाव दिया गया है क्योंकि आवेदक गैर-सरकारी संगठनों के पास अपने कार्य कार्यक्रम का विकास करने में पूर्ण नम्यता होनी चाहिए।

पृष्ठभूमि

(i) शामिल किए जाने वाले क्षेत्र

ग्रामों तथा ब्लॉकों के ब्यौरे, यदि वर्तमान प्रचालन क्षेत्र से भिन्न हैं, तो जलवायु, भौगोलिक सामाजिक एवं आर्थिक ब्यौरे दे, चुनाव के लिए कारण स्पष्ट करें।

(ii) क्षेत्र में लोगों की आवश्यकता

सामाजिक-आर्थिक रूप से लाभवंचित वर्गों की प्रमुख आवश्यकताओं पर संकेन्द्रण करते हुए तथा प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप के लिए सुग्राही वर्गों को अभिचिह्नांकित करते हुए क्षेत्र अन्वेषणों पर आधारित एक संक्षिप्त विवरण।

(iii) अपनाई जाने वाली प्रस्तावित कार्यनीति

इन आवश्यकताओं का निवारण करने के लिए(अनिवार्यतः) बहुमुखी कार्यनीति की व्यापक रूपरेखा।

उद्देश्य

ये ठोस होने चाहिए, उदाहरणार्थ नेटवर्क किए जाने वाले एनजीओ की संख्या, सीधे अंतर्ग्रस्त लाभार्थियों की संख्या, आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्थापित किए जाने वाले उत्पादन आधारित स्थायी यूनिटों की संख्या।

अवधि

3 से 5 वर्षीय कार्य कार्यक्रम वांछनीय है किन्तु अपवादात्मक तथा औचित्यपूर्ण मामलों में नम्यता अनुमत की जा सकती है।

तकनीकी

(i) प्रसारित की जाने वाली प्रौद्योगिकियां

कारण, प्रास्थिति, तकनीकी ब्यौरे, लागत लाभ विश्लेषण बताएं।

(ii) प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रस्तावित अनुकूलन

अनुकूलन अनुसंधान एवं विकास के लिए कारण तथा प्रविधि; तकनीकी ब्यौरे एवं कार्य का संकेन्द्रण बताएं।

(iii) समाहित की जाने वाली प्रौद्योगिकियां

कारण, प्रास्थिति, परीक्षण परिणाम, तकनीकी ब्यौरे, लागत लाभ विश्लेषण तथा स्रोत बताएं।

(iv) स्थायित्व

इसमें कच्ची सामग्री, बाजार, कौशलों की स्थानीय उपलब्धता का निर्धारण शामिल होना चाहिए।

प्रविधि

(i) कार्यक्रम की सामान्य प्रविधि

क्रमानुसार गतिविधियां का विकास कारणों सहित। इसमें जागरूकता सृजन, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, बाजार निर्माण इत्यादि शामिल होने चाहिए।

(ii) गतिविधि की अनुसूची

कार्य की माहवार योजना

(iii) अंतर्ग्रस्त किया जाने वाला मौजूदा स्टॉफ

प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र के लिए तथा प्रस्तावित संवर्धन के लिए प्रतिनियुक्त किए जाने वाले वर्तमान स्टाफ के नाम योग्यता एवं अनुभव सहित दें।

(iv) अंतर्ग्रस्त किए जाने वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अभिकरण

ऐसे संबंधनों के नाम तथा विशिष्ट स्वरूप बताएं।

(v) पंचायती राज संस्थाओं का सम्मिलन

पंचायती राज संस्थाओं की पहचान, सम्मिलन की विधि तथा सम्मिलन के लिए कारण निर्दिष्ट करें।

(vi) प्रलेखन

प्रस्तावित प्रलेखन में पूर्व-परियोजना आधार रेखा तिथि, अभिलेख अनुरक्षण की नियमित प्रणाली; पत्रिकाओं इत्यादि का प्रकाशन, रिपोर्टें शामिल होनी चाहिए।

प्रभाव

(i) प्रभाव संकेतक

प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना; रोजगार, आय वर्धन, पर्यावरणीय, गरीबी रेखा, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक इक्विटी, कौशल उन्नयन तथा क्षमता निर्माण, गुणात्मक तथा प्रमात्रात्मक अनुमान एवं उनके कारण।

बजट

i. श्रम शक्ति आवश्यकताएँ

औचित्य सहित वर्तमान उपलब्धता और प्रक्षेपित आवश्यकताएँ बताएँ।

ii. बजटीय आवश्यकताएँ

औचित्य सहित वर्तमान उपलब्धता और प्रक्षेपित आवश्यकताएँ बताएँ।

iii. बजटीय आवश्यकताएँ

श्रम शक्ति, आधारभूत सुविधाएँ, सामग्री तथा पूर्ति, उपस्कर तथा मशीनरी, प्रशिक्षण, यात्रा, प्रलेखन, जागरूकता सृजन, उपशीर्ष आदि सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम के लिए न्यायोचित विस्तृत ब्यौरा दें। वर्ष वार सारांश का भी उल्लेख करें।

भाग ग : संलग्नक और अनुलग्नक

अनुलग्नक

1. उन गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिनके साथ इस समय सम्पर्क एवं संबंध हैं।
2. उन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं की सूची जिनके साथ इस समय सम्पर्क एवं संबंध हैं।
3. उन गांवों की सूची जहां आवेदक गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहा है।
4. विशेषज्ञों की सूची (और उनकी अर्हता) जो नियमित रूप से आवेदक गैर-सरकारी संगठन के कार्यकलापों में योगदान करते हैं।
5. सभी निधिकरण एजेंसियों का (10 वर्ष के लिए) सारांश और उनसे प्राप्त कुल निधियां।
6. उपलब्ध वैज्ञानिक उपकरणों की सूची।
7. विद्यमान आधारभूत सुविधाओं की सूची।

अनुलग्नक

1. किसी अन्य प्रकाशन (नों) का ब्रोशर, बुकलैट।
2. पिछले तीन वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन।
3. सभी प्रकाशनों की प्रतियां, विशेष रूप से पिछले तीन वर्ष में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों, कार्यक्रमों, मुद्दों आदि से संबंधित।
4. पिछले तीन वर्ष में आवेदक गैर-सरकारी संगठन के सदस्यों द्वारा गोष्ठियों/कार्यशालाओं के लिए प्रस्तुत (कोई हों तो) दस्तावेजों के संदर्श।

एआरटीएस परियोजना प्रोफाइल के लिए प्रपत्र

(दो प्रतियाँ जमा की जाएँ)

1. परियोजना का शीर्षक

(कृपया उल्लेख करें कि यह/सादृश्य प्रस्ताव निधिकरण हेतु कहीं और प्रस्तुत किया गया है)

2. परियोजना का सारांश (प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त विवरण संलग्न किया जाए लक्षित क्षेत्रों में प्रस्तावित प्रौद्योगिकी के विस्तार करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा विगत प्रयासों का भी, यदि कोई हों, तो उल्लेख करें।)

3. परियोजना के लक्ष्य:

4. प्रस्तावित गतिविधियाँ और कार्यविधि:

5. प्रस्तावित प्रौद्योगिकी का दर्जा अर्थात् क्या प्रोटोटाइप स्तर, क्षेत्र जांच अथवा व्यापारीकृत (कृपया प्रस्तावित प्रौद्योगिकी के रेखाचित्र/फोटोग्राफ संलग्न करें)।

6. प्रस्तावित प्रौद्योगिकी, आरंभ की गई परियोजनाएं और उपलब्ध तकनीकी प्रशिक्षित जनशक्ति के संबंध में।

7. मुख्य पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक का नाम, पदनाम और पता (संक्षिप्त जीवनवृत्त संलग्न करें)।

8. उस संस्थान का नाम जहां परियोजना शुरू की जाएगी और लक्षित गांव की सूची।

9. इस परियोजना में शामिल अन्य संस्था (ओं) के नाम।

10. समयावधि, प्रत्येक परियोजना कार्यकलापों में प्रत्येक के लिए स्पष्ट समय सीमा।

11. कार्यक्षेत्र

राज्य

जिला

ब्लाक

पंचायत

गांव

12. लाभार्थियों के ब्यौरे

13. प्रत्याशित लाभ

14. लागत लाभ विश्लेषण (यदि लागू हो)

15. अपेक्षित कर्मचारी, यदि कोई हो

(संक्षिप्त तर्कसंगतता का उल्लेख करें)

पद का नाम	पदों की संख्या	परिलब्धियां (समेकित)
-----------	----------------	----------------------

16. उपकरणों की सूची एवं लागत :

लागत रुपयों में

उपकरण के ब्यौरे

(संक्षिप्त तर्कसंगतता का उल्लेख करें)

17. परियोजना बजट का सार

(राशि रुपयों में)

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
--	------------	--------------	------------	-----

- क) वेतन
- ख) उपकरण
- ग) सामग्री और आपूर्ति
- घ) यात्रा (टीए/डीए)
- ड.) आकस्मिक व्यय
- च) अन्य (मदवार ब्यौरे)

कुल योग :

कार्यकारिणी निकाय के सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

नाम

नाम

पदनाम

पदनाम

(* यदि बर्हनियमावली के अनुच्छेद का उल्लेख न हो तो हस्ताक्षर हेतु कार्यकारी निकाय द्वारा प्राधिकरण की प्रतिलिपि संलग्न करें)

स्थान

तिथि

यदि भवन/शेड ठेकेदार प्रस्तावित हो तो ले-आउट प्लान, साइट प्लान नक्शा और विस्तृत लागत अनुमान सहित प्रस्ताव के साथ गैर-सरकारी संगठन के नाम पंजीकृत भूमि-पट्टे की साक्ष्यांकित फोटोकॉपी संलग्न करें।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना (एआरटीएस)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सीएसआईआर, आईसीएआर, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय तथा अन्य संस्थाओं तथा उत्कृष्ट अभिनव संगठनों को विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए कपार्ट सहायता उपलब्ध होगी।

व्याख्यात्मक सूची :

पोषणक्षम कृषि/जैविक कृषि को प्रोत्साहन

बायो-कम्पोस्टिंग (बायोमास के उपयोग से कृषि-अपशिष्टों का पुनःचक्रण)

1. नादेप कम्पोस्टिंग
2. सूक्ष्म पोषक तत्व समृद्ध कम्पोस्ट (प्रोबायोटिक फर्टिलाइजर्स)
3. कृषि कम्पोस्टिंग/कृषि संवर्द्धन
4. वर्मी-वाश
5. कैटल-शैड वाश
6. बायो-डंग
7. बायोगैस स्लरी
8. मलचिंग
9. ग्रीन मैन्यूरिंग
10. पशुवध गृह अवशिष्ट
11. पोल्ट्री लिटर
12. आयल केक
13. जैव-उर्वरक – राइज़ोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्फिरुलम, एसीटोबैक्टर, माइकोराइज़ा
14. नीली-हरी शैवाल
15. अज़ोला
16. बायो-डायनेमिक कम्पोस्टिंग
17. कॉव हार्न मैनुयर (बीडी 500)

18. कॉव हार्न सिलिका (बीडी 501)
19. बायो-डायनेमिक हर्बल निर्मिति (बीडी 502-बीडी 507)
20. कॉव पैट पिट (सीपीपी)

रोगों और पीड़कों का जैविक नियंत्रण

1. जैव-कीटनाशक
2. नीम - उगाना
3. भक्षक- पशु, पक्षी, कीट
4. वानस्पतिक विधियां

अल्प लागत नर्सरी प्रौद्योगिकी

1. ऊतक संवर्द्धन
2. सूक्ष्म प्रवर्द्धन
3. ग्रीन हाउस/पोली हाउसेज़

विविधतापूर्ण कृषि

1. चक्रानुक्रम फसल
2. रिले खेती
3. मिश्रित खेती
4. कम्पोस्टिंग फार्मिंग - कृषि, उद्यानविज्ञान, पुष्पवानिकी, पशुपालन, डेरी, मुर्गापालन, बकरी और भेड़ पालन, सुअरपालन, मछलीपालन, बतखपालन, खरगोशपालन, मक्खीपालन, रेशमकीट पालन, मशरूम उत्पादन।
5. बायो-ईंधन उत्पाद के लिए जेट्रोफा उत्पादन

देशीय किस्मों को उगाने के लिए बढ़ावा देना

1. बीजों की देशी किस्मों की विविधता
2. बीज बैंकों की स्थापना

सिंचाई पद्धतियां

1. ट्रेंच पद्धति
2. ड्रिप सिंचाई

3. कृषक बंधु ट्रेडल पम्प
4. हाइड्रोलिक रैम पम्प

भवन निर्माण

1. फायर रेड्रान्डेन्ट थैच
2. फ़ैरो सीमेंट छत
3. तारा-बलराम ब्रिक मेकिंग मशीन
4. एस्ट्राम- मड ब्लाक मेकिंग मशीन
5. ट्रीटमेंट ऑफ कोकोनेट लीफथैच फॉर लॉंगेविटी
6. मिट्टी के घरों पर पी.वी.सी. की कोटिंग
7. नान-इरोडबल मड प्लास्टर
8. ब्रन्ट क्ले टाइल्स फार मड-वाल्स
9. रैन्डम रबल ब्लाक
10. गुना टाइल्स
11. जायजा टाइल्स

ग्रामीण उद्योग

1. बैम्बू बोर्ड
2. आरगेनिक लैदर टैनिंग
3. कारकास यूटिलाइजेशन
4. लेन्टाना फर्नीचर
5. स्क्रीन प्रिंटिंग
6. तारा लूम
7. खाद्य प्रसंस्करण
8. फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण एवं संरक्षण
9. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण
10. एचडीपीई बोट्स – वीएटीएसआई बोट्स
11. मत्स्य वृद्धिकर साधन

12. चट्टानी शहद
13. लाल चीनी के बर्तन
14. प्राकृतिक डाईज को बढ़ावा देना
15. बनाना स्टेम पल्प बोर्ड
16. रबर टैपिंग
17. उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम
18. लकड़ी तथा पत्थर नक्काशी
19. टूल और डाई मेकिंग
20. जल हायसिंथ से कागज
21. बेहतर बैल गाड़ी
22. बेहतर साईकिल
23. मछलियां पैदा करने के लिए गोलाकार हेचरी
24. ट्यूब वैलों में मिट्टी के पाइप का उपयोग
25. संसाधन, पैकेजिंग तथा विपणन

ग्रामीण स्वच्छता

1. अवशिष्ट जल प्रबंध
2. बेहतर सोकेज पिट

ऊर्जा

1. सोलर फोटोवोल्टाइक लाइटिंग
2. सोलर – कुकर
3. सोलर – हीटर
4. सोलर – आसवन संयंत्र
5. ईंधन सक्षम शवदाहगृह
6. ऊर्जा दक्ष बुखारे
7. गारबेज गैस खाद संयंत्र
8. मड सोलर कुकर (धौलाधार मड और सोलर कुकर)

9. पाइरोलिसिस एवं ब्रेक्पेटिंग
10. वुड गैसीफायर्स
11. बेहतर जल मिल
12. माइक्रो – हाइडल पावर प्लांट
13. प्लग फ्लो टाइप बायो गैस डिगेस्टर
14. लाल मिट्टी के चीनी के बर्तन
15. चीनी के बर्तनों पर बेहतर ग्लेजिंग तकनीक
16. बर्तन बनाने के लिए बेहतर किन।
17. अखाद्य तेलों से जैव-ईंधन का प्रसंस्करण

जल एकत्र करना एवं संरक्षण

1. एग्री-फिल्म लाइनिंग ऑफ पोंड्स
2. फ़ैरोसीमेंट टैंकों का उपयोग करते हुए छत पर वर्षा जल को एकत्र करना

भारतीय औषध प्रणाली

1. परम्परागत औषध
2. औषधीय पादपों की खेती
3. परम्परागत औषधि संशोधन
4. चिकित्सीय जड़ी बूटियों का सतत उत्पादन

शिल्पकारों का प्रशिक्षण

1. बेहतर उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग
2. हथकरघा
3. हस्तशिल्प
4. बढईगिरी
5. बर्तन बनाना
6. मिस्त्रीगिरी
7. लुहारगिरी
8. आरगेनिक लैदर टैनिंग और करकास यूटिलाइजेशन

9. चमड़े के कार्य
10. ग्रामीण मैकेनिक
11. कम्प्यूटर एसेम्बलिंग, मरम्मत और रख-रखाव।

ग्रामीण भारत के लिए आईटी समर्थित सेवाएँ

इस कार्यक्रम को कपार्ट से सहायता पाने की योग्यता होगी। निम्नलिखित कार्यकलाप व्याख्यात्मक है परन्तु सर्व समावेशी नहीं हैं।

- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंटरनेट किओस्क
- सूचना को आपस में बांटने के लिए संचार संसाधनों के नेटवर्क को प्रोत्साहन देना।
- शिल्पकारों के उत्पादों के ई-वाणिज्य को प्रोत्साहन देना
- कम्प्यूटर और इंटरनेट के उपयोग में ग्रामीण युवा जनों को प्रशिक्षण देना।
- परियोजना की ऑन-लाइन निगरानी
- गैर-सरकारी संगठन के नेटवर्क के माध्यम से ग्राम स्तर पर उपग्रह के लिंक के जरिए प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करना।
- गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की मांगों तथा प्रौद्योगिकीय विकास को समझने के लिए विशिष्ट रूप से ग्रामीण शिल्पकारों के लिए वेबसाइट बनाना
- गैर-सरकारी संगठन के नेटवर्क के माध्यम से टैली मेडिसिन
- पुरानी शिक्षण विधियों के स्थान पर ग्राम स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा देना।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधित परियोजनाएं (आई. पी. आर.)

यह कार्यक्रम कपार्ट से सहायता का पात्र होगा। निम्नलिखित कार्यकलाप व्याख्यात्मक है परन्तु सर्व समावेशी नहीं है:

- ग्रामीण स्तर पर औषधीय पादपों, बीजों, शिल्पकार कौशल, परम्परागत कला और संस्कृति आदि जैसे देशीय ज्ञान पद्धतियों का प्रलेखन।
- गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आईपीआर व्यावसायिकों की सेवाएं किराए पर लेना।

- गैर-सरकारी संगठनों और गांवों के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण, उद्भासन और अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमलाप।
- स्वदेशी ज्ञान पद्धतियों के उपलब्धता को दर्शाने के लिए राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन।
- विशेष ज्ञान प्रणाली के स्वामियों का डाटा बेस।
- प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में ज्ञान पद्धतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार।
- आईपी अधिकारों पर भारत के राजपत्र में शामिल नियमों व विनियमों, रायल्टी के संबंध में जागरूकता।
- राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तरीय आईपीआर मंचों पर ग्रामीण गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व।

इस कार्यक्रम के तहत सहायता हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए प्रपत्र अन्य प्रौद्योगिकी सम्बद्ध परियोजनाओं के निर्धारित प्रपत्र के समान ही होगा। इस योजना के तहत सहायता के लिए अनुपयुक्त किसी भी सूचना को देने तथा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

इस योजना के तहत किसी गैर-सरकारी संगठन को सहायता देने का विस्तार क्षेत्र लचीला होगा और यह शामिल मुद्दों और लक्षित लाभार्थियों की उभरती चिन्ताओं पर निर्भर करेगा।

निःशक्तता संबंधी दिशानिर्देश

मुद्दे

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 1991 के दौर में यह अनुमान लगाया गया कि दृष्टि, सम्प्रेषण और चलने-फिरने में निःशक्त वाले लोगों की संख्या 14.56 मिलियन अथवा भारत की कुल जनसंख्या का 1.9 प्रतिशत है। इस संख्या में केवल वही लोग शामिल हैं जो 'अत्यधिक निःशक्तता' से ग्रस्त हैं और इसमें मध्यम से कम निःशक्तता वाले लोग शामिल नहीं हैं जो थोड़ी सी कोशिश से ग्रामीण विकास के प्रयासों में शामिल किए जा सकते हैं। इस संख्या में मानसिक निःशक्तता वाले तथा कुष्ठ रोग एवं बिगड़ती तंत्रिका-मांस-पेशी स्थितियों (उदाहरणार्थ, मांस-पेशी-क्षीणता, मोटर-न्यूरोन रोग, पार्किन्सन रोग और जरामूलक विकृति) से प्रभावित लोग भी शामिल नहीं हैं। मानसिक विकृति से संबंधित एक अलग प्रतिदर्श सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया था कि 0 से 14 वर्ष तक की आयु के 3 प्रतिशत बच्चों का विकास विलंबित है। लेकिन, इस आंकड़े में भी ऐसे बच्चे शामिल नहीं हैं जिन्हें सीखने से संबंधित निःशक्तता (उदाहरणार्थ डिस्लेक्सिया) है या जिन्हें मंद बुद्धि कहा जाता है। और यह भी कि भारत की सामान्य जनसंख्या का लगभग 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत हिस्से के विभिन्न प्रकार के और विभिन्न गंभीरता के मानसिक रोगों से ग्रस्त होने का अनुमान है। देश के विभिन्न भागों में गांव स्तर के सर्वेक्षण से पता चलता है कि जनसंख्या का 4 प्रतिशत - 10 प्रतिशत हिस्सा निःशक्तता से ग्रस्त लोगों का है।

उपलब्ध आंकड़ों और निःशक्तता संबंधी आंकड़ों की व्याख्या थोड़ी सावधानी से करनी चाहिए। कई परिवार, विशेषकर अधिकतर समुदायों में निःशक्त व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण निःशक्तता की सूचना देने में झिझकते हैं। कुछ मामलों में, आंकड़ों के संग्रहणकर्ता या यहां तक कि सूचनादाताओं स्वयं को भी इतना ज्ञान और अनुभव नहीं होता जो किसी व्यक्ति के निःशक्त होने की पहचान कर सके। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) बृहत-स्तर के आंकड़ों का विश्वसनीय स्रोत माना जाता है, लेकिन सूक्ष्म-स्तर पर अनुमान लगाने के लिए एनएसएस आंकड़ों का प्रयोग करना व्यापक क्षेत्रीय विविधता को देखते हुए संभवतः संगत नहीं होगा।

अधिकतर निःशक्तताओं की आसानी से रोकथाम की जा सकती है

अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी निःशक्तता के मुख्य कारण हैं— कुपोषण, संचारी रोग, बचपन में संक्रमण तथा घर और बाहर हुई दुर्घटनाएं। पोषण संबंधी कमियों, अपर्याप्त स्वच्छता, अपर्याप्त अथवा दुर्लभ स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं, खराब ढंग से निर्मित उपस्करों एवं उपकरणों से हुई दुर्घटनाओं एवं उनसे लगी चोटों और समरक्त विवाहों जैसी प्रथाओं, सबने मिलकर निःशक्तता को बढ़ाया है। अपर्याप्त अवसररचना, संचारिकी संबंधी समस्याओं और शीत श्रृंखला बनाए रखने में आने वाली मुश्किलों और आंशिक रूप से इस विषय पर जन-शिक्षा के अभाव के कारण प्रतिरक्षण कार्यक्रमों ने 100 प्रतिशत कवरेज हासिल नहीं की है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लगभग आधी निःशक्तताओं की रोकथाम कर सकता है। विकृति की जल्दी पहचान के साथ-साथ शीघ्र एवं कारगर उपचारात्मक देखरेख विकृति और इसके परिणामों को कम करने या उनकी प्रतिपूर्ति करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

ग्रामीण निर्धन निःशक्तता के सर्वाधिक शिकार हो सकते हैं

भारत में 80 प्रतिशत निःशक्त व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ग्रामीण निर्धनों को ऐसी निःशक्तताओं का विशेष तौर पर खतरा हो सकता है जो कुपोषण, पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी खराब स्थितियों और संचारी रोगों से जुड़ी होती हैं। कार्य-स्थल पर लापरवाही, अज्ञान और सुरक्षोपायों की कमी से होने वाली दुर्घटनाएं और समुदाय भी निःशक्तता के बड़े कारण हैं।

निःशक्त व्यक्तियों का समूह अनेक-रूप समूह है जिसमें जन्मजात निःशक्त व्यक्ति, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और/अथवा रोग के कारण होने वाली निःशक्तता से प्रभावित तथा वे निःशक्त व्यक्ति शामिल हैं जो दुर्घटनाओं या जीवन की घटनाओं से लगी चोटों के कारण निःशक्त हुए हों। इनमें बच्चे और युवा, बालक और वृद्ध व्यक्ति शामिल हैं। उनकी निःशक्तता बड़ी या मध्यम हो सकती है और उन्हें एकल निःशक्तता अथवा अनेकानेक रूप की निःशक्तता हो सकती है। लेकिन, उनकी निःशक्तता का कोई भी रूप या सीमा हो, उनकी बुनियादी जरूरतें वहीं होती हैं जो उनके आयु, लिंग, आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक समूह के अन्य सदस्यों की होती हैं।

इसलिए, निर्धन ग्रामीण परिवारों के निःशक्त सदस्य अनेक कारणों से हाशिए पर या साधनहीन हो जाते हैं — सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी करने के लिए समर्थ बनाने वाले उत्पादनकारी संसाधनों और अवसरों की सूचना और कौशल सुविधा का अभाव। इनके अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति और अधिक साधनहीन और अपाहिज हो जाते हैं जब उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक, वास्तविक और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उन्हें समान शर्तों पर और सशक्त व्यक्तियों के समान स्तर पर अपने समुदायों के जीवन में भागीदारी करने के अवसर बहुत कम कर देती हैं। उनकी भागीदारी के लिए समझ और सरोकारों के अभाव के कारण ग्रामीण निःशक्त व्यक्ति विशेषकर वे जो गरीब परिवारों के सदस्य हैं, आर्थिक और सामाजिक अपंगता के सर्वाधिक शिकार हो सकते हैं।

समान अवसरों का होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए समाज की संरचनाएं और प्रणालियां निःशक्त व्यक्तियों को अधिक सुलभ कराई जाती हैं। इसमें भौतिक और सांस्कृतिक माहौल के सभी पहलू, सेवाएं, सुविधाएं एवं विकास कार्यक्रम शामिल हैं जो जनता द्वारा उपयोग किए जाने के लिए बने हैं या जिन पर प्रत्येक नागरिक, जिनमें गरीब और निःशक्त भी शामिल हैं, का हक है। तथापि, निःशक्त निर्धन ग्रामीण लोगों और उनके परिवारों को ऐसे अवसरों, सूचना, प्रौद्योगिकियों और कार्यक्रमों की न के बराबर अथवा कोई सुविधा नहीं है जो भारत में पुनर्वास अथवा विकास प्रक्रिया में भागीदारी के लिए उपलब्ध हैं। अत्यधिक निर्धन

परिवारों में माता-पिता और देखरेख करने वालों, जिनकी आय का एकमात्र स्रोत दिहाड़ी की मजदूरी होता है, के पास निःशक्त व्यक्तियों को उपयुक्त देखरेख मुहैया कराने के लिए और मौजूदा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और पुनर्वास सेवाओं का लाभ उठाने के लिए न तो समय होता है और न ही अन्य जरूरी संसाधन, यदि उन्हें आवश्यक सूचना और कौशल मुहैया करा दिए जाएं तो भी।

किए गए उपाय शहर-आधारित और कल्याणोन्मुखी रहे हैं

अब तक निःशक्तता के क्षेत्र में किए गए अधिकतर प्रयास स्वास्थ्य व्यवसायियों और धर्मार्थ संगठनों द्वारा किए गए हैं। हालांकि निःशक्त भारतीयों की अधिसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उपलब्ध सेवाएं शहरी केन्द्रों तक ही सीमित हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि पुनर्वास के जरूरतमंद व्यक्तियों में केवल 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत लोगों को ही इन सेवाओं की सुविधा प्राप्त है।

निःशक्तता संबंधी मामलों के लिए कल्याण मंत्रालय केन्द्रक मंत्रालय है। जहां एक ओर, इससे बिल्कुल हाशिए पर पहुंचे सामाजिक वर्ग के हितों के संवर्धन के लिए केन्द्रीभूत नीतियों और उपायों की आवश्यकता को पूरा किया गया है, वहीं दूसरी ओर, इससे दूसरे मंत्रालयों की इस पारम्परिक प्रवृत्ति को पुनः बल मिला है जो निःशक्तता संबंधी मुद्दों को मात्र कल्याण संबंधी मामले मानते हैं जिनका उनके अपने-अपने अधिदेशों और योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं होता। परिणामस्वरूप, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यधारा के कार्यक्रमों में भागीदारों के रूप में आम तौर पर किनारे पर कर दिया गया है। ग्रामीण निर्धनों के लिए विशेष रूप से तैयार कार्यक्रम इस पैटर्न के अपवाद नहीं हैं। अन्य विकास क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण संबंधों के अभाव में, निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर पैदा करने में कोई प्रगति नहीं की गई है।

हालांकि निःशक्त ग्रामीण लोगों को लेकर निश्चित रूप से चिन्ता जरूर है लेकिन यह इस धारणा पर आधारित है कि उन्हें मुख्यतया राहत और पीड़ा से मुक्ति की जरूरत है। ऐसे दृष्टिकोण पर आधारित उपायों ने उन्हें आश्रितता और निरुपायता की स्थिति में ला खड़ा किया है। निःशक्त व्यक्तियों के सम्मान, अधिकारों और क्षमताओं पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना चिकित्सीय दखल-कार्रवाई हेतु किए जाने वाले कार्यों को प्रधानता दी जाती रही है।

चिकित्सीय पुनर्वास महत्वपूर्ण है लेकिन यह शायद ही महसूस किया जाता है कि यह लक्ष्योन्मुखी और समय-बाधित प्रक्रिया है। इस प्रकार पुनर्वास स्वयं में पूर्ण नहीं है लेकिन यह निःशक्त व्यक्तियों को काम करने के इष्टतम स्तर तक पहुंचने का एक माध्यम है जो उन्हें अपने समुदायों के सक्रिय सदस्य के रूप में योगदान करने में समर्थ बनाता है। निःशक्त व्यक्तियों से जुड़ी सभी कार्रवाइयों को 'पुनर्वास' का लेबल देने से आत्म-निर्णय और भागीदारी करने की उनकी क्षमता को साकार करने में अड़चन आ सकती है।

समान अवसर पैदा करने में सबसे बड़ी बाधा मानसिकता है

हालांकि सेवाओं की कमी और जानकारी एवं प्रौद्योगिकी का अभाव गंभीर बाधाएं हैं, फिर भी पूर्ण भागीदारी और समानता के सामने सबसे बड़ी बाधा है – परिवार एवं समुदाय तथा स्वयंसेवी क्षेत्र, विकास तंत्र और प्रशासन में अन्य सशक्त लोगों का नकारात्मक रवैया। कार्यक्रम और दखल कार्रवाई की योजना बनाते तथा उन्हें तैयार करते समय, लोगों की आम प्रवृत्ति यही होती है कि निःशक्त व्यक्तियों को महत्वहीन अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य माना जाए जिनपर केवल चिकित्सीय मामलों या दान के पात्र के रूप में ध्यान दिया जाए। उनकी मानवीयता, इच्छाएं और योग्यता और यह सच्चाई कि भारत के नागरिक होने के नाते उन्हें वही हक हैं जो किसी भी सशक्त नागरिक के, अक्सर स्वीकारी नहीं जाती। व्यक्तिगत स्तर पर, निःशक्तता के आधार

पर बरता जाने वाला भेदभाव निःशक्त व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन की एक आम बात है। इस भेदभाव की अभिव्यक्ति परिवार में ही संसाधनों का छोटा हिस्सा मिलने से लेकर ग्रामीण निर्धनों के लिए विशेष रूप से अभिप्रेत सेवाओं के कार्यक्रमों की सुविधा प्राप्त करने में आने वाली मुश्किलों में होती है। कठोर और परम्परागत जाति-संरचना से उभरते वाले कष्ट इन मुश्किलों को और बढ़ा देने हैं।

नकारात्मक रवैये के साथ गहराई से जुड़ी है— समाज में निःशक्त व्यक्तियों की स्थितियों, समस्याओं और क्षमताओं की जानकारी की व्यापक कमी। साथ ही, दक्षिण भारत में निःशक्त व्यक्तियों के अनेक छोटे संगठनों (संगम) के विकास को बढ़ावा देने के बावजूद, निःशक्त व्यक्तियों द्वारा आत्म-समर्थन किया जाना अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है।

इन सभी कारकों का एक परिणाम इस वर्ग का मुख्यधारा के विकास कार्यक्रमों, जिनमें ग्रामीण निर्धनता-उन्मूलन के कार्यक्रम भी शामिल हैं, में भाग न लेना हुआ है। अब तक भारत में मुख्यधारा के विकास कार्यक्रमों की, उनके निःशक्त व्यक्तियों पर प्रभाव तथा निःशक्तता केन्द्रित कार्यक्रमों के साथ उनके समेकन के संभावना की जांच करने के लिए कोई समीक्षा नहीं की गई है।

निःशक्त व्यक्तियों के कुछ समूह अन्यों से अधिक कष्टप्रद स्थितियों में हैं

ग्रामीण विकास में समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए किसी भी कार्रवाई में इस तथ्य को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निःशक्त व्यक्तियों के कतिपय समूह अन्य समूहों की तुलना में अधिक कष्टदायक स्थितियों में हैं, और जब तक उन्हें शामिल करने के लिए विशिष्ट उपाय न किए जाएं, वे छूट ही जाएंगे। ऐसे समूहों के उदाहरण हैं—निःशक्त महिलाएं एवं लड़कियां, श्रवण-शक्ति एवं सम्प्रेषण की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति, बौद्धिक निःशक्तता और मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति और विस्तृत एवं अनेकानेक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्ति।

निःशक्त महिलाएं और लड़कियां न सिर्फ निःशक्तता के प्रति नकारात्मक रवैये से ही बल्कि लिंग-भेदभाव और गरीबी से भी प्रभावित होती हैं। हालांकि निःशक्त व्यक्तियों के लिए बने कार्यक्रमों के रूप में सेवाएं अवश्य उपलब्ध हैं, मुख्य लाभानुभोगी पुरुष और लड़के ही होते हैं। निःशक्त महिलाएं एवं लड़कियां कुल मिलाकर मुख्यधारा के महिलाओं के आन्दोलन तथा गरीब महिलाओं के लिए लक्षित कार्यक्रमों से और स्व-सहायता आन्दोलन तथा निःशक्त व्यक्तियों के संगठनों से भी बाहर ही रहती हैं। कुल मिलाकर, भारत में निःशक्त व्यक्तियों के स्व-सहायता संगठनों के नेतृत्व और सदस्यता में स्पष्ट दिखाई देने वाली लिंग संबंधी असमानता ही निःशक्त महिलाओं एवं लड़कियों की कठिन स्थितियों की परिचायक है।

बौद्धिक निःशक्तता से ग्रस्त लगभग 75 प्रतिशत व्यक्ति 50 से 100 आईक्यू की श्रेणी में आते हैं, और कम से मध्यम निःशक्तता से ग्रस्त हैं। वे अपनी देखरेख में कुछ हद तक स्वतंत्र हो सकते हैं, अपने समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत तरीकों से व्यवहार करना सीख सकते हैं और सहायता-प्राप्त रोजगार में कमाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें विभिन्न घरेलू कार्यों में या पशुपालन, बागवानी अथवा दोहराए जाने वाले खेती से इतर कामों में लगाया जा सकता है जिन कामों के लिए सशक्त लोगों में सहन शक्ति नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद, उनके परिवारों और समुदायों के प्रति उनके योगदान की क्षमता को समझा नहीं जाता। उनके विकास के अवसर अक्सर उस समय उपलब्ध नहीं होते जब वे सीखने के लिए सर्वाधिक इच्छुक होते हैं और विकास के लिए संरचित कार्यक्रमों के लिए बेहद जरूरतमंद होते हैं। इसकी बजाय, उन्हें 'मूर्ख' या 'बेवकूफ' जैसे अपशब्द कहे जाते हैं और उन्हें अक्सर "खराब दिमाग" वाला माना जाता है। यहां तक कि अभी 1987 तक भी, कानून में भी बौद्धिक निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति और

मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति के बीच अंतर को स्वीकारा नहीं गया था। बौद्धिक निःशक्तताओं से ग्रस्त और अनेक व्यक्तियों को अभी भी पागलखानों में छुपाया जा रहा है या "गैर-आपराधिक विक्षिप्त" लोगों के रूप में कैद किया जा रहा है। यह समूह गलतफहमी का सबसे बड़ा शिकार और सर्वाधिक उपेक्षित रहा है। उनकी क्षमता के बारे में और उनके विकास के लिए अनेक तरीकों, जिनमें माता-पिता का प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या सुधार और औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्र की सन्निविष्ट शिक्षा शामिल है, के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु तत्काल कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। जागरूकता बढ़ाने के प्रयास सिर्फ परिवारों और समुदायों तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि इसमें स्वास्थ्य, पुनर्वास और शिक्षा से जुड़े व्यवसायियों तथा स्थानीय प्रशासकों एवं विकास कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

वर्ष 1993 में एक ऐतिहासिक फैसले में भारत में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के जेलों में बंद रखना गैर-कानूनी और असंवैधानिक है। राज्य सरकारों को भी मानसिक रोगियों की देखरेख के लिए मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं मुहैया कराने के निदेश दिए गए हैं। पिछले चार दशकों में, अनेक मानसिक रोगों के लिए विशिष्ट और कारगर उपचार उपलब्ध हो गए हैं। रोग की जल्दी पहचान हो जाने तथा इलाज से अनेक लोग मानसिक रोगों से मुक्त हो जाते हैं और इससे लम्बी बीमारी और निःशक्तता की रोकथाम की जा सकती है। परिवारों की क्षमता मजबूत करके, स्वयं सेवकों के जरिए संकट के समय हस्तक्षेप करके और स्व-सहायता समूहों के निर्माण को प्रोत्साहन देकर मानसिक रोगियों के जीवन-स्तर में सुधार हो सकता है तथा परिवारों को परस्पर सहायता लेने एवं बीमारी की आवृत्ति रोकने में मदद मिल सकती है। अग्रणी उपायों ने सिद्ध किया है कि चिकित्सकों के लिए यह संभव है कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी देखरेख सेवाएं मुहैया कराएं और यह भी कि मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति की देखभाल और उपचार उनके घरों और समुदाय में ही किया जा सकता है। दखल-कार्रवाई का केन्द्र पागलखानों से हटाकर आम अस्पतालों में मनःचिकित्सा यूनिटों पर लाने तथा इससे भी आगे प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी देखरेख के स्तर पर लाने में की गई प्रगति के बावजूद, मानसिक रोगी भारतीयों की कुल संख्या का बहुत छोटा हिस्सा ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पाता है। यह बहुत जरूरी है कि विभिन्न क्षेत्रों से आए पेशेवर लोग एक साथ काम करें ताकि परिवारों एवं समुदायों को संवेदनशील तथा जानकार बनाया जाए और मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख के प्रति वैकल्पिक सामुदायिक दृष्टिकोणों को कार्यान्वित करने के लिए सहायता दी जाए।

वाक् और श्रवण संबंधी निःशक्तता तथा अन्य सम्प्रेषण संबंधी निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ सम्प्रेषण के असाधारण तरीकों के प्रति संवेदनहीनता ही उन्हें अलगाव और एकाकीपन के गर्त में धकेलने का कारण है। चूंकि संकेतों की भाषा ऐसी संकल्पनाओं और संकेतों से बनी है जो संस्कृति-विशेष से जुड़ी है, इसलिए भारत की भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता को देखते हुए, दूसरे देशों में विकसित भाषाएं भारत में उपयोगी सिद्ध नहीं होतीं। देशीय संकेतों की भाषा का विकास करने की अत्यंत आवश्यकता है जो ग्रामीण भारत के विभिन्न भागों के बधिर लोगों को स्वीकार्य हो। शहर के शिक्षित उच्च वर्ग की संस्कृति से अलग, ग्रामीण संस्कृति पर आधारित संकेतों की भाषा का विकास करने के लिए ऐसे संकेतों का, जो ग्रामीण भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं, संग्रहण और वर्गीकरण करने के लिए विस्तृत अनुसंधान की जरूरत है। बधिर बच्चों का पूर्ण ज्ञानात्मक विकास और सभी बधिर व्यक्तियों के आत्म-निश्चय के सामने खड़ी सम्प्रेषण बाधा को तभी हटाया जा सकेगा जब उन्हें उनके स्वभाव के विरुद्ध, सुनने वाले व्यक्ति की सुविधा के लिए, सम्प्रेषण के मौखिक तरीकों को अपनाने की कोशिश करने के लिए बाध्य न किया जाए बल्कि अपनी पसंद से संकेत-भाषा इस्तेमाल करने के उनके अधिकार का सम्मान किया जाए।

विस्तृत और अनेकानेक निःशक्तता जैसाकि गंभीर दृष्टि निःशक्तता के साथ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात या मानसिक विक्षिप्तता के साथ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले व्यक्तियों के परिवारों को अत्यधिक तनाव झेलना पड़ता है

जिससे अक्सर पारिवारिक जीवन टूटता है। इन परिवारों के लिए किसी प्रकार की सहायक सेवाओं के अभाव में, रोगों के परिणामस्वरूप जीवन में आगे चलकर पैदा हुई अनेकानेक निःशक्तताएं (उदाहरणार्थ मांस-पेशी क्षीणता और जरामूलक विक्षिप्तता) भी अत्यधिक तनाव का कारण बनती हैं। ग्रामीण इलाकों में, सेवाएं लगभग हैं ही नहीं और जहां हैं भी, वहां उनमें वही लोग शामिल किए जाते हैं जो मध्यम या कम सीमा की निःशक्तताओं से ग्रस्त हों और जिनकी सफलता की संभावना अधिक हो। अनेकानेक और अत्यधिक गंभीर निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति निःशक्त व्यक्तियों के संगठनों या विकास गतिविधियों में सीधे संभवतः भाग नहीं ले सकते। अनेकानेक निःशक्तता तथा गंभीर निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के माता-पिता तथा परिवारों के ग्रामीण स्तर के परस्पर सहायक समूहों के निर्माण को सुसाध्य बनाने की जरूरत है। प्रेरणा, प्रशिक्षण और राहत संबंधी देखरेख सेवाएं विशेषकर ऐसे गरीबी परिवारों के लिए महत्व रखती हैं जिनके पास प्रेरणा और समाजीकरण के लिए जरूरी गहन दखल कार्रवाइयों के लिए संसाधन सीमित, ऊर्जा कम और समय नहीं है। अनेकानेक और व्यापक निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के परिवारों और देखरेख करने वालों को दिवस-परिचर्या सेवाओं और गृह-आधारित आर्थिक गतिविधियों की सुविधा की जरूरत होती है। चोटों, दुर्घटनाओं या बीमारियों के कारण जीवन में आगे चलकर अनेकानेक निःशक्तताओं से ग्रस्त होने वाले व्यक्तियों को समयबद्ध पुनर्वास की तथा स्व-सहायता समूहों में भाग लेने के अवसरों की और कौशल विकास एवं रोजगार के लिए वैकल्पिक मार्गों की जरूरत होती है।

यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व में कुष्ठ रोग से प्रभावित हर तीन व्यक्तियों में से एक भारतीय है। कुष्ठ रोग को व्यापक रूप से असाध्य रोग माना जाता है और इससे जुड़ी कपोल-कल्पनाओं और आशंकाओं के परिणामस्वरूप इस समूह को सामाजिक तौर पर लगभग पूरी तरह एकाकी बना दिया गया है और हाशिए पर ला दिया गया है। आज भी अधिकतर लोग नहीं जानते कि "बहुऔषधि उपचार" से गंभीर मामलों का इलाज भी तीन से छह महीने के भीतर हो जाता है और यह कि उपचार में एकाकीपन और अलग रखने के जरूरत नहीं होती। आरंभिक लक्षणों की पहचान करने और इलाज शुरू करने में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप स्थायी क्षति और निःशक्तता पैदा होने के साथ-साथ संक्रमण भी फैलता है। कुष्ठ रोग से ग्रस्त लोगों के बच्चे भी बहिष्कार का सामना करते हैं और उन्हें अक्सर शिक्षा, बाल देखरेख और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित कर दिया जाता है। कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के साथ एकीकरण समुदायों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की इसे "बस एक रोग" के रूप में देखने में मदद करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। यह जरूरी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख कार्यकर्ता, पुनर्वास कार्यकर्ता और निःशक्त व्यक्तियों के संगठन कुष्ठ रोग की बेहतर समझ पैदा करने, लोगों के डर कम करने, रोग के जल्दी पता लगने और इलाज करने तथा समुदाय से स्वीकृति और सहायता को सुसाध्य बनाने के लिए मिलकर काम करें। संक्रमण को नियंत्रित करने, विकृतियों की रोकथाम करने एवं उन्हें ठीक करने के लिए दीर्घकालिक चिकित्सीय उपचार के अलावा, कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को शिक्षा, आर्थिक विकास, निःशक्तता पुनर्वास एवं ग्रामीण विकास के चल रहे कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए सकारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है। ऐसे व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं के लिए विशेष सहायता प्रणालियां विकसित किए जाने की जरूरत है, जो यह पता चलते ही कि वे कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं, अपने परिवारों द्वारा त्याग दी जाती हैं और उनका उपचार हो जाने के बाद भी उनका कोई ठिकाना और आजीविका का कोई साधन नहीं होता।

मार्गदर्शी सिद्धांत

- निःशक्त ग्रामीण निर्धन अपने समुदायों के ही सदस्य हैं और भारत के नागरिक हैं। उन्हें निर्णय लेने तथा योजना-निर्माण की प्रक्रियाओं में भागीदार के रूप में तथा ग्रामीण निर्धनों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के लाभानुभोगियों के रूप में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में भाग लेने का हक है।
- ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों और परियोजनाओं में उनकी भागीदारी के समक्ष आने वाली मानसिकता संबंधी और वास्तविक बाधाओं का सामना करने के लिए निःशक्त व्यक्तियों को समर्थ बनाने हेतु विशिष्ट उपाय किए जाने की जरूरत है। इन उपायों में सामाजिक सहयोग (सशक्त व्यक्तियों की मानसिकता बदलना और निःशक्त व्यक्तियों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाना) के साथ-साथ उनकी भागीदारी में भौतिक और संचारिक संबंधी बाधाओं को हटाने पर जोर दिया जाना चाहिए।
- निःशक्त ग्रामीण व्यक्ति अपने अधिकार और हकदारी प्राप्त करें – यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया ग्रामीण विकास से जुड़े सभी व्यक्तियों की संयुक्त जिम्मेदारी है।
- प्राथमिक पुनर्वास, सामाजिक सहयोग और ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक कार्रवाई का आयोजन करने में भारत में स्वैच्छिक और गैर-सरकारी विकास क्षेत्र के गहन अनुभव का लाभ विकास कार्यक्रमों में निःशक्त ग्रामीण निर्धनों की भागीदारी को सुसाध्य बनाने के लिए उठाया जा सकता है।
- चूंकि मूलभूत पुनर्वास सेवाएं, सहायक उपकरण और ग्रामीण निर्मित पर्यावरण की सुविधा की उपलब्धता विकास कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु पूर्वापेक्षाएं हैं, इसलिए इन कार्यक्रमों को निःशक्त ग्रामीण निर्धनों की मूल हकदारी माना जाना चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और समुदायों के लिए, मूलभूत पुनर्वास सेवाएं उन्हीं के निवास-स्थानों पर उनके लिए सुविधाजनक रूपों और समय पर मुहैया कराए जाने की जरूरत है। इन मूलभूत पुनर्वास सेवाओं में ये शामिल हैं – रोग की जल्दी पहचान और नैदानिकी, नियमित स्वास्थ्य जांच और उपचार, कार्यकरण के शारीरिक, संवेदी और बौद्धिक स्तरों का आकलन, मौजूदा कार्यक्रमों में शीघ्र दखल-कार्रवाई, रेफरल और समेकन।
- समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) अपने व्यापक अर्थ में निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा, कौशल-विकास, निर्णय लेने, आवास, परिवहन एवं विकास योजनाओं में भागीदारी करने के लिए समान अवसर पैदा करने के लिए सामाजिक सहयोग और अन्य संसाधन जुटाने के लिए की गई सामाजिक कार्रवाई हैं। सीबीआर से जुड़ी सभी गतिविधियों में योजना-निर्माण और सुपुर्दगी सेवाओं में भाग लेने के निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार का अवश्य सम्मान किया जाना चाहिए।

उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्षेत्र

इस कार्यनीति का उद्देश्य भारत में सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों के सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में निर्धन ग्रामीण निःशक्त व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी का संवर्धन करना है। कार्रवाई के महत्वपूर्ण क्षेत्र नीचे बताए गए हैं।

- ऐसी मानसिकता, सांस्कृतिक और भौतिक बाधाओं को समाप्त करना जो निःशक्त निर्धन ग्रामीणों को ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं, सेवाओं, सूचना और विकास कार्यक्रमों से वंचित रखती हैं।
- स्थानीय स्तर पर सहायता उपायों की व्यवस्था करना ताकि निःशक्त निर्धन ग्रामीण लोग ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की पूरी सुविधा प्राप्त कर सकें।
- ग्रामीण निर्धनों तथा निःशक्त व्यक्तियों से जुड़े गैर-सरकारी विकास संगठनों के बीच परस्पर सहयोग और भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- ग्रामीण भारत में निःशक्त व्यक्तियों के स्व-सहायता आन्दोलन का विकास और सुदृढीकरण।
- ऐसी सीबीआर परियोजनाओं की सहायता करना तथा उन्हें मजबूत बनाना जो स्थानीय स्थितियों और संस्कृतियों पर आधारित हो, तथा सीबीआर के कवरेज का ग्रामीण समुदायों में निःशक्तता से ग्रस्त लोगों के लिए समान अवसर पैदा करने के एक माध्यम से रूप में विस्तार करना।

प्रमुख कर्ता

यह कार्यनीति मुख्यतया निःशक्तता से ग्रस्त ग्रामीण निर्धन लोगों के लाभ के लिए तैयार की गई है और अनेक समूहों द्वारा संयुक्त कार्रवाई किए जाने के लिए निर्दिष्ट है।

- निःशक्तता से ग्रस्त लोगों के ग्राम स्तर के संगठन (संगम)। इन संगठनों में विभिन्न निःशक्तताओं से ग्रस्त लोग और अनेकानेक एवं गंभीर निःशक्तताओं से ग्रस्त लोग तथा उनके माता-पिता व देखरेख करने वाले, सम्प्रेषण में कठिनाई और बौद्धिक निःशक्तता से ग्रस्त लोग, निःशक्त महिलाएं एवं लड़कियां तथा सामाजिक दृष्टि से साधनहीन वर्गों के निःशक्त सदस्य भी शामिल हो सकते हैं।
- महिला समूह, युवा क्लब, स्व-सहायता समूह, क्रेडिट समूह, वाटरशेड एसोसिएशनों, सीबीआर समितियां, ग्रामीण शिक्षा समितियां और ग्राम स्तर के अन्य जन समूह।
- निःशक्तता से ग्रस्त लोगों के साथ प्रत्यक्षतः कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठन जिनमें शहरों में स्थित निःशक्त लोगों के स्व-सहायता संगठन और पुनर्वास सेवा सुपुर्दगी संगठन, जो अपनी सेवाएं निःशक्त ग्रामीण लोगों को देने में लगे हैं, शामिल हैं।
- ग्रामीण विकास के मुद्दों पर कार्य कर रहे स्वैच्छिक/गैर-सरकारी विकास संगठन।
- स्थानीय स्व-शासन और पंचायती राज संगठनों में जन-प्रतिनिधि एवं प्रशासक।
- ग्रामीण निर्धनों को संगठित करने में लगे लोग और समूह जिनमें श्रम और भूमि संबंधी मुद्दे सुलझाने में लगे लोग, विकास प्रक्रिया में महिलाओं तथा हाशिए पर आए अन्य समूहों की भागीदारी को बढ़ावा देने में लगे लोग और साक्षरता, सुरक्षित मातृत्व, मतदाता शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य जैसे जन प्रचार अभियानों के सदस्य।
- सभी स्तरों पर ग्रामीण विकास से जुड़े सरकारी अधिकारी और प्रशासक विशेषकर जिला कलेक्टर, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) के परियोजना अधिकारी और ब्लॉक विकास अधिकारी।

परियोजना प्रस्तावों के महत्वपूर्ण क्षेत्र

ऐसे उपायों को, जो निःशक्त गरीब लोगों की ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भागीदारी को मजबूत बनाएं, सुसाध्य बनाने के लिए कपार्ट ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करेगा जिनके परियोजना प्रस्ताव इस कार्यनीति के समग्र केन्द्र और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हों और जो इसके कार्यान्वयन को और मदद दें।

नीचे वर्णित एक या अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पर्याप्त रूप से शामिल करने वाले परियोजना प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाएगा।

क. सामाजिक संघटन

1. संगठन-निर्माण

ग्रामीण क्षेत्रों में निःशक्तता से ग्रस्त लोगों को स्वयं अपने ग्राम स्तर के संगठन बनाने में समर्थ बनाना। इन संगठनों में बौद्धिक निःशक्तता, अनेकानेक और व्यापक निःशक्तता से ग्रस्त लोगों, जो सीधे भाग लेने में असमर्थ हैं, के माता-पिता, अभिरक्षक और देखरेख करने वाले शामिल हो सकते हैं। तथापि, प्रत्यक्ष भागीदारी को यथासंभव प्रोत्साहित करने के प्रयास अवश्य किए जाने चाहिए।

निःशक्त व्यक्तियों के ग्राम स्तर के संगठनों के संघ बनाने के लिए सहायता देना तथा उन्हें समर्थ बनाना और इन संघों की हाशिए पर लाए गए अन्य समूहों के संगठनों के साथ नेटवर्क एवं एकता स्थापित करने में मदद करना।

2. सामाजिक सहयोग में प्रयोग के लिए प्रशिक्षण और सूचना-सामग्री का विकास।

सामग्री ऐसे होनी चाहिए जो इन लोगों द्वारा आसानी से समझी जा सके तथा इस्तेमाल की जा सके – ग्रामीण समुदाय (जिनमें नव-साक्षर और निरक्षर लोग शामिल हैं), ग्रामीण विकास में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के फील्ड कार्यकर्ता, सामुदायिक विकास में कार्य करने वाले पंचायती राज कर्मचारी, आंगनवाड़ी/बालवाड़ी कार्यकर्ता, समेकित बाल विकास सेवाओं के कर्मचारी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख कर्मचारी और ग्राम स्तर के अन्य कार्यक्रमों के कार्यकर्ता।

सामग्री स्थानीय भाषाओं में होनी चाहिए और निःशक्त व्यक्तियों को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। इनमें दृश्य-श्रव्य और मुद्रित सामग्री दोनों शामिल हो सकती है। इस कार्यनीति के अनुरूप विषय-सामग्री इस तरह तैयार की जाए कि निःशक्तता और निःशक्तता से जुड़े मुद्दों की बेहतर समझ को बढ़ावा दिया जा सके। इन प्रशिक्षण और सूचना सामग्रियों का विकास और इस्तेमाल करते समय स्थानीय संसाधन, लोकप्रिय और लोक माध्यमों, मिथकों तथा अध्यात्मिक परम्पराओं को इस्तेमाल किया जा सकता है।

कुछ मुद्दे जिन्हें महत्व दिया जा सकता है, नीचे दिए गए हैं।

- निःशक्तता को प्रसामान्यता की निरंतरता का हिस्सा ही माना जा सकता है और प्रत्येक सशक्त व्यक्ति के छिपी हुई निःशक्तताएं होती हैं।
- कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी निःशक्तता से ग्रस्त हो सकता है। निःशक्तता कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकती है लेकिन यह जीवन का अंत होने की बजाए जीने के एक और तरीके की शुरुआत हो सकती है।
- निःशक्त व्यक्ति अनिवार्यतः मंद बुद्धि नहीं होते, भले ही वे स्वयं को अलग-अलग तरीकों से अभिव्यक्त करें।
- मानसिक रोगी खतरनाक नहीं होते।
- निःशक्त व्यक्तियों के अनेक समूह, विशेषकर वे उप-समूह जो खास तौर पर हाशिए पर हैं जैसे कि निःशक्त महिलाओं एवं लड़कियों को हिंसा और अत्याचार के शिकार होने का जोखिम अधिक है।
- एक व्यक्ति, नागरिक और अपने समुदाय का सदस्य होने के नाते निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों और स्वाभिमान का सम्मान किए जाने की जरूरत है।
- निःशक्त लोगों को विकास के अवसर प्राप्त करने और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने का अधिकार है।
- निःशक्त लोगों में क्षमता, योग्यता होती है और वे अपनी सीमाओं का सामना कर सकते हैं और कर भी रहे हैं तथा अपने एवं औरों के जीवन को नया अर्थ दे सकते हैं।
- निःशक्त व्यक्तियों में उदासीनता, आत्मविश्वास की कमी और आहत स्वाभिमान, जब प्रकट होता है, तो वह नकारात्मक सामाजिक रवैये को ग्रहण करने के परिणामस्वरूप होता है और इसका समाधान तदनुसार किया जाना चाहिए।
- निःशक्त व्यक्तियों की मदद और सहायता के प्रयास उन्हें विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान देने में समर्थ बनाने की दिशा में होने चाहिए न कि उन्हें सिर्फ दानप्राप्तकर्ता बनाने पर।
- सशक्त व्यक्तियों की भूमिका ग्रामीण माहौल में ऐसी वास्तविक बाधाएं हटाने के लिए मदद करने की है जो निःशक्त व्यक्तियों की भागीदारी में रोड़ा अटकाती हैं।
- चल रही गतिविधियों और कार्यक्रमों में निःशक्तता संबंधी सरोकार शामिल करने को सुसाध्य बनाने के लिए समुदाय सहायता समूह बनाने की पहल कर सकते हैं।
- निःशक्त व्यक्तियों के संगठन बनाना जरूरी है जो निःशक्तता संबंधी मुद्दों पर कार्रवाई की योजना बनाने एवं उसे कार्यान्वित करने में नेतृत्व कर सकते हैं।

3. कार्यक्रम सहायता

- निःशक्तता संबंधी मुद्दों पर सामुदायिक कार्रवाई करने के तरीकों का विकास और सुदृढीकरण करने की दृष्टि से नीति-निर्माण, डिजाइन, फील्ड सहायता और कार्यक्रमों की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन।
- निःशक्तता के मुद्दे को लेकर सामाजिक सहयोग के संचालक तथा सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए उनकी क्षमता निर्माण हेतु स्वयंसेवी संगठनों के फील्ड स्टाफ और सुविधाकर्ताओं का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण की विषय-सामग्री में निर्धनता के कारणों, निःशक्तता और निर्धनता के बीच संबंध और विकास-मुद्दे के रूप में निःशक्तता की बुनियादी समझ पैदा करना शामिल होना चाहिए। प्रशिक्षण में सामाजिक विश्लेषण को सुसाध्य बनाने, सामुदायिक सर्वेक्षण और विषय अध्ययन करने, सामुदायिक बैठकें और स्कूल स्तर की निःशक्तता बैठकें संचालित करने, परामर्श देने, सामुदायिक स्तर पर संगठन निर्माण, प्रचार माध्यमों और प्रलेखन का प्रयोग सुसाध्य बनाने के लिए बुनियादी जानकारी और कौशल तैयार करना शामिल होना चाहिए। निःशक्तता के कारणों और रोकथाम की बुनियादी जानकारी तथा पहचान एवं प्राथमिक दखल कार्रवाई करने में दक्षता भी जरूरी है।

4. सहायक उपकरणों की स्थानीय उपलब्धता में वृद्धि करना

- बढ़ई, लोहार, मिस्त्री, इलैक्ट्रिशियन, मेकैनिक और अन्य तकनीशियनों के ग्राम स्तर के नेटवर्क के जरिए सहायक उपकरणों की आपूर्ति, मरम्मत और रखरखाव में कम लागत के नए परिवर्तनों का बढ़ावा देना।
- उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहायक उपकरणों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन से जुड़े प्रमुख संगठनों एवं सरकारी संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करना तथा उनसे सहायता लेना।

ख. क्षमता-निर्माण

1. विकास कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

सरकारी एजेंसियों और स्वैच्छिक संगठनों में कार्यकर्ता ग्रामीण निर्धनों, जिनमें महिलाएं, जनजातीय समूह, भूमिहीन कृषि मजदूर और हाशिए पर लाए गए अन्य समूह शामिल हैं, की अधिकारिता के मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं ताकि विभिन्न गतिविधियां शुरू करने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण किया जा सके।

- निर्धन परिवारों के लिए सहायता जुटाना जो उन्हें अपने निःशक्त सदस्यों की पूर्ण सहभागिता और समानता हासिल करने के लिए उनकी मदद हेतु चाहिए।
- निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को अपने संगठन तथा स्व-सहायता समूह बनाने में मदद करना।
- निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को गरीब महिलाओं, जनजातीय और कृषि मजदूरों के स्व-सहायता समूहों में सक्रिय रूप से शामिल करना तथा निःशक्त महिलाओं एवं लड़कियों को महिला मंडलों एवं महिलाओं के अन्य संगठनों की सभी गतिविधियों में शामिल करने पर विशेष जोर देना।
- निःशक्तता की समय से पहचान करना तथा उपलब्ध सेवाओं हेतु संदर्भित करना।

2. निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पैकेजों और सूचना-सामग्री का विकास

श्रव्य, दृश्य और ब्रेल सहित उपर्युक्त रूपों में सूचना सामग्री को डिजाइन तथा तैयार करना और निःशक्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण के प्रति नवीन दृष्टिकोणों की शुरुआत करना। इन सामग्रियों और प्रशिक्षण पैकेजों के लिए कुछ संभावित विषय नीचे दिए गए हैं।

- निःशक्त ग्रामीण व्यक्तियों की ग्रामीण विकास में भाग लेने की हकदारी और उनके इलाकों में उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के ब्यौरे।
- विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त कार्यों के प्रकार, तथा उपलब्ध सहायक उपकरण जिनमें निःशक्त व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल करने के लिए अपने अनुकूल बनाए जाने वाले उपकरण भी शामिल हैं। इन सामग्रियों में निःशक्त व्यक्तियों को घिसे-पिटे कार्यों तथा निम्न स्तर के और परंपरागत कार्यों तक सीमित रखने से बचना चाहिए।
- आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं में भागीदारी करने के लिए कौशल का विकास जिनमें ग्रामीण कार्य के माहौल, परिवार और समुदाय के संदर्भ में आपसी मानवीय समझ तथा प्रबंधन कौशल भी शामिल हैं।
- प्रजनन-स्वास्थ्य और आपसी मानवीय संबंधों पर साथियों से परामर्श।

3. समुदाय-आधारित सहायता-सेवाओं का विकास

- ऐसे क्षेत्रों में जहां सेवाओं का विकास किए जाने की जरूरत है, ग्रामीण समुदायों के सदस्यों के बीच से ही सीबीआर कार्यकर्ताओं की पहचान और प्रशिक्षण। चयन के मानदंडों में औपचारिक, शहरी और संस्था-आधारित पुनर्वास प्रशिक्षण की कठोरता का सहारा लिए बिना निःशक्त व्यक्ति के साथ तादात्म्य स्थापित करने की योग्यता और सृजनात्मक एवं लचीले तरीकों से काम करने की क्षमता शामिल होनी चाहिए।
- निःशक्त व्यक्तियों के संगठनों, अन्य लोगों के संगठनों और स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों द्वारा पहचाने जाने वाले समुदाय से ही लिए गए व्यक्तियों (जिनमें कुछ औपचारिक शिक्षा लिए हुए व्यक्ति भी शामिल हैं) के प्रशिक्षण के जरिए ग्राम स्तर के प्रमुख प्रशिक्षकों के नेटवर्क का निर्माण करना। ये व्यक्ति ग्राम स्तर के बुनियादी सामाजिक सहयोग के प्रशिक्षक, कर्ताओं, परामर्शदाताओं और पुनर्वास कार्यकर्ताओं का काम करेंगे जो निःशक्त व्यक्तियों के लिए सहायक सेवाओं के विकास में स्वयंसेवी संगठनों की सहायता कर सकते हैं। दक्षता निर्माण और कौशल विकास के क्षेत्रों में वाणी सुधार, भौतिक चिकित्सा, विशेष शिक्षा, सहायक उपकरणों का विनिर्माण और रखरखाव तथा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य देखरेख शामिल होगी।
- आंगनवाड़ी, बालवाड़ी और स्कूल-पूर्व संस्थाओं, आईसीडीएस केन्द्रों और स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ सहबद्ध किए जाने वाले संसाधन कार्यकर्ताओं के स्थानीय स्तर के दलों का निर्माण। ये व्यक्ति निम्नलिखित की व्यवस्था करेंगे :
 - मूलभूत पुनर्वास सेवाएं (समय से पहचान और नैदानिकी, शिशु उद्दीपन) और सम्प्रेषण एवं शारीरिक चिकित्सा के जरिए आरंभिक दखल-कार्रवाई;
 - जरूरत होने पर अधिक विशिष्ट पुनर्वास सेवाओं को संदर्भित करने की सुविधा;
 - निःशक्त व्यक्ति के माता-पिता और परिवारों के लिए सामाजिक एवं तकनीकी सहायता।

4. परम्परागत दाइयों और घरेलू औषधियों के उपयोगकर्ताओं का प्रशिक्षण

- इस प्रशिक्षण में निःशक्तता के कारणों की रोकथाम, रोग का जल्दी पता लगाने, जल्दी दखल-कार्रवाई करने और मूलभूत पुनर्वास पर जोर दिया जाना चाहिए।

ग. ग्रामीण अवसररचना का विकास

1. ग्रामीण माहौल में भौतिक बाधाएं समाप्त करने की प्रक्रिया में नवीन परिवर्तन

ग्रामीण माहौल में ग्रामीण समुदायों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए अभिप्रेत सभी सुविधाएं और संबंधित सूचना शामिल है जिनमें ग्रामीण परिवहन प्रणालियां, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, कुएं, जल-स्थल और अन्य जल-स्रोत, स्वच्छता सुविधाएं, पंचायत-घर, बैंक, डाकघर, प्रशिक्षण एवं रोजगार केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र और अन्य सभी स्थान शामिल हैं जो निःशक्त ग्रामीणों के रोजगार या स्व-रोजगार में बाधा या सहायता के स्रोत हो सकते हैं।

बाधा-रहित डिजाइन के विकास में स्थानीय समाधान तथा स्थानीय सामग्रियों के प्रयोग पर जोर दिया जाना चाहिए।

2. कार्य-स्थल पर बाधाएं हटाना

- निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के काम पर प्रशिक्षण और रोजगार अथवा स्वरोजगार को सुसाध्य बनाने के लिए ग्रामीण कार्यस्थलों पर बाधा-रहित डिजाइन और अनुकूलन तंत्रों में नवीन परिवर्तन;

3. ग्रामीण अवसररचना के विकास के लिए बाधा-रहित डिजाइनों का प्रचार-प्रसार

- सामग्रियों और मैन्युअलों का विकास और प्रचार-प्रसार करके तथा भारत के विभिन्न भागों में नवीन परिवर्तनों के अध्ययन हेतु संबंधित कर्मचारियों के दौरो का आयोजन करके।

घ. घरेलू (देशी) प्रौद्योगिकी

1. कम लागत की घरेलू प्रौद्योगिकियों की पहचान और प्रचार-प्रसार

भारत में स्वैच्छिक संगठनों और सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकसित की गई उपयुक्त कम लागत की प्रौद्योगिकियों की पहचान जो निःशक्त व्यक्तियों को चलने-फिरने में, अपने ही समुदायों के भौतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में आर्थिक और सामाजिक भागीदारी करने के लिए अपेक्षित अनेक कौशलों को हासिल करने में समर्थ बनाती हैं।

2. सहायक उपकरणों से संबंधित सूचना-सामग्री का विकास

सहायक उपकरणों की चित्रित तकनीकी सामग्री का स्थानीय भाषाओं में तथा ऐसे रूप में उत्पादन जो गांव के बढई, तकनीशियनों, मेकैनिकों तथा कारीगरों को आसानी से समझ में आ सके।

3. दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा के उपायों का संवर्धन

दुर्घटना, चोटों और इनके परिणामस्वरूप होने वाली निःशक्तताओं के जोखिम को कम करने के लिए कृषि और कृषि-भिन्न उपकरणों एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अनुकूलन यंत्रों, उपकरणों एवं प्रक्रियाओं के प्रयोग की सूचना का प्रचार-प्रसार तथा संवर्धन।

4. प्रशिक्षण कार्यशालाएं और विचार-विनिमय यात्राएं

प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन, सहायक उपकरणों के स्थानीय नव-परिवर्तनों, उत्पादन, मरम्मत और रखरखाव के संबंध में गांवों के बढई, तकनीशियनों, मेकैनिकों और कारीगरों के लिए आपसी विचार-विमर्श एवं परस्पर यात्राओं का अवसर ताकि ग्रामीण भारत में ऐसे कार्मिकों के ग्रामीण नेटवर्क की स्थापना को सहायता दी जा सके।

5. मौजूदा प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन और अनुकूलन

चलने-फिरने, ज्ञानात्मक विकास, शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु मौजूदा प्रौद्योगिकियों और सहायक उपकरणों, शिल्पकार्य हेतु औजारों, कृषि औजारों तथा कृषि-भिन्न कार्य के औजारों का उनके प्रयोक्ताओं एवं ग्रामीण नेटवर्क के सदस्यों के साथ मिलकर मूल्यांकन किया जाए तथा अनुकूलन किया जाए ताकि निःशक्त व्यक्तियों द्वारा उनके कारगर प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

ड. नेटवर्क तैयार करना

1. ग्रामीण सामुदायिक नेटवर्क शुरू करना एवं उनकी सहायता करना

ग्रामीण समुदायों, स्व-सहायता समूहों, संगम और निःशक्त व्यक्तियों के ग्राम स्तर के अन्य संगठनों, सीबीआर समितियों, माता-पिता के संगठनों, सहायक उपकरणों हेतु ग्राम नेटवर्क, विकास संगठनों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना।

- विशिष्ट सेवाओं की जरूरत वाले क्षेत्रों से आए व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण सहबद्धता तथा प्रशिक्षुता का आयोजन।
- समुदाय आधारित सेवाओं के विकास एवं सुदृढीकरण में सहायता करने के लिए पीएचसी/आईसीडीएस केन्द्रों/बाल देखरेख केन्द्रों में पुनर्वास व्यवसायियों को नियुक्त करना।
- इस कार्यनीति के विभिन्न पहलुओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन।
- स्थानीय विशेषज्ञता का विकास करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाएं मुहैया कराने के लिए, जहां ऐसी दरखल कार्रवाई की जरूरत है, स्थानीय स्तर के अनुकरणीय कार्यक्रमों से लिए गए विविध कौशलों से युक्त सामुदायिक कार्मिकों के मोबाइल दलों को संगठित करना।
- सामाजिक सहयोग और प्रशिक्षण हेतु कार्यनीतियों के संबंध में फील्ड आधारित समूहों के बीच अनुभवों एवं अंतर्दृष्टि का विचार-विनिमय।
- इस कार्यनीति के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से लगे स्वयंसेवी और विकास संगठनों के बीच "निकनेट" के जरिए संबंध स्थापित करके इलैक्ट्रॉनिक संचार की स्थापना।

इस कार्यनीति के अंतर्गत कपार्ट सहायता हेतु पात्र गतिविधियों की एक निर्देशात्मक-सूची परिशिष्ट-I में दी गई है।

कपार्ट सहायता हेतु मानदंड

कपार्ट सहायता हेतु पात्र होने के लिए किसी भी संगठन को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने चाहिए :

- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (अथवा इस अधिनियम का राज्य संशोधन), भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1920 के अंतर्गत पंजीकरण। संगठन कम से कम तीन वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।
- संगठन का कम से कम तीन वर्ष से बैंक में या डाकघर में खाता होना चाहिए।
- संगठन का काम ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए, भले ही उसका मुख्यालय शहरी क्षेत्र में हो।
- परियोजना प्रस्ताव कपार्ट दिशानिर्देशों (जैसे इस दस्तावेज में बताए गए हैं) के अनुरूप होने चाहिए और परिशिष्ट-I ख में निर्दिष्ट रूप के अनुसार होने चाहिए।
- 5 लाख रूपए से अधिक की परियोजना लागत वाले प्रस्ताव कपार्ट मुख्यालय को डाक से भेजे जाने चाहिए।

सहायता के लिए प्रस्तावों की जांच करते समय, तरजीह उन प्रस्तावों को दी जाएगी जो निःशक्त व्यक्तियों और स्वयं स्थानीय समुदाय द्वारा अभिव्यक्त जरूरतों से उपजे हों। कार्यान्वयनकारी अभिकरण के अनुभव, दक्षता और संस्थागत क्षमता पर भी विचार किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन के लिए मुख्य मानदंडों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

1. कार्यान्वयनकारी संगठन

वे संगठन, जिनके अन्य संगठनों, जन-समूहों, आन्दोलनों और सरकारी एजेंसियों के साथ मजबूत कार्यकर संबंध हैं और जिन्हें मूलभूत विकास कार्य में जांचा-परखा अनुभव हो, उन्हें तरजीह दी जाएगी।

2. कार्यक्रम के पैरामीटर

- इस कार्यनीति के लक्ष्य और महत्व के क्षेत्रों के साथ सामंजस्य की सीमा।
- क्षेत्र में अन्य विकास कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के साथ बहु-क्षेत्रीय संबंधों के विकास एवं उनके सुदृढीकरण के तरीकों में नवीन परिवर्तन करने की क्षमता।

- जरूरतों की पहचान करने में, परियोजना को तैयार करने में और उसकी योजना-निर्माण एवं कार्यान्वयन में निःशक्त व्यक्तियों और समुदायों की भागीदारी की सीमा।
- निःशक्तता संबंधी परियोजनाओं या ग्राम स्तर की अन्य विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संगठन का पूर्व अनुभव।
- प्रस्तावित परियोजना में निःशक्तता प्रशिक्षण एवं सहायता संगठनों के साथ मिलकर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं सहायता हेतु कार्य-प्रणालियां।
- प्रलेखन तथा प्रचार-प्रसार की व्यवस्था।
- समुदाय स्तर पर वित्तपोषण एवं दक्षता-निर्माण के संदर्भ में वहनीयता।
- निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों और ग्रामीण निर्धनों के लिए मौजूदा उपायों के इनके साथ सह-क्रियात्मक संबंध बनाकर प्रभाव के सुदृढीकरण की सीमा।
- मौजूदा गतिविधियों को बार-बार न दोहराना।

सभी परियोजना-प्रस्तावों का मूल्यांकन वित्तपोषण हेतु उनकी उपयुक्तता साबित करने के लिए किया जाएगा। निःशक्तता संबंधी परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन का फार्मेट परिशिष्ट-II में दिया गया है।

परिशिष्ट–सूची

परिशिष्ट–I	कपार्ट सहायता हेतु पात्र गतिविधियां
परिशिष्ट– II	निःशक्तता संबंधी परियोजना प्रस्तावों के लिए कपार्ट फार्मेट
परिशिष्ट– III	परियोजना मूल्यांकन के लिए कपार्ट फार्मेट
परिशिष्ट– IV	उपायों की समाभिरूपता हेतु कार्रवाई
परिशिष्ट– V	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी)“ अधिनियम, 1995

परिशिष्ट-I

कपार्ट सहायता हेतु पात्र गतिविधियां

कपार्ट और कपार्ट से सहायता-प्राप्त संगठनों का काम कुल मिलाकर निःशक्त ग्रामीण निर्धनों को पुनर्वास सेवाओं की अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने हेतु दोहराए जाने योग्य तरीके और दखल कार्रवाई, कौशल सीखने एवं आर्थिक विकास के लिए अवसर, रोजगार एवं स्व-रोजगार के लिए अवसंरचनात्मक सहायता और उन्हें अपनी उत्पादनकारी परिसंपत्तियां प्राप्त करने के अवसरों का विकास करना है। इसके अलावा, निःशक्त व्यक्तियों के राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं एवं ग्रामीण विकास हेतु निर्णय लेने में भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक प्रयास अवश्य किए जाने चाहिए।

इस दस्तावेज के पृष्ठ 12 से 19 पर वर्णित विशिष्ट महत्व के क्षेत्रों के अनुरूप सभी गतिविधियां कपार्ट सहायता हेतु पात्र हैं। संभावित गतिविधियों की एक स्पष्ट सूची नीचे दी गई है।

- निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के ग्राम स्तर के संगठनों और स्व-सहायता समूहों (अथवा ऐसे मामलों में जहां निःशक्त व्यक्ति प्रत्यक्ष भाग नहीं ले सकते, वहां उनके माता-पिता और देखरेख करने वालों के संगठन) के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना।
- निःशक्त व्यक्तियों के ग्राम स्तर के संगठनों को सम्प्रेषण, नेतृत्व, आपसी सद्भाव और संगठनात्मक कौशल संबंधी प्रशिक्षण देकर, विधिक सहायता और सुविधाकर्ताओं की मदद देकर कार्यप्रणाली को सुसाध्य बनाना ताकि आरंभिक चरणों में उनकी कार्यप्रणाली को मदद दी जा सके।
- ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान आयोजित करना ताकि निःशक्तता संबंधी मुद्दों की समझ पैदा हो, निःशक्तता से ग्रस्त लोगों की जरूरतों, क्षमताओं और समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाया जाए। ऐसे अभियानों का परिणाम विकास कार्यक्रमों में निःशक्त व्यक्तियों की अधिक भागीदारी में दिखाई देना चाहिए।
- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का प्रचार-प्रसार करने के लिए अभियान आयोजित करना।
- ग्राम स्तर पर निःशक्तता की रोकथाम हेतु अभियान आयोजित करना और समुदायों को प्रेरित करना कि वे टीकाकरण, रोग की जल्दी पहचान करने एवं निःशक्तता की रोकथाम करने के लिए मौजूदा सेवाओं का लाभ उठाएं।
- समेकन हेतु साथियों की सहायता विकसित करने के लिए निःशक्त व्यक्तियों के ग्राम स्तर के स्व-सहायता समूहों के निर्माण को सुसाध्य बनाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए सामुदायिक पुनर्वास सेवाओं की विशिष्ट जरूरतों की पहचान करना तथा उन्हें पूरा करना अथवा ऐसी सेवाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करना। सेवाओं का एक मूलभूत न्यूनतम स्तर और गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- निःशक्त व्यक्तियों के लिए गृह-आधारित एवं समुदाय आधारित दखल कार्रवाइयों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए परिवारों एवं समुदायों का क्षमता निर्माण करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निःशक्त व्यक्तियों के कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों की विशिष्ट जरूरतों की पहचान करना एवं उन्हें पूरा करना।

विविध निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के आसानी से समझ में आने वाले और उनके द्वारा इस्तेमाल हेतु उपयुक्त फार्मेट में सूचना पैकेज तैयार करना एवं प्रचार-प्रसार करना जिसमें निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों एवं हकदारी के साथ-साथ उपलब्ध सेवाओं, सुविधाओं और संसाधनों संबंधी सूचना भी शामिल हो।

निःशक्त व्यक्तियों को "ट्राइसेम" के अंतर्गत मौजूदा औपचारिक, अनौपचारिक और विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लाने के लिए सहायता प्रदान करना और उन्हें कौशलों का लाभकर उपयोग करने में सहायता देना।

- निःशक्त ग्रामीण निर्धनों के स्व-रोजगार को सब्सिडी एवं सहायता प्रदान करके, जिनमें समूह योजनाओं के लिए भी सब्सिडी एवं सहायता शामिल है, सहायता देना।
- संगठित एवं सरकारी क्षेत्रों में निःशक्त व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ावा देना तथा सुसाध्य बनाना।
- निम्नलिखित के लिए क्षमता निर्माण करना तथा प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराना :
 - समूहों (उदाहरणार्थ जिला प्रशासन, स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता और स्वैच्छिक संगठनों के फील्ड कार्यकर्ता) को निःशक्त व्यक्तियों के समेकन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रोत्साहनकारी माहौल बनाने में समर्थ बनाना।
 - ग्रामीण क्षेत्रों में निःशक्त व्यक्तियों के परिवार एवं लोगों के रवैए को प्रभावित करने, सीबीआर कौशलों का विकास करने एवं समान अवसर सुसाध्य बनाने के लिए।
 - ग्रामीण क्षेत्रों में निःशक्त व्यक्ति में आत्म विश्वास एवं स्वाभिमान जगाने, समूह की पहचान बनाने, सामाजिक कौशल के विकास और स्व-सहायता उपाय शुरू करने के लिए।
 - अपेक्षित ग्रामीण अवसररचना का निर्माण (उदाहरणार्थ स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, ग्रामीण बाजार) ताकि निःशक्त ग्रामीण व्यक्तियों को ग्रामीण माहौल में अलग-अलग स्थानों एवं सूचना की सुविधा प्राप्त हो।
 - नए निर्माणों और नवीकरणों के लिए डिजाइनों में अनुकूलन करके ग्रामीण निर्मित माहौल के तत्वों के संबंध में निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच में सुधार लाने के लिए नई विशेषताओं को शामिल करना।
 - सहायक उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति एवं जरूरत पड़ने पर मरम्मत तथा रखरखाव सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सेवा-अभिकरणों के साथ नेटवर्किंग।

- निःशक्त व्यक्तियों के लिए आर्थिक अवसरों को मजबूत बनाने के लिए नए विपणन नेटवर्क बनाना या मौजूदा नेटवर्कों के साथ समेकन को सुसाध्य बनाना।
- ग्रामीण विकास और निःशक्तता के क्षेत्र से जुड़े स्वैच्छिक संगठनों जिनमें निःशक्त व्यक्तियों के संगठन भी शामिल हैं, के बीच ऐसी नेटवर्किंग गतिविधियों को सहायता देना जिनमें अनुभवों का आदान-प्रदान तथा कौशल एवं अन्य संसाधनों को बांटना शामिल हो।
- समुदाय आधारित निःशक्तता कार्यकर्ताओं के नेटवर्कों को शुरू करना तथा उन्हें मजबूत बनाना।
- चल रही परियोजना-मानीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए कारगर प्रणालियों का विकास।
- जब जरूरी हो प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुपूरक संसाधन जुटाना।
- समर्थन एवं नेटवर्किंग में इस्तेमाल के लिए अनुभवों एवं सीखे गए सबकों का क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में प्रलेखन करना।
- निःशक्त व्यक्तियों एवं समुदायों के साथ मिलकर निम्नलिखित के लिए कार्य-अनुसंधान करना।
- सामुदायिक सर्वेक्षणों के जरिए निःशक्तता के संबंध में मूलभूत आंकड़ों का संग्रहण जिसमें निःशक्तता की किस्मों, व्यापकता, आयु-वितरण, लिंग-वितरण, शैक्षिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, आजीविका के स्रोत, कौशल के स्तर, सहायक कार्यप्रणालियों, संसाधन-उपलब्धता और भागीदारी संबंधी आंकड़े शामिल हों।
- लिंग संबंधी विश्लेषण ताकि उन तरीकों को प्रकट किया जाए जिनमें लिंग संबंधी रुढ़िबद्ध धारणाएं और भेदभाव महिलाओं एवं लड़कियों को निर्धनता-उन्मूलन कार्यक्रमों में भाग लेने से रोकते हैं।
- मौजूदा विकास संसाधनों और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों, लाभानुभोगी-रूपरेखा एवं कार्यकरण की सक्रियता, निःशक्त व्यक्तियों की भागीदारी के स्वरूप और सीमा तथा भागीदारी में आने वाली रुकावटों के स्वरूप की पहचान करना।
- निःशक्त व्यक्तियों द्वारा किए जा सकने वाले उत्पादनकारी कृषि और कृषि-भिन्न कार्यों के अवसरों की पहचान करना।
- स्थानीय संसाधनों जिनमें प्रौद्योगिकियां, विपणन नेटवर्क, ऋण-स्रोत, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता के अवसर, मध्यवर्ती इत्यादि शामिल हैं, का सर्वेक्षण करना जो विकास कार्यक्रमों में निःशक्त व्यक्तियों के समेकन में मदद कर सकते हैं।

उपर्युक्त सूची केवल निर्देशात्मक है, और इसे पृष्ठ 12 से 19 में दी गई दखल-कार्रवाई के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अनुपूरक के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए।

अपात्र गतिविधियां

- ऐसी कोई भी गतिविधि जो निःशक्त व्यक्तियों को परियोजना के योजना-निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में भागीदार के रूप में शामिल न करती हो।
- सहायक उपकरणों के विनिर्माण के लिए कार्यशालाओं एवं उपचारात्मक उपकरणों की आपूर्ति हेतु शिविरों की स्थापना जैसी गतिविधियां सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं, जब तक वे अपेक्षाकृत बड़ी समेकित एवं समुदाय आधारित परियोजनाओं का हिस्सा न हों जिसमें विनिर्माण, रखरखाव और मरम्मत कार्य में प्रयोक्ताओं, उनके परिवारों और स्थानीय कारीगरों के लिए प्रशिक्षण, अनुवर्ती कार्रवाई और निरंतर सहायता का घटक भी हो।
- निःशक्त व्यक्तियों के लिए गृहों, अनाथालयों, विशेष स्कूलों और आवासीय देखरेख सुविधाओं की स्थापना हेतु सहायता नहीं दी जाएगी।
- ऐसी गतिविधियों को सहायता नहीं दी जाएगी, जो मुख्यतया कल्याणकारी हैं और निःशक्त व्यक्तियों की उनके समुदायों के सक्रिय सदस्य बनने के लिए उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और संभावनाओं वाले व्यक्तियों के रूप में उनकी धारणा को प्रतिबिम्बित नहीं करतीं।

परिशिष्ट-II

निःशक्तता संबंधित परियोजना प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण हेतु कपार्ट प्रारूप

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

आपके परियोजना प्रस्तावों में इन सभी शीर्षकों के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है क्योंकि इनमें वे प्रमुख मानदंड सन्निहित हैं जिनके आधार पर निधियन निर्णय किए जाएंगे।

परियोजना का शीर्षक :

परियोजना स्थल :

ग्राम (पूरी सूची दें) :

ब्लॉक/तालुका/तहसील :

जिला :

राज्य :

परियोजना के लिए पृष्ठभूमि/तर्काधार

- इस परियोजना में प्रस्तावित परस्पर क्रिया क्यों आवश्यक है?
- इस परियोजना तथा आपके संगठन की अन्य गतिविधियों के बीच क्या संबंध है?
- यह परियोजना ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों तथा प्रक्रियाओं में निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों की सहभागिता को किस प्रकार सुसाध्य बनाएगी?

आधारिक सूचना

- परियोजना क्षेत्र में प्रवृत्त सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियां क्या हैं? जनसंख्या (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अन्य) के ब्यौरों सहित क्षेत्र की जनसांख्यिकीय रूपरेखा का संक्षिप्त वर्णन करें?
- परियोजना क्षेत्र में निःशक्तता के संबंध में स्थिति क्या है? यहां निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या लगभग कितनी है? किस-किस प्रकार की निःशक्तता प्रवृत्त है?
- इस क्षेत्र में विद्यमान संसाधन तथा सुविधाएं कौन सी हैं जिन तक निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की पहुंच है?
- क्या इस क्षेत्र में अन्य स्वैच्छिक/गैर-सरकारी विकास संगठन हैं? उनके कार्य का केन्द्र क्या है? क्या उनमें से कोई निःशक्तता के संबंध में कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो आपका संगठन किस प्रकार उनके साथ मिलकर कार्य करेगा?
- इस क्षेत्र में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की आवश्यकताएं क्या हैं? इस परियोजना की आयोजना बनाते समय इन आवश्यकताओं को किस प्रकार अभिचिह्नांकित किया गया था?

उद्देश्य

- उद्देश्य सुस्पष्ट तथा विशिष्ट होने चाहिए।
- निर्दिष्ट करें कि इस परियोजना के उद्देश्य किस प्रकार परियोजना क्षेत्र में निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों की आवश्यकता के साथ संबद्ध हैं।

संकेन्द्रण के प्रमुख क्षेत्र

ये कपार्ट कार्यनीति के संकेन्द्रण क्षेत्रों के समाभिरूप होने चाहिए। ये हैं :

- समाजिक संघटन
- क्षमता निर्माण
- ग्रामीण अवसंरचना विकास
- देशी प्रौद्योगिकियां
- नेटवर्किंग

विस्तार

- निःशक्तता से ग्रस्त कितने व्यक्तियों को सीधे शामिल किया जाएगा तथा वे इस परियोजना से लाभांवित होंगे? उनमें से लगभग कितने लोग सामाजिक रूप से लाभवंचित समूहों से संबंधित हैं?
- लगभग कितने लोग इस परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित या प्रभावित होंगे?
- इस परियोजना द्वारा निवारण की जाने वाले निःशक्तता की किस्में क्या हैं? क्या सभी प्रकार की निःशक्तताओं को शामिल किया गया है?
- क्या निःशक्तता के सभी अंश (मृदु/सामान्य/अत्यधिक) शामिल किए गए हैं?
- क्या महिलाओं को शामिल किया गया है? कैसे?

क्रियाविधि योजना

- यह अधिमानतः चार्ट के रूप में होनी चाहिए। नीचे निर्दिष्टानुसार विभिन्न गतिविधियों के प्रत्याशित परिणामों पर विशिष्ट प्रकाश डालें।

उद्देश्य	उद्देश्य हासिल करने के लिए गतिविधियां	प्रत्याशित परिणाम
1.	i	i
	ii	ii
	iii	iii
2.	i	i
	ii	ii
	iii	iii

- गुणात्मक तथा प्रमात्रात्मक, दोनों प्रकार के परिणामों की सूची बनाई जाएगी। विनिर्दिष्ट करे कि आपको निम्नलिखित के संदर्भ में किन परिवर्तनों की आशा है :-
 - ❖ निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों/परिवारों/समुदाय/अन्यों में नए रवैय्ये :
 - ❖ निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों तथा/अथवा उनके परिवारों के लिए नए अवसर;
 - ❖ निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों/उनके परिवारों/समुदाय में अन्य व्यक्तियों के लिए नए कौशल;
 - ❖ निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सामुदायिक परिसम्पत्तियों का वर्धन
 - ❖ निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की उपलब्ध अवसररचना तथा अवसरों तक वर्धित पहुंच;
 - ❖ निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए ग्राम स्तर की सहायता प्रणालियों का आरंभ/सुदृढीकरण;
 - ❖ अन्य ग्राम – तथा समुदाय स्तर के समूहों के सदस्यों को प्रभावित करना/परिवर्तित करना/एकत्र करना;
 - ❖ सामाजिक/आर्थिक/राजनैतिक प्रक्रियाओं तथा कार्यक्रमों में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की वर्धित सहभागिता;
 - ❖ निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज में नीति, संरचनाओं/प्रणालियों में परिवर्तन;
 - ❖ अन्य समूहों तथा आंदोलनों के सदस्यों के साथ संविदाएं तथा नेटवर्किंग;
 - ❖ प्रत्येक गतिविधि के लिए एक समय-सीमा, उसे क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा उस व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सहायता (प्रशिक्षण, दल के साथ समन्वयन, क्षेत्र में सहायक पर्यवेक्षण इत्यादि) निर्दिष्ट करें, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :-

गतिविधि	राज्य/पूर्ण	उत्तरदायी व्यक्ति	सहायता की किस्म

संसाधन योजना

- ब्यौरे दें कि मानव संसाधनों को परियोजना के दौरान विभिन्न स्तरों पर (निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों में, आपके संगठन में कर्मचारियों में, परिवारों में तथा समुदाय में) किस प्रकार जुटाया तथा सुदृढ़ किया जाएगा।
- विशिष्ट प्रकाश डालें कि किस प्रकार अन्य सरकारी कार्यक्रमों या अन्य स्वैच्छिक/गैर-सरकारी विकास संगठनों द्वारा परस्परक्रिया के रूप में विद्यमान संसाधनों, सुविधाओं तथा अवसरों का प्रयोग किया जाएगा।
- निर्दिष्ट करें कि क्या इस परियोजना के अन्य संघटकों के निधियन के लिए अन्य निधियन अभिकरणों/ वित्तीय संस्थाओं से संपर्क किया जाएगा।

प्रलेखन

- ब्यौरे दें कि किस प्रकार इस परियोजना का प्रलेखन किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से प्रक्रम स्थापित किए जाएंगे कि क्रियान्वयन की प्रक्रिया का निरंतर प्रलेखन किया जा रहा है। विनिर्दिष्ट करें कि क्रियान्वयन के अनुभव की साझेदारी किस प्रकार निःशक्तता मुद्दों पर कार्यरत अन्य कपार्ट सहाय्यित संगठनों के साथ की जाएगी।

परियोजना की प्रक्रियाओं तथा प्रभाव का अनुवीक्षण करने के लिए प्राचल तथा संकेतक

- परियोजना की अवधि के दौरान, आपकी योजना परियोजना प्रक्रियाओं की गति का आकलन/माप किस प्रकार करने की है?
- आप निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की भागीदारी का आकलन/माप किस प्रकार करेंगे?
- अंतर्ग्रस्त व्यक्ति (निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति, उनके परिवार, समुदाय, परियोजना कर्मकार तथा अन्य) किस प्रकार परियोजना की विषयवस्तु एवं प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे।
- परियोजना अवधि के अंत में आप प्रभाव का आकलन/माप किस प्रकार करेंगे? प्रत्याशित परिणामों के संदर्भ में यथासंभव विनिर्दिष्ट करें।

लागत अनुमान

- इनका प्रस्तुतीकरण वर्ष-वार किया जाएगा जिसमें निम्न शीर्षों के अंतर्गत ब्यौरे दिए जाएंगे :-
 1. क्रियाविधि लागतें (यथासंगत यूनिट लागतों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए प्रत्येक गतिविधि के लिए पृथक-पृथक विनिर्दिष्ट करें)।
 2. वेतन (प्रत्येक कर्मचारी या कार्मिक श्रेणी के लिए पृथक)।

3. अनावर्ती पूंजी लागतें (प्रत्येक व्यय मद के लिए पृथक)।
4. प्रशासनिक लागतों (उदाहरणार्थ कार्यालय स्थान, कम्प्यूटर, टेलीफोन, डाक खर्च, सचिवीय सहायता तथा लेखा-परीक्षण शुल्क) के रूप में आपके संगठन का अंशदान। यह अंशदान परियोजना की कुल लागत का कम से कम 10 प्रतिशत होना चाहिए।

लागत अनुमान अधिमानी रूप से निम्न प्रारूप में होने चाहिए :-

मद	लागत प्रति माह/यूनिट	महीनों/यूनिट की संख्या	कुल लागत	निधियन का स्रोत		
				कपार्ट	स्वयं	अन्य
वेतन						
i.						
ii.						
iii.						
क्रियाविधियां						
i.						
ii.						
iii.						
पूंजीगत लागतें						
i.						
ii.						
iii.						
प्रशासनिक लागतें						
i.						
ii.						
iii.						
कुल						

स्थायित्व

- कपार्ट की सहायता समाप्त होने के पश्चात, इस परियोजना के दौरान आरंभ की गई क्रियाविधियों तथा प्रक्रियाओं का अनुवर्तन करने तथा उन्हें जारी रखने की आपकी योजना क्या है?

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की सहभागिता/सम्मिलन

- विनिर्दिष्ट करें कि इस परियोजना के दौरान निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों तथा/अथवा उनके परिवारों को किस प्रकार आयोजना में शामिल किया गया है।
- इसके क्रियान्वयन में उनको किस प्रकार शामिल किया जाएगा।

संगठन के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

स्थान :

नाम :

तिथि :

पदनाम :

परिशिष्ट-III

परियोजना निरूपण के लिए कपार्ट का प्रारूप

संगठन का नाम :

परियोजना का नाम :

पुनरीक्षणकर्ता का नाम :

दौरे की तारीख :

साक्षात्कार किए गए/परस्परक्रिया किए गए व्यक्ति

नाम	पदनाम/कार्य
-----	-------------

1. क्या परियोजना प्रस्ताव में दी गई जानकारी सही है?

- निःशक्तता के संदर्भ में परियोजना क्षेत्र तथा स्थिति।
- लिंग तथा निःशक्तता की किस्म के अनुसार लाभार्थी।
- उपलब्ध संसाधन (अन्य स्वैच्छिक/गैर-सरकारी विकास संगठन, सरकारी कार्यक्रम, संस्थाएं)।
- प्रस्तावित क्षेत्र/जनसंख्या के सम्मिलन के लिए संभार तंत्र।
- संकेन्द्रण के प्राथमिक क्षेत्र।
- कार्ययोजना तथा दल के सदस्यों को विशिष्ट उत्तरदायित्वों का समनुदेशन।
- संसाधन आयोजना तथा एकत्रीकरण।
- पश्च-परियोजना संबंधनों एवं समाभिरूपता के लिए आयोजना।

2. क्या निःशक्तता से ग्रस्त किन्हीं व्यक्तियों को उस दल के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है जो परियोजना का क्रियान्वयन करेगा।
3. प्रस्तावित परियोजना किस प्रकार संगठन की अन्य चालू गतिविधियों के समीचीन है?
4. क्या संगठन का जनकेन्द्रित विकास परिप्रेक्ष्य है तथा क्या यह इसकी चालू गतिविधियों में प्रतिबिम्बित होता है?
5. क्या परियोजना के प्रत्याशित परिणामों को सुस्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है? क्या इस संबंध में संगठन के उन अन्य व्यक्तियों को बताया गया है जो इसके क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से अंतर्ग्रस्त नहीं होंगे।
6. क्या संगठन के पास प्रस्तावित परियोजना को क्रियान्वित करने की क्षमता है। निम्न के संदर्भ में विनिर्दिष्ट करें।
 - ❖ अवसंरचना तथा उपकरण
 - ❖ कार्मिक
 - ❖ अनुभव
 - ❖ व्यावसायिक सक्षमता
 - ❖ प्रशिक्षण सहायता
 - ❖ समुदाय में विश्वसनीयता
 - ❖ संसाधन तक पहुंच तथा तकनीकी नेटवर्क
7. प्रस्तावित लाभार्थियों को परियोजना के बारे में क्या जानकारी है? क्या यह उनकी आवश्यकताओं के आधार पर आयोजित की गई है? इन आवश्यकताओं को किस प्रकार अभिचिह्नांकित किया गया है?
8. परियोजना दल के सदस्यों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए क्या व्यवस्था की गई है?
9. क्या संगठन ने प्रस्तावित परियोजना के लिए कोई आरंभिक कार्य शुरू किया है (आधारित सर्वेक्षण/कामगारों का चयन तथा प्रशिक्षण/समुदाय स्तर पर विचार-विमर्श/निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों का अभिचिह्नांकन)?
10. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कार्मिकों के लिए चालू तथा क्षेत्र-स्तरीय सहायता के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या कोई परामर्शदात्री समिति गठित की गई है? उसके सदस्य कौन हैं?

11. क्या परियोजना के लिए प्रस्तावित बजट युक्तिसंगत तथा न्यायोचित है?

- ❖ क्या प्रस्तावित वेतन संगठन की वेतन संरचना के समनुरूप हैं?
- ❖ क्या प्रस्तावित पूंजीगत व्यय मर्दे परियोजना के लिए आवश्यक हैं?
- ❖ क्या प्रशिक्षण तथा बैठकों के लिए यूनिट लागतें युक्तिसंगत हैं?
- ❖ क्या सभी प्रस्तावित गतिविधियों का समुचित लागत निर्धारण किया गया है?
- ❖ क्या प्रलेखन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन को बजट में शामिल किया गया है?
- ❖ क्या संगठनात्मक अंशदान का यथार्थकारी एवं सही लागत निर्धारण किया गया है?

12. क्या परिणामों, मूल्यांकन तथा अनुवीक्षण के प्रमात्रात्मक एवं गुणात्मक निरूपण के लिए संकेतकों का विकास किया गया है? क्या परियोजना में भाग लेने वाले निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों तथा दल के सदस्यों को इनके बारे में बताया गया है?

अभ्युक्तियां

1. यह परियोजना निःशक्तता संबद्ध परियोजनाओं के बारे में कपार्ट की कार्यनीति तथा मार्गनिर्देशों के किस प्रकार समीचीन है?
2. निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की स्थिति में परिवर्तन के संदर्भ में इस परियोजना के संभावित परिणाम क्या हैं?
3. परियोजना के दौरान आरंभ की गई प्रक्रियाओं के स्थायी रहने तथा अग्रणीत किए जाने की संभावनाएं क्या हैं?

अनुशंसाएं

1. निधियन के लिए उपयुक्त/निधियन के लिए अनुपयुक्त
2. सुझाए गए संशोधन
 - गतिविधियां/कार्यक्रम संघटक
 - परियोजना लागतें

क्या संगठन के साथ इन संशोधनों पर विचार-विमर्श किया गया है? क्या वे संगठन को स्वीकार्य हैं?
 3. परियोजना लागतों की अनुशंसित प्रमात्रा तथा ब्यौरा

	मात्रा	कपार्ट	निधियन का स्रोत/ क्रियान्वयनकारी संगठन	अन्य
<ul style="list-style-type: none"> कार्यक्रम गतिविधि लागतें वेतन अनावर्ती पूंजीगत लागतें 				
कुल

हस्ताक्षर : _____

तिथि : _____

परिशिष्ट-IV

उपायों की समाभिरूपता के लिए कार्य

कार्यक्रमों की समाभिरूपता सुसाध्य बनाने तथा ग्रामीण विकास के लिए सभी पहलों में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट गतिविधियों के लिए विभिन्न समूहों की सहायता जुटाना आवश्यक होगा। ऐसी समाभिरूपता के समर्थन में विभिन्न दलों द्वारा संभावित कार्यों की रूपरेखा नीचे दी गई है :-

I. ग्रामीण विकास संगठन

ग्रामीण विकास संगठन, चाहे वे निःशक्तता के संबंध में सीधे कार्य न कर रहे हों, यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा सकते हैं कि उनके कार्यक्रम तथा पहलें निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अभिगम्य हों, तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की सहभागिता का सक्रिय संवर्धन हो। नीचे उन संभावित कार्यों की सुझाव सूची दी गई है जो विभिन्न प्रमुख संकेन्द्रण क्षेत्रों वाले संगठन कर सकते हैं :-

1. सामाजिक एकत्रीकरण, जागरूकता सृजन व ग्रामीण निर्धनों के ग्राम स्तरीय संगठनों का निर्माण

- निःशक्तता की तरफ समुदायों, परिवारों तथा स्वयं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के रवैय्ये तथा व्यवहार संबंधी मुद्दे उठाना तथा नकारात्मक रवैय्ये तथा व्यवहार को परिवर्तित करने संबंधी मुद्दे उठाना।
- स्वदेशी सांस्कृतिक संसाधनों तथा अभिव्यक्ति के रूपों को अभिचिह्नांकित तथा प्रस्तुत करना जिनका प्रयोग समुदायों में निःशक्तता के संबंध में अज्ञानता एवं पूर्वाग्रह तथा निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा इन नकारात्मक रवैय्यों के अंतर्ग्रहण को प्रदर्शित करने एवं चुनौती देने के लिए किया जा सकता है।
- निःशक्तता को एक विकास मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करते हुए, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की संभाव्यताओं पर विशिष्ट प्रकाश डालते हुए, उनके शारीरिक एवं सामाजिक पृथक्करण को समाप्त करने की आवश्यकता पर संकेन्द्रण करते हुए सामाजिक एनीमेटर्स तथा आयोजकों के प्रशिक्षण में निःशक्तता मुद्दों तथा अवसरों की समानता के सिद्धांतों को शामिल करना।
- जहां कहीं भी समुदाय में निःशक्त सदस्य हैं, वहां इस मुद्दे को दृश्य बनाना तथा समुदाय को सुग्राही बनाना। निःशक्तता को पिछले पापों की सजा मानने तथा निःशक्त व्यक्तियों को "अपशकुन" मानने की अवधारणाओं को चुनौती देना।
- निःशक्तता से ग्रस्त लोगों को ग्राम-स्तरीय संगठनों, स्व-सहायता समूहों, महिला समूहों, ऋण समूहों तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए लाभार्थी संगठनों में शामिल करना।

- निःशक्तता से ग्रस्त महिलाओं एवं लड़कियों के साथ विशिष्ट रूप से अंतःक्रिया करना तथा संगठनों एवं सामाजिक आंदोलनों में उनका सम्मिलन सुसाध्य बनाना।
- निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को यथासंभव क्षेत्र कार्यकर्ताओं, आयोजकों तथा एनीमेटर्स के रूप में भर्ती तथा प्रशिक्षित करना।
- निःशक्तता के संबंध में कार्यरत संगठनों एवं समूहों के साथ संबंध विकसित करना तथा समुदाय में उन व्यक्तियों के साथ संवर्धन सुकर बनाना जिन्हें उनकी सेवाओं की आवश्यकता है।

2. आर्थिक विकास रोजगार एवं आय सृजन के लिए गतिविधियां

- परियोजना क्षेत्र में निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ परस्पर क्रिया करना, विविध निःशक्तताओं (बौद्धिक निःशक्तताओं सहित) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आर्थिक अवसरों को अभिचिह्नांकित करना।
- मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों (उदाहरणार्थ ट्राइसेम) में निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों की सहभागिता के लिए अभिगम तथा सामाजिक स्वीकृति को सुकर बनाना।
- निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आर्थिक अवसरों तक वास्तविक अभिगम सुनिश्चित करने के लिए उपाय आरंभ करना (उदाहरणार्थ परिवहन के लिए व्यवस्था, प्रशिक्षण स्थल/कार्यस्थल पर सुविधाएं, अनुकूलित औजार तथा उपकरण।)
- समुचित रवैय्ये तथा अध्यापन विधियों के संबंध में अनुदेशकों/सह कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
- विविध निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए परिवार एवं व्यक्तिगत परामर्श, पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा ऑन-दि-जॉब सहायता सहित सहायता सेवाओं का आयोजन करना।
- निःशक्तताओं से ग्रस्त नियोजन योग्य व्यक्तियों को संभावी नियोजनों तथा संभावी कर्मचारियों के बीच सभी अंतः क्रियाओं तथा वार्ताओं में शामिल करना।

3. ग्रामीण प्रौद्योगिकी

- समुचित तथा निम्न लागत सहायक साधनों के विकास, उत्पादन तथा वितरण को संवर्धित करना (उदाहरणार्थ कैलिपर, श्रवण सहाय्य, पहिए वाली कुर्सियों तथा अनुकूलित औजार)।
- निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए विद्यमान उपकरण तथा प्रौद्योगिकियों को उनके लिए उपयुक्त बनाने हेतु उनके अनुकूलन की संभावनाओं का पता लगाना।

- सहायक साधनों के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण सेवा के विकास को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामीण शिल्पकारों एवं तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक साधनों के मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी प्रशिक्षण को शामिल करना।
- निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षकों एवं अध्ययनकर्ताओं के रूप में शामिल करना।
- नवीन प्रौद्योगिकियों एवं उपकरण के अभिकल्पन में सुरक्षा एवं दुर्घटना-निवारण साधनों तथा अनुकूलनों को शामिल करना।

4. ग्रामीण अवसंरचना एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन

- सड़कों, आवास, जल केन्द्रों, विद्यालयों, शौचालयों, समुदाय केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, पंचायत कार्यालयों, डाकघरों, ग्रामीण बैंकों तथा बाजारों के लिए अभिकल्पनों में अभिगम विशिष्टताओं (रैम्प, निम्न ऊंचाई वाले प्लिंथ एवं काउंटर, छोटी सीढ़ियां, मार्गदर्शक ब्लॉक तथा हैंडरेल) को शामिल करके अवरोध मुक्त ग्रामीण निर्मित माहौल का संवर्धन करना।
- सामुदायिक अवसंरचना एवं आस्तियों के सृजन तथा अनुरक्षण में निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना। ग्राम स्तर पर नए निर्माणों में अभिगम विशिष्टताओं के सम्मिलन पर तथा विद्यमान संरचनाओं को अभिगम बनाने के लिए उनके नवीनीकरण पर जोर देना। ग्राम स्तर पर मेसन, बढ़ई, जल मैकेनिकों तथा भवन निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यथासंभव अध्ययन कर्ताओं तथा प्रशिक्षकों के रूप में निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को शामिल करना।

5. शिक्षा

- यथासंभव सीमा तक तथा जहां भी यह प्रतीत हो कि एकीकरण के सकारात्मक सामाजिक एवं विकासात्मक परिणाम होंगे, नामांकन अभियानों में निःशक्तताओं से ग्रस्त बच्चों को अभिचिह्नांकित तथा शामिल करना।
- विद्यालयों में निःशक्तता रहित तथा निःशक्तता ग्रस्त बच्चों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया तथा सहायता को प्रोत्साहित करना।
- शिक्षा में अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या एवं अनुसंधान कार्यसूची में निःशक्तता संबंधी मुद्दे शामिल करना।
- पूर्व विद्यालय अध्यापकों को निःशक्तता से ग्रस्त बच्चों की विशेष अध्ययन आवश्यकताओं के प्रति सुग्राही बनाना तथा पूर्व विद्यालय किटों में विविध निःशक्तताओं से ग्रस्त बच्चों के लिए समुचित सामग्रियों को शामिल करना।

- निःशक्तताओं से ग्रस्त बच्चों की विशेष अध्ययन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य विद्यालयों में विशेष शिक्षाविदों तथा विशेष सहायता अध्यापकों की नियुक्ति पर जोर देना।
- यह सुनिश्चित करना कि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को कुल साक्षरता के लिए कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों तथा अभियानों में शामिल किया जाए।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्ययन सामग्री ऐसे प्रारूपों (श्रव्य/दृश्य/ब्रेल) में उपलब्ध है जो निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अभिगम्य है।
- निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों की क्षमताओं एवं संभाव्यताओं के लिए समुचित सकारात्मक संदर्भों को शामिल करने तथा भ्रामक तथ्यों, पूर्वाग्रह, कलंक एवं पराश्रयता को प्रतिबलित करने वाली विषयवस्तु को बाहर निकालने के लिए पाठों तथा अध्ययन सामग्रियों की संवीक्षा करना।
- निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों तथा साक्षरता कार्यक्रमों में प्रशिक्षकों, अनुदेशकों के रूप में तथा नियमित विद्यालयों में अध्यापकों के रूप में भर्ती करना।

6. सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य

- समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सामग्रियों तथा कार्यक्रमों में निःशक्तताओं के शीघ्र अभिचिह्नांकन, शीघ्र हस्तक्षेप एवं समुदायाधारित पुनर्वास संबंधी संघटकों को शामिल करना।
- समुदाय स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में निःशक्तता संबंधी डाटा को शामिल करना।
- संदर्भ एवं व्यावसायिक सहायता के लिए पुनर्वास सेवा परिदाय संगठनों तथा संस्थाओं के साथ संबंधों का निर्माण करना।
- स्वास्थ्य शिक्षा सामग्रियों में निःशक्तता संबंधी सूचना शामिल करना।
- सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य शिक्षा सामग्रियां निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अभिगम्य प्रारूप में हैं।
- निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों (विशेष रूप से महिलाओं को) को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षकों तथा अध्ययनकर्ताओं के रूप में शामिल करना।
- पारम्परिक प्रसव परिचारकों, हर्बल उपचारकों तथा स्वदेशी चिकित्सीय व्यावसायिकों के साथ अंतःक्रियाओं में निःशक्तता अभिचिह्नांकन तथा निवारण संबंधी संघटकों को शामिल करना।

7. ऋण एवं वित्तपोषण योजनाएं

- ग्रामीण निर्धनों के लिए ऋण एवं वित्तपोषण योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में निःशक्तताओं से ग्रस्त लोगों (विशेषतया महिलाओं) को शामिल करना।
- निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों में स्वतंत्र उद्यम एवं उद्यमकारिता विकास के लिए सहायक सेवाएं उपलब्ध कराना।

II. पंचायती राज संस्थाओं में जन प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ता

- लिंग तथा आयु पृथक्कीकृत सूचना तथा निःशक्तता से ग्रस्त लोगों तथा निःशक्त सदस्यों वाले परिवारों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण जिसमें उनके शिक्षास्तरों, आजीविका के स्रोत, रहन-सहन की व्यवस्थाएं तथा समूह/संगठनों में सहभागिता शामिल है।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं में तथा समुदाय जीवन में निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों की सहभागिता को समर्थित करने के साधनों को अभिचिह्नांकित करने के उद्देश्य से सभी स्थानीय सुविधाओं, योजनाओं, कार्य अवसरों तथा समुदाय संगठनों की पुनरीक्षा।
- विभिन्न योजनाओं के लिए विविध निःशक्तताओं से ग्रस्त लोगों की पसंद तथा क्षमताओं पर विशेष संकेन्द्रण के साथ औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार संवर्धन के लिए योजनाओं में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के सम्मिलन के संबंध में स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन।
- निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास परियोजनाओं का अभिकल्पन, आयोजना, क्रियान्वयन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन।
- सुनिश्चित करना कि साक्षरता, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए चल रहे अभियानों में निःशक्तता से ग्रस्त लोगों विशेषतया निःशक्तता से ग्रस्त गरीब महिलाओं तथा लड़कियों को शामिल किया जाए।
- पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के लिए अभिकल्पित राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का दूर शिक्षा कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ चालू प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के लिए अपनी पाठ्यचर्या में निःशक्तता संबंधी मुद्दों को शामिल करके ऐसी समाभिरूपता को सुकर बना सकता है।

III. शासकीय (आधिकारिक) मीडिया से मीडिया व्यक्ति

- विकास कार्यक्रमों में निःशक्तताओं से ग्रस्त ग्रामीण व्यक्तियों की सहभागिता से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई की आवश्यकता के प्रति ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रमों के उत्पादनकर्ताओं तथा निदेशकों को सुग्राही बनाया जा सकता है। निःशक्तताओं से ग्रस्त ग्रामीण लोगों की सहभागिता को संवर्धित करने के लिए सफल प्रयासों तथा सामुदायिक कार्य पर तथा ग्रामीण भारत में सीबीआर के प्रति विविध दृष्टिकोणों पर संकेन्द्रण करते हुए कार्यक्रमों को विकसित किया जा सकता है।

परिशिष्ट—V

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता), अधिनियम, 1995

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 1 जनवरी, 1996 को राष्ट्रपति जी की सहमति प्राप्त हुई तथा उसे एतद्वारा आम सूचना हेतु प्रकाशित किया जा रहा है :

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता), अधिनियम, 1995

1996 का संख्या 1

एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र में निःशक्तताओं से ग्रस्त लोगों की पूर्ण सहभागिता तथा समानता संबंधी उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम

जबकि एशिया एवं प्रशांत निःशक्त व्यक्ति दशक 1993-2000 की शुरुआत करने के लिए एशिया एवं प्रशांत हेतु आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा संयोजित 1 से 5 दिसम्बर, 1992 को बीजिंग में हुई बैठक में एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र में निःशक्तताओं से ग्रस्त लोगों की पूर्ण सहभागिता तथा समानता संबंधी उद्घोषणा को अपनाया गया;

तथा जबकि भारत उक्त उद्घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता था;

तथा जबकि उक्त उद्घोषणा को क्रियान्वित करना आवश्यक समझा गया है।

अध्याय—1

उपोद्घात

- (1) इस अधिनियम को निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 कहा जाएगा।
 - (2) इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में होगा।
 - (3) यह केन्द्र सरकार की अधिसूचना द्वारा यथा नियत की गई तिथि को प्रवृत्त होगा।
- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो :
 - (क) "समुचित सरकार" का अर्थ है —
 - (i) केन्द्र सरकार अथवा उस सरकार द्वारा पूर्णतः या अधिकांशतः वित्तपोषित कोई स्थापना, या कैटोनमेंट अधिनियम, 1924 के अंतर्गत गठित कैटोनमेंट बोर्ड के संबंध में, केन्द्र सरकार;

- (ii) राज्य सरकार अथवा उस सरकार द्वारा पूर्णतः या अधिकांशतः वित्तपोषित कोई स्थापना, अथवा कैटोनमेंट बोर्ड को छोड़कर किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में, राज्य सरकार;
- (iii) राज्य समन्वयन समिति तथा राज्य कार्यकारिणी समिति के संबंध में, केन्द्र सरकार;
- (iv) केन्द्रीय समन्वयन समिति तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के संबंध में, राज्य सरकार;
- (ख) "नेत्रहीनता" से संदर्भ ऐसी दशा से है जब कोई व्यक्ति निम्न में से किसी एक दशा से ग्रस्त है, नामतः
- (i) दृष्टि का पूर्ण अभाव; अथवा
- (ii) शोधक लेंसों के साथ अपेक्षाकृत सही आंख में 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अनधिक की दृष्टिक सक्रियता; अथवा
- (iii) 20 अंश के कोण पर अंतरकारी दृष्टिक क्षेत्र परिसीमा या उससे भी खराब;
- (ग) "केन्द्रीय समन्वयन समिति" से तात्पर्य धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित केन्द्रीय समन्वयन समिति है;
- (घ) "केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति" से तात्पर्य धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति है;
- (ङ) "मस्तिष्क पक्षाघात" से तात्पर्य किसी व्यक्ति में अप्रगामी दशाओं के समूह का होना है जिसकी विशिष्टता पूर्व-प्रसव या विकास की शैशवावधि में होने वाली दिमागी चोट या क्षतियों के परिणामस्वरूप असामान्य मोटर नियंत्रण या शारीरिक स्थिति है;
- (च) "मुख्य आयुक्त" से तात्पर्य धारा 57 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त मुख्य आयुक्त से है;
- (छ) "आयुक्त" से तात्पर्य धारा 60 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त आयुक्त से है;
- (ज) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य धारा 50 के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी से है;
- (झ) "निःशक्तता" से तात्पर्य है :-
- (i) नेत्रहीनता
- (ii) कम दिखना

- (iii) कुष्ठ उपचारित
 - (iv) श्रवण दोष
 - (v) लोकोमोटर निःशक्तता
 - (vi) मानसिक रूप से मंदबुद्धि
 - (vii) मानसिक रोग
- (ज) "नियोजक" से तात्पर्य है :-
- (i) सरकार के संबंध में, विभागाध्यक्ष द्वारा इसके लिए अधिसूचित कोई प्राधिकारी तथा जहां ऐसे किसी प्राधिकारी को अधिसूचित नहीं किया गया है, विभागाध्यक्ष; तथा
 - (ii) किसी स्थापना के संबंध में उस स्थापना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी;
- (ट) "स्थापना" का अर्थ है किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई निगम या सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित या सहाय्यित कोई प्राधिकरण या निकाय अथवा स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी कंपनी जैसाकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित किया गया है तथा इसमें सरकार के विभाग शामिल हैं;
- (ठ) "श्रवण दोष" से तात्पर्य प्रायिकताओं की वार्ताकारी सीमा में बेहतर कान में 60 डेसिबल या इससे अधिक की हानि है;
- (ड) "निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए संस्था" से तात्पर्य निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के ग्रहण, देखभाल, संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास या किसी अन्य सेवा के लिए संस्था से है;
- (ढ) "कुष्ठ उपचारित व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका कुष्ठ रोग का उपचार हो गया है किन्तु वह निम्न से ग्रस्त है :-
- (i) हाथों या पैरों में संवेदना का न होना तथा साथ ही आंख या आंख की पलकों में संवेदना घात तथा आंशिक घात किन्तु बिना किसी अभिव्यक्त विरुपण के ;
 - (ii) अभिव्यक्त विरुपण तथा आंशिक घात किन्तु हाथों एवं पैरों में पर्याप्त गतिशीलता जो उन्हें सामान्य आर्थिक गतिविधि में रत होने में सक्षम बनाए ;
 - (iii) अत्यधिक शारीरिक विरुपण के साथ-साथ अधिक आयु जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय अपनाने से बाधित करे, तथा अभिव्यक्त "कुष्ठ उपचारित" की तदनुसार व्याख्या की जाएगी;
- (ण) "लोकोमोटर अक्षमता" का अर्थ है हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की निःशक्तता जो अंगों के संचालन में पर्याप्त प्रतिबंध या किसी स्वरूप के मस्तिष्क पक्षाघात में परिणामी हो;

- (त) "चिकित्सा प्राधिकरण" से तात्पर्य किसी अस्पताल या संस्था से है जिसे समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (थ) "मानसिक रोग" से तात्पर्य मंदबुद्धि को छोड़कर किसी मानसिक अव्यवस्था से है;
- (द) "मंदबुद्धि" से तात्पर्य किसी व्यक्ति के दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की दशा से है जिसकी विशिष्टता अवमंदित बुद्धि है;
- (ध) "अधिसूचना" से तात्पर्य सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
- (न) "निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा यथा प्रमाणित किसी निःशक्तता के 40 प्रतिशत से अधिक से ग्रस्त हो;
- (प) "कम दृष्टि वाले व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उपचार या मानक अपवर्तक सुधार के पश्चात भी दृष्टिक कार्यकरण दोष से ग्रस्त हो किन्तु जो समुचित सहायक उपकरण की सहायता से किसी कार्य की आयोजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का प्रयोग करता हो या करने से संभावी रूप से सक्षम हो;
- (फ) "निर्धारित" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों द्वारा निर्धारित होने से है;
- (ब) "पुनर्वास" से संदर्भ निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को अपनी इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक मनश्चिकित्सीय अथवा सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचने तथा अनुरक्षित रखने में सक्षम बनाने की ओर लक्षित प्रक्रियाओं से है;
- (झ) "विशेष रोजगार कार्यालय" से तात्पर्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रों के अनुरक्षण द्वारा या अन्यथा निम्न के संबंध में सूचना के संग्रहण तथा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी कार्यालय या स्थान से है;
- (i) व्यक्ति जो निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों में से कर्मचारियों को नियोजित करते हैं;
- (ii) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं;
- (iii) रिक्रियां जिनपर रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है;
- (म) "राज्य समन्वयन समिति" से तात्पर्य धारा 13 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित राज्य समन्वयन समिति से है;
- (य) "राज्य कार्यकारिणी समिति" से तात्पर्य धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित राज्य कार्यकारिणी समिति से है।

अध्याय-II

केन्द्रीय समन्वयन समिति

3. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय समन्वयन समिति के नाम से जाने वाले एक निकाय का गठन उसे सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसे समनुदेशित कार्यों का निष्पादन करने के लिए करेगी।

(2) केन्द्रीय समन्वयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (क) केन्द्रीय सरकार में कल्याण विभाग का प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष, पदेन;
- (ख) केन्द्रीय सरकार में कल्याण विभाग का प्रभारी राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष, पदेन;
- (ग) कल्याण, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, व्यय, कार्मिक, प्रशिक्षण एवं लोक शिकायत, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, शहरी मामले तथा रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विधिक मामले, लोक उद्यम विभागों के भारत सरकार के प्रभारी, सचिव, सदस्य, पदेन;
- (घ) मुख्य आयुक्त, सदस्य, पदेन;
- (ङ.) अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, सदस्य, पदेन;
- (च) श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, सदस्य, पदेन;
- (छ) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, सदस्य, पदेन;
- (ज) तीन संसद सदस्य जिनमें दो को लोकसभा द्वारा तथा एक को राज्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, सदस्य;
- (झ) सरकार की राय में प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले तीन व्यक्ति सदस्य;
- (ञ) निम्न के निदेशक
 - (i) राष्ट्रीय दृष्टिक विकलांग संस्थान, देहरादून;
 - (ii) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद;
 - (iii) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता;
 - (iv) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई, सदस्य, पदेन;

(ट) राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों का क्रमावर्तनकारी प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित तरीके से केन्द्र सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाले चार सदस्य :

बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत कोई भी नियुक्ति यथा मामला राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश की सिफारिश के सिवाए नहीं की जाएगी;

(ठ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाले यथाव्यवहार्य रूप से निःशक्तता से ग्रस्त, निःशक्तता के प्रत्येक क्षेत्र; से एक-एक, पांच व्यक्ति जो निःशक्तता से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों या संघों का प्रतिनिधित्व करेंगे;

बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत व्यक्तियों को नामित करते समय केन्द्रीय सरकार कम से कम एक महिला तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबद्ध एक व्यक्ति को नामित करेगी;

(ड) विकलांगों के कल्याण संबंधी कार्य करने वाला कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार का संयुक्त सचिव, सदस्य-सचिव, पदेन;

(3) केन्द्रीय समन्वयन समिति के सदस्य का पद उसके धारक को संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने या बनने के लिए अनर्हक नहीं करेगा।

(4) (1) सिवाए जहां इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत अन्यथा उपबंधित है, खंड (1) या धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (1) के अंतर्गत नामित केन्द्रीय समन्वयन समिति का सदस्य अपने नामांकन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

बशर्ते कि ऐसा सदस्य, अपना कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात भी तब तक पद धारण रखेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

(2) पदेन सदस्य का कार्यकाल उसी समय समाप्त हो जाएगा जब वह उस पद का पदधारी नहीं रहता जिसकी हैसियत से उसे इस प्रकार नामित किया गया था।

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि उपयुक्त समझे, खंड (1) या उपधारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत नामित व्यक्ति को उसके पद का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इसके लिए कारण बताने का युक्तिसंगत अवसर देने के पश्चात हटा सकती है।

(4) खंड (1) या धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (1) के अंतर्गत नामित कोई भी सदस्य केन्द्र सरकार को संबोधित हस्तलिखित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है तथा तब उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

(5) केन्द्रीय समन्वयन समिति में नैमित्तिक रिक्ति को नए नामांकन द्वारा भरा जाएगा तथा रिक्ति को भरने के लिए नामित व्यक्ति उस सदस्य जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार नामित किया गया था, के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।

- (6) खंड (1) या धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (1) के अंतर्गत नामित सदस्य पुनःनामांकन के लिए पात्र होगा।
- (7) खंड (i) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (1) के अंतर्गत नामित सदस्य पुनःनामांकन के लिए पात्र होंगे।
- (5) (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय समन्वयन समिति का सदस्य नहीं होगा, जो –
- (क) दिवालिया है या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया जा चुका है अथवा जिसने अपने कर्जों का भुगतान नहीं किया है अथवा अपने ऋणदाताओं के साथ प्रशमन किया है, अथवा
- (ख) अव्यवस्थित दिमाग का है तथा उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे घोषित किया गया है, अथवा
- (ग) किसी ऐसे अपराध के संबंध में सिद्ध दोष है या रहा है जो केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक व्यभिचार है, अथवा
- (घ) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष है या कभी सिद्धदोष रहा है, अथवा
- (ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि केन्द्रीय समन्वयन समिति में उसका पदधारण किए रखना आम जनता के हितों के लिए हानिकर है।
- (2) इस धारा के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बर्खास्तगी का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उसके विरुद्ध कारण बताने का युक्तिसंगत अवसर न प्रदान कर दिया गया हो।
- (3) उपधारा (1) या धारा 4 की उपधारा (6) में कुछ भी निहित होने के बावजूद इस धारा के अंतर्गत बर्खास्त किया गया सदस्य के रूप में पुनः नामांकन के लिए अर्हक नहीं होगा।
- (6) यदि केन्द्रीय समन्वयन समिति का सदस्य धारा 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी अनर्हकता के अध्यधीन आ जाए तो उसका पद सदस्य के रूप में पुनः नामांकन के लिए अर्हक नहीं होगा।
- (7) केन्द्रीय समन्वयन समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार होगी तथा वह अपनी बैठकों में कारबर संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रक्रियाविधि नियमों का अनुपालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे।
- (8) (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, केन्द्रीय समन्वयन समिति का कार्य निःशक्तता संबंधी मामलों के राष्ट्रीय संकेन्द्रण बिन्दु के रूप में कार्य करना तथा निःशक्तता से ग्रस्त

व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान करने के लिए एक व्यापक नीति के सतत् विकास को सुकर बनाना है।

(2) विशेष रूप से तथा पूर्वोक्त पर सामान्यतः किसी पूर्वाग्रह के बिना केन्द्रीय समन्वयन समिति निम्नलिखित सभी या कोई भी कार्य निष्पादित करेगी, नामतः —

(क) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने वाले सरकार के सभी विभागों तथा अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की पुनरीक्षा तथा समन्वयन करना;

(ख) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों का निवारण करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति का विकास करना;

(ग) केन्द्रीय सरकार को निःशक्तता से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, विधान तथा परियोजनाओं के संबंध में सलाह देना;

(घ) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के हितों के मामले संबंधित प्राधिकरणों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ उठाना ताकि राष्ट्रीय योजनाओं में तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा विकसित अन्य कार्यक्रमों एवं नीतियों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाओं एवं परियोजनाओं की व्यवस्था की जा सके;

(ङ) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों पर दाता अभिकरणों की निधिकरण नीतियों के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में दाता अभिकरणों के परामर्श से उनकी पुनरीक्षा करना;

(च) सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, जनोपयोगिताओं, विद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में बाधा मुक्त माहौल सुनिश्चित करने के लिए अन्य ऐसे कदम उठाना;

(छ) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए समानता तथा उनकी पूर्ण सहभागिता हासिल करने के लिए अभिकल्पित नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभाव का अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन करना;

(ज) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित अन्य कार्य निष्पादित करना;

(9) (1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति नामक एक समिति का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत इसे समनुदेशित कार्यों का निष्पादन करेगी।

(2) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति में निम्न शामिल होंगे :—

(क) कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव, अध्यक्ष, पदेन;

(ख) मुख्य आयुक्त, सदस्य, पदेन;

(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, सदस्य, पदेन;

- (घ) महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, सदस्य, पदेन;
- (ङ.) ग्रामीण विकास, शिक्षा, कल्याण, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, शहरी मामले तथा रोजगार एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार के कम से कम संयुक्त सचिव के पद के छः व्यक्ति, सदस्य, पदेन;
- (च) केन्द्रीय सरकार में कल्याण मंत्रालय में वित्तीय परामर्शदाता, सदस्य, पदेन;
- (छ) परामर्शदाता (प्रशुल्क) रेलवे बोर्ड, सदस्य, पदेन;
- (ज) राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों का क्रमावर्तनकारी प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित तरीके से केन्द्र सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाले चार सदस्य :
- (झ) सरकार की राय में प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले तीन व्यक्ति सदस्य;
- (ञ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाले यथाव्यवहार्य रूप से निःशक्तता से ग्रस्त, निःशक्तता के प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक, पांच व्यक्ति जो निःशक्तता से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों या संघों का प्रतिनिधित्व करेंगे;
- बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत व्यक्तियों को नामित करते समय केन्द्रीय सरकार कम से कम एक महिला तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबद्ध एक व्यक्ति को नामित करेगी;
- (ट) विकलांगों के कल्याण संबंधी कार्य करने वाला कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार का संयुक्त सचिव, सदस्य-सचिव, पदेन;
- (3) खंड (1) तथा उपधारा (2) के खंड (i) के अंतर्गत नामित सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित भत्ते प्राप्त होंगे।
- (4) खंड (1) या उपधारा (2) के खंड (i) के अंतर्गत नामित सदस्य किसी भी समय केन्द्र सरकार को हस्तलिखित त्यागपत्र देकर अपने पद को त्याग सकता है तथा उक्त सदस्य का पद तब रिक्त हो जाएगा।
- (10) (1) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति केन्द्रीय समन्वयन समिति का कार्यकारिणी निकाय होगा तथा केन्द्रीय समन्वयन समिति के निर्णयों का संचालन करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- (2) उप-धारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन भी करेगी जो इसे केन्द्रीय समन्वयन समिति द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

- (11) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी तथा वह अपनी बैठकों में कारबर संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रक्रियाविधि नियमों का अनुपालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे।
- (12) (1) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारितानुसार किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे तरीके से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए स्वयं के साथ संबद्ध करेगी जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपने किसी कार्य के निष्पादन में प्राप्त करने की इच्छुक हो।
- (2) उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी भी प्रयोजनार्थ केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के साथ संबद्ध व्यक्ति को उस प्रयोजन के लिए संगत केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे उक्त समिति की बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा तथा वह किसी अन्य प्रयोजनार्थ सदस्य नहीं होगा।

उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी भी प्रयोजनार्थ उक्त समिति के साथ संबद्ध व्यक्ति को इसकी बैठक में भाग लेने तथा उक्त समिति का कोई अन्य कार्य करने के लिए ऐसे शुल्क तथा भत्तों का भुगतान किया जाएगा जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।